SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक

संघ सरकार
शिक्षा मंत्रालय
2026 की प्रतिवेदन सं. 24
(अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक

संघ सरकार

शिक्षा मंत्रालय

2026 की प्रतिवेदन सं. 24

(अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल)

विषय वस्तु	संदर्भ	
	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सारांश		vii-xiv
अध्याय I		
प्रस्तावना		
इस प्रतिवेदन के संबंध में	1.1	1
भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक के बारे में	1.2	1
लेखापरीक्षा के उद्देश्य	1.3	2
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	1.4	3
लेखापरीक्षा पद्धति	1.5	3
लेखापरीक्षा मानदंड	1.6	4
आईआईएमआर की लेखापरीक्षा के दौरान आई बाधाएं	1.7	4
अध्याय II		
शासन एवं नियामक ढांचा		
आईआईएमआर के शासी मण्डल का गठन	2.1	5
नियामक ढांचे के अनुपालन में अनियमितताएं	2.2	8
निदेशक को परिवर्तनीय वेतन	2.3	10
शैक्षणिक परिषद का गठन	2.4	12
आईआईएम अधिनियम के प्रावधानों का अननुपालन	2.5	13
शासी मण्डल को निदेशक की रिपोर्ट प्रस्तुत न करना	2.6	15
उचित परामर्श अभिलेखों का रखरखाव न करना	2.7	16
शिकायत निवारण, अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं और आंतरिक शिकायत समिति में विसंगतियां	2.8	17
निष्कर्ष	2.9	18
अध्याय III		
वित्तीय प्रबंधन एवं लेखांकन		
कॉर्पस फंड का अधिक दर्शाया जाना	3.1	19
राजस्व अनुदान की मान्यता एवं प्रस्तुतीकरण में कमियां	3.2	21
सरकारी खातों में ₹ 4.81 करोड़ के ब्याज का हस्तांतरण न करना	3.3	24
निजी पार्टियों/आपूर्तिकर्ताओं से अग्रिमों की वसूली/समायोजन न होना	3.4	25
कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों का समायोजन न होना	3.5	27
लेखांकन मानक-15 का अननुपालन	3.6	28
लेखांकन नियमावली तैयार न करना	3.7	28
बजट अनुमान तैयार किए बिना फीस में बढ़ोतरी	3.8	29

विषय वस्तु	संदर्भ	
	पैराग्राफ	पृष्ठ
निष्कर्ष	3.9	30
अध्याय-IV		
अधिप्राप्ति एवं अनुबंध प्रबंधन		
विशेषज्ञ कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितताएं	4.1	31
दोहरी नियुक्ति के कारण परिहार्य व्यय	4.1.1	31
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के अतिरिक्त दायित्व को पूरा करने पर परिहार्य व्यय	4.1.2	32
आवश्यक अनुभव और दस्तावेजीकरण के बिना आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति	4.1.3	32
आईआईएमआर में एयर कंडीशनर (एसी) की आपूर्ति के लिए कार्य के आबंटन में अनियमितताएं	4.2	33
छात्रावास ब्लॉक में 500 स्प्लिट एसी यूनिटों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए अनियमित रूप से कार्य का आबंटन	4.2.1	33
निविदा के बिना अतिरिक्त दो-टीआर एसी की अधिप्राप्ति	4.2.2	34
छात्रावास ब्लॉक में 100 स्प्लिट एसी की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग	4.2.3	35
एकल बोलीकर्ता को अनुबंध प्रदान करने को न्यायोचित ठहराने के लिए आकलन का ऊर्ध्वगामी संशोधन	4.2.4	36
कार्य आरंभ अग्रिम के कारण संविदाकर्ता को अनुचित लाभ	4.3	37
संविदाकर्ता को अनुचित लाभ - सुविधा प्रबंधन सेवाएं	4.4	38
न्यूनतम मजदूरी से कम बोली स्वीकार करके संविदाकर्ता को अनुचित लाभ पंहुचाना, जिससे श्रमिकों को कम भुगतान	4.5	41
संविदाकर्ता को अनुचित लाभ - सुरक्षा सेवाएं	4.6	42
ईपीएफ जमा का सत्यापन न करना, जिसके परिणामस्वरूप वैधानिक अननुपालन हुआ	4.7	43
स्क्रैप की गई मदों की निपटान प्रक्रियाओं और इन्वेंटरी प्रबंधन में अनियमितताएं	4.8	44
टी-शर्ट और ट्रैकसूट स्टॉक का मिलान न होना एवं बिक्री से प्राप्त राशि को कम जमा करना	4.8.1	45
बिजली और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का अनियमित निपटान	4.8.2	46
स्थापित एसी की स्टॉक रजिस्टरों में प्रविष्टि न करना	4.8.3	47
3,000 टी-शर्ट की अधिप्राप्ति में अनियमितताएं	4.9	47
जेम के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की अधिप्राप्ति न करना	4.10	48

विषय वस्तु	संदर्भ	
	पैराग्राफ	पृष्ठ
वाहनों को किराए पर लेने में अनियमितता और ओला कैब्स को असुरक्षित अग्रिम भुगतान	4.11	50
निष्कर्ष	4.12	51
अध्याय V		
स्थापना एवं मानव संसाधन प्रबंधन		
उचित अभिलेखों के रखरखाव के बिना संकाय सदस्यों को वेतन का भुगतान	5.1	53
बकाया राशि की वसूली के बिना परिवीक्षा पूरी होने से पहले त्यागपत्र स्वीकार करके संकाय को अनुचित लाभ पहुंचाना	5.2	53
संकाय सदस्यों को मानदेय और प्रोत्साहन का भुगतान	5.3	55
संकाय सदस्यों को प्रोत्साहन का अधिक/अनियमित भुगतान	5.4	57
निर्धारित नीति से विचलन के कारण अनुसंधान प्रोत्साहन का अनियमित भुगतान	5.5	59
वैधानिक आरक्षण मानदंडों के अनुसार संकाय भर्ती में सामाजिक-श्रेणीवार डेटा/रोस्टर का रखरखाव न करना	5.6	60
विधिक सलाहकारों को अनियमित भुगतान	5.7	61
विधिक सलाहकारों के साथ समझौता ज्ञापनों का निष्पादन न करना और निर्धारित मानदंडों से अधिक भुगतान करना	5.7.1	61
भुगतान अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ के कारण विधिक सलाहकार को अप्रमाणित भुगतान	5.7.2	62
हवाई यात्रा के दावों की अनियमित प्रोसेसिंग	5.8	63
विदेश यात्रा नीति का अननुपालन	5.9	65
निर्धारित शुद्ध डीलर कीमत (एनडीपी) सीमा से अधिक स्टाफ वाहनों की अनियमित अधिप्राप्ति	5.10	66
अनिवार्य ऊर्जा लेखापरीक्षा आवश्यकताओं का अननुपालन	5.11	68
निष्कर्ष	5.12	68

अनुलग्नक

अनुलग्नक	विवरण	संदर्भ	
		पैराग्राफ	पृष्ठ
2.1	परामर्श सेवाओं में पाई गई अनियमितताओं का विवरण	2.7	71
4.1	विशेषज्ञ कर्मचारी और आंतरिक लेखापरीक्षक को सौंपे गए कार्य	4.1	74
4.2	किए गए कार्यों की जानकारी और दोहरी नियुक्ति द्वारा हुए कार्यों के लिए दिए गए पारिश्रमिक की जानकारी	4.1	75
4.3	पारिश्रमिक का विवरण	4.1	77
4.4	कार्य आरंभ अग्रिम (एमए) और उस पर ब्याज के कारण संविदाकर्ता को अनुचित वित्तीय लाभ दर्शाने वाला विवरण	4.3	78
4.5	एचकेआरएनएल द्वारा अधिसूचित न्यूनतम वेतन	4.5	80
4.6	बोलीकर्ताओं द्वारा उद्धृत दरें	4.9	81
4.7	जेम और सीपीपीपी के साथ पंजीकृत विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं की तुलना	4.10	82
4.8	आईआईएम रोहतक द्वारा किए गए अग्रिम भुगतान का वर्ष-वार विवरण	4.11	83
5.1	न्यूनतम शिक्षण भार	5.3	84
5.2	संकाय सदस्यों को मानदेय/उपहार के रूप में प्रदान की गई मदें	5.3	85
5.3	संकाय सदस्यों का विवरण जिनके अभिलेख उपलब्ध नहीं थे	5.9	86
5.4	2016-2024 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने वाले संकाय सदस्यों का विवरण	5.9	87
	शब्दावली		89

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में स्थापित किए गए थे, जिनका मुख्य उदेश्य प्रबंधन के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श प्रदान करना है। अतः यह आवश्यक है कि ये संस्थान अपने कामकाज में वित्तीय औचित्य, पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्च मानकों को बनाए रखें।

इस संदर्भ में, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अनुरोध पर भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक की अनुपालन लेखापरीक्षा की गई। इस लेखापरीक्षा का उद्देश्य संस्थान के वित्तीय प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण और समग्र शासन प्रथाओं का मूल्यांकन करना था और यह जांचना था कि क्या सार्वजनिक निधियों का उपयोग कुशलतापूर्वक और निर्धारित नियमों व मानदंडों के अनुसार किया गया है।

लेखापरीक्षा के दायरे में वर्ष 2009-10 से 2023-24 तक के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण और वर्ष 2019-20 से 2024-25 की अवधि के लेन-देन व परिचालन अभिलेखों की विस्तृत जांच सम्मिलित थी। यह लेखापरीक्षा सीएजी (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रासंगिक प्रावधानों तथा भारत के सीएजी द्वारा जारी मानकों और दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित की गई थी।

लेखापरीक्षा के दौरान कई बाधाएं आई जिनमें अभिलेखों का खराब रख-रखाव, अभिलेख उपलब्ध कराने में विलंब और सीमित संस्थानिक स्मृति सम्मिलित थी। इन बाधाओं के बावजूद, लेखापरीक्षा ने मौजूद अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष मूल्यांकन करने की कोशिश की है।

यह प्रतिवेदन लेखापरीक्षा से प्राप्त प्रमुख निष्कर्षों, टिप्पणियों एवं अनुशंसाओं को प्रस्तुत करता है। आईआईएम, रोहतक और मंत्रालय के उत्तरों को यथोचित रूप से प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

यदि अनुवाद में कोई संदेह हो, तो अंग्रेज़ी को प्रामाणिक माना जाए।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

यह प्रतिवेदन भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक (आईआईएमआर) की लेखापरीक्षा के प्रमुख निष्कर्षों को प्रस्तुत करता है। इन टिप्पणियों या निष्कर्षों का लक्ष्य सुधारात्मक उपाय शुरू करने तथा आईआईएमआर के वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने एवं समग्र संचालन को बेहतर बनाने की दिशा में नीतियां और निर्देश तैयार करना है।

अध्याय I: प्रस्तावना

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएमआर), रोहतक जिसकी स्थापना 2009 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी, आईआईएम अधिनियम, 2017 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है और यह विभिन्न प्रकार के प्रबंधन कार्यक्रम प्रदान करता है। आईआईएमआर का संचालन शासी मण्डल के शासन के अंतर्गत होता है और यह शिक्षा मंत्रालय के समग्र ढांचे के भीतर स्वायत्त रूप से कार्य करता है। शैक्षणिक शुल्क, परामर्श सेवाएं और ब्याज से होने वाली आय के कारण, वर्ष 2019-20 के बाद से आईआईएमआर वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बन गया।

वर्ष 2019-2024 की अवधि के दौरान वित्तीय प्रबंधन और शासन-प्रणाली की प्रथाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक लेखापरीक्षा (मार्च से मई 2025 तक) आयोजित की गई थी। इस लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों, लेन-देन, आंतरिक नियंत्रणों और वैधानिक तथा संस्थागत मानदंडों के अनुपालन का मूल्यांकन किया गया। आईआईएमआर के लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान, लेखापरीक्षा टीम को कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि अभिलेखों को प्रस्तुत करने में विलंब होना और अभिलेखों/दस्तावेजों का उचित रखरखाव न होना।

अध्याय II: शासन एवं विनियामक ढांचा

आईआईएमआर के शासी मण्डल ने संरचना, सदस्यों की पात्रता और चयन प्रक्रियाओं से संबंधित वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया। इसमें प्रतिष्ठित व्यक्तियों, अनुसूचित जाति/जनजाति और महिला सदस्यों की नियुक्ति में हुआ विलंब भी सम्मिलित है।

(पैरा 2.1)

आईआईएमआर ने नियमों की अधिसूचना जारी होने से पहले ही, मंत्रालय द्वारा समीक्षित नियमों में 28 अनधिकृत संशोधन कर दिए। ऐसा करके संस्था ने पर्यवेक्षण प्रक्रिया को अनदेखा किया और शासन तथा निदेशक की शक्तियों में परिवर्तन कर दिया गया।

(पैरा 2.2)

वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए निदेशक के परिवर्तनीय वेतन के अनुमोदन और उसके संवितरण की प्रक्रिया में, निष्पादन के दस्तावेजी लक्ष्यों, मूल्यांकन के अभिलेखों और औपचारिक रूप से स्वयं को प्रक्रिया से अलग रखने संबंधी आवश्यक प्रक्रियाओं का अभाव था जिसके कारण पारदर्शिता और वैधानिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन हुआ।

(पैरा 2.3)

वर्ष 2017-2024 के बीच, शैक्षणिक परिषद का गठन बाहरी विशेषज्ञों को सम्मिलित किए बिना किया गया। इसमें नामित संकाय सदस्यों के लिए दो वर्ष के कार्यकाल की शर्त का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शासन कमजोर हुआ और हितों के टकराव की स्थिति बनी।

(पैरा 2.4)

आईआईएमआर ने वैधानिक बजट, विकास योजनाएं, कार्य/रणनीतिक/विजन योजनाएं, या त्रिवार्षिक निष्पादन समीक्षाएं तैयार नहीं की जो लगातार नियमों का अनुपालन न करने को दर्शाता है।

(पैरा 2.5)

उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारियों, अंशदान और संबद्धताओं का विवरण देने वाली अनिवार्य निदेशक रिपोर्ट, बोर्ड के सामने प्रस्तुत नहीं की गई जिससे पारदर्शिता और वैधानिक अनुपालन सीमित हो गया।

(पैरा 2.6)

अपूर्ण परियोजना फाइलें, बिना हस्ताक्षर वाले समझौते, कार्य पूरा होने में विलंब और बिना स्पष्टीकरण के किए गए व्यय ने परामर्श कार्यों में जवाबदेही और पारदर्शिता को सीमित किया।

(पैरा 2.7)

शिकायत निवारण एवं अनुशासनात्मक समिति और आंतरिक शिकायत समिति के गठन, कार्यों और अभिलेखों के रखरखाव में कमियां पाई गई।

(पैरा 2.8)

अध्याय III: वित्तीय प्रबंधन एवं लेखांकन

संस्थान का कॉर्पस फंड ₹ 267.45 करोड़ से अधिक दर्शाया गया था क्योंकि पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित निधि से राशियां अंतरित नहीं की गई थी।

(पैरा 3.1)

₹ 12.16 करोड़ की अतिरिक्त राशि कार्पस फंड में अंतरित करने के कारण राजस्व अनुदानों की पहचान और प्रस्तुति में कमियां पाई गईं।

(पैरा 3.2)

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के प्रावधानों के विपरीत, अप्रयुक्त अनुदानों पर ₹ 4.81 करोड़ का ब्याज भारत की संचित निधि में जमा नहीं किया गया था।

(पैरा 3.3)

निजी पक्षों/आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों की वसूली या समायोजन न होना एक प्रभावी निगरानी तंत्र की कमी को उजागर करता है।

(पैरा 3.4)

विभिन्न अवसरों पर कर्मचारियों को दिए गए ₹ 14.27 लाख के अस्थायी अग्रिमों का समायोजन निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया गया था।

(पैरा 3.5)

उपदान और अवकाश नकदीकरण देनदारियों का वास्तविक मूल्यांकन नहीं किया गया था, जिससे सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए एएस-15 की आवश्यकताओं का उल्लंघन हुआ।

(पैरा 3.6)

बोर्ड के निर्देशों के बावजूद, आईआईएमआर ने कोई लेखांकन नियमावली तैयार नहीं की है, जो लेखांकन प्रक्रियाओं में कमजोर आंतरिक नियंत्रणों को दर्शाता है।

(पैरा 3.7)

आईआईएम, रोहतक ने ₹ 217.91 करोड़ का अधिशेष अर्जित किया और पिछले छः वर्षों में छात्रों की वार्षिक फीस में वृद्धि की, जबकि प्राप्तियों और व्यय का अनुमान लगाने के लिए कोई वार्षिक बजट तैयार नहीं किया था।

(पैरा 3.8)

अध्याय IV: अधिप्राप्ति एवं अनुबंध प्रबंधन

कमजोर वित्तीय नियंत्रणों, कार्यों के अनुबंधों का अननुपालन और सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण परिहार्य और अनियमित व्यय हुआ। मुख्य लेखा पदों को भरने के बावजूद, संस्थान ने एक जैसे कार्यों के लिए कई बाहरी फर्मों को नियुक्त किया, जिसके परिणामस्वरूप कार्यों का दोहराव हुआ और ₹ 7.27 लाख का परिहार्य व्यय हुआ। इसके अलावा, ₹ 1.43 लाख की लागत पर एक निजी सनदी लेखाकार फर्म को नियुक्त करना, जबकि वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार पहले ही ₹ दो लाख के मानदेय पर किसी अन्य अधिकारी को सौंपा जा चुका था जो मानदेय देने के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देता है। आरएफपी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए एक अनर्ह आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति और उसके कार्यकाल में वृद्धि करना, अधिप्राप्ति संबंधी मानदंडों का अनुपालन न किए जाने का संकेत देता है।

(पैरा 4.1)

500 एसी इकाइयों की अधिप्राप्ति का अनुबंध एक ऐसे अनर्ह बोलीकर्ता को दे दिया गया, जो निविदा की पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता था, इससे निविदा की शर्तों के प्रति निष्पक्षता और अनुपालन की भावना को कमजोर किया। इसके अतिरिक्त, अनुबंध समझौते की अनुमेय विचलन प्रावधान की सीमा से बाहर जाकर 30 दो-टीआर एसी इकाइयां खरीदी गई, जिसके लिए प्रतिस्पर्धी

बोली प्रक्रिया को अनदेखा कर दिया गया। ई-अधिप्राप्ति संबंधी आवश्यकताओं से विचलन और बोलीकर्ताओं के मूल्यांकन में विसंगतियों के कारण, एक ही बोलीकर्ता को वास्तविक अनुमान से अधिक दरों पर अनुबंध दे दिया गया, जो जीएफआर और सीवीसी के मानदंडों का उल्लंघन था। संस्थान ने निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद, बिना किसी उचित कारण के अपने अनुमानित बजट को बढ़ा दिया जिसके परिणामस्वरूप एक ही बोलीकर्ता को वस्तविक अनुमान से अधिक दरों पर अनुबंध देना संभव हो पाया।

(पैरा 4.2)

ब्याज-मुक्त कार्य आरंभ अग्रिम और इस अग्रिम राशि की वसूली में विलंब अथवा अनियमित वसूली के कारण, संविदाकर्ता को ₹ 3.83 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाया गया।

(पैरा 4.3)

निविदा को निरस्त करना, मजदूरी का भुगतान नकद में करना और भविष्य निधि (पीएफ) अंशदानों का सत्यापन न करना इन सभी कारणों से मौजूदा संविदाकर्ता को विशेष प्राथमिकता दी गई। साथ ही, कुल ₹ 5.80 करोड़ के भुगतानों के संबंध में वैधानिक नियमों का ठीक से अनुपालन नहीं किया।

(पैरा 4.4)

पुरानी मजदूरी दरों को स्वीकार करने और भविष्य निधि में कोई अंशदान न देने के कारण वैधानिक वेतन नियमों का उल्लंघन हुआ, श्रमिकों को कम भुगतान किया गया और संविदाकर्ता को अनुचित लाभ मिला।

(पैरा 4.5)

कई बोलीकर्ताओं के साथ निविदा के बाद चर्चा, नियमों के विपरीत वेतन/भविष्य निधि (पीएफ) बोलियों को स्वीकार करना और लगातार समय-सीमा बढ़ाना जैसे कारणों ने श्रमिकों को कम भुगतान और सुरक्षा संविदाकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने में सहायता की।

(पैरा 4.6)

कर्मचारी भविष्य निधि प्रेषण की जांच/सत्यापन न करने के कारण वैधानिक नियमों का अनुपालन नहीं हुआ। दावा किए गए ₹ 12.56 लाख के विरुद्ध केवल ₹ 5.28 लाख ही जमा किए गए और कई महीनों तक ईपीएफ जमा से संबंधित भुगतान की जांच असत्यापित रह गई।

(पैरा 4.7)

टी-शर्ट और ट्रैकसूट के स्टॉक का पर्याप्त सत्यापन एवं मिलान न करने के कारण आवश्यकता से अधिक अधिप्राप्ति की गई। इलेक्ट्रिक और ई-वेस्ट को सीपीसीबी-पंजीकृत रीसाइक्लर के बजाय स्थानीय कबाड़ी वालों के जरिए निपटाया गया। इसके अलावा, ₹ 3.96 करोड़ की लागत से खरीदे गए 724 एयर-कंडीशनर में से केवल 18 को ही स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया गया, जिससे संपत्ति के लेखांकन, आंतरिक नियंत्रण और जीएफआर तथा ई-वेस्ट नियमों के अनुपालन में कमियों का पता चलता है।

(पैरा 4.8)

सीमित निविदा इन्क्वायरी मानदंडों का उल्लंघन, एक अमान्य बोली की स्वीकृति और मिलीभगत पूर्ण बोली के संकेतों ने ₹ 19.21 लाख मूल्य की 3,000 टी-शर्ट की अ-पारदर्शी अधिप्राप्ति को दर्शाया, जिसमें एक ही विक्रेता की बार-बार भागीदारी पाई गई।

(पैरा 4.9)

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) पर विक्रताओं की उपलब्धता के बावजूद, आईआईएमआर ने अनुपलब्धता प्रमाण पत्र के बिना ही ₹ 12.45 करोड़ मूल्य की 370 खरीद प्रक्रियाओं में जेम को अनदेखा किया।

(पैरा 4.10)

आईआईएमआर ने निविदा आमंत्रित किए बिना विशेष रूप से ओला के माध्यम से वाहनों को किराए पर लिया और वर्ष 2018-25 के दौरान ₹ 1.73 करोड़ की असुरक्षित अग्रिम राशि जमा की, जो किसी अनुबंध या सुरक्षा उपायों के बिना जीएफआर नियमों का उल्लंघन है।

(पैरा 4.11)

अध्याय V: स्थापना एवं मानव संसाधन प्रबंधन

10 व्यक्तियों को बिना किसी समर्थित भर्ती अभिलेखों– जैसे कि सेवा पुस्तिकाओं या चयन दस्तावेजो के ही वेतन के रूप में ₹ 88.64 लाख का भुगतान किया गया।

(पैरा 5.1)

20 संकाय सदस्यों को अनिवार्य नोटिस या कार्यभार ग्रहण करने के खर्चों की वसूली के बिना त्यागपत्र देने की अनुमति दी गई, जिससे ₹ 52.34 लाख की हानि हुई। अतिरिक्त चूकें, जिसमें अधिक प्रतिपूर्ति और वितीय अभिलेखों में विसंगतियां सम्मिलित हैं, जो नियमों और नियंत्रणों के कमजोर अनुपालन को दर्शाती हैं।

(पैरा 5.2)

निर्धारित सीमाओं के बिना ₹ 7.49 करोड़ की राशि के मानदेय और प्रोत्साहनों का भुगतान किया गया, जिसमें कई मामलों में भुगतान वेतन के 100 प्रतिशत से अधिक था और अतिरिक्त लाभ के रूप में उच्च मूल्य की मदें वितरित की गई।

(पैरा 5.3)

शिक्षण मानदंडों में अननुमोदित परिवर्तनों और रूपांतरणों ने संकाय सदस्यों को ₹ 91.20 लाख के प्रोत्साहनों के लिए पात्र बना दिया, जिसमें विभिन्न वर्षों में आगे भी अधिक और असत्यापनीय भुगतान किए गए। बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानदंडों से विचलन के परिणामस्वरूप ₹ 99.55 लाख से अधिक का अनुचित भुगतान हुआ।

(पैरा 5.4)

कार्यभार अनुपालन दस्तावेजों के गायब होने या अपर्याप्त होने के बावजूद ₹ 10.65 लाख के अनुसंधान प्रोत्साहन प्रदान किए गए और पात्रता मानदंडों का लगातार सत्यापन नहीं किया गया था।

(पैरा 5.5)

संस्थान ने श्रेणी-वार रोस्टर नहीं बनाए, जिसके कारण अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति संकायों का प्रतिनिधित्व लंबे समय तक कम रहा।

(पैरा 5.6)

समझौता ज्ञापन के अभाव में, मामलों के अधूरे अभिलेख और निर्धारित शुल्क संरचनाओं का अनुपालन न करने के कारण तीन विधिक सलाहकारों को किए गए ₹ 32.59 लाख के भुगतान असत्यापनीय थे और भारत सरकार के मानदंडों से अधिक थे। इसके अतिरिक्त, बिलों को छिपाने/उनके साथ छेड़छाड़ करने और वास्तविक प्रतियों के गायब होने के कारण 30 वाउचरों के तहत किए गए ₹ 16.33 लाख के भुगतान असत्यापनीय हो गए, जिससे सार्वजनिक निधियों के दुरुपयोग की आशंका उत्पन्न हुई।

(पैरा 5.7)

आईआईएमआर ने ₹ 17.22 लाख की राशि वाले 19 अनियमित एलटीसी दावों को भुगतान के आगे बढ़ाया, जहां यात्रा निजी एयरलाइंस या अनधिकृत एजेंसियों के माध्यम से की गई थी, जो भारत सरकार के अनिवार्य एलटीसी नियमों के विपरीत थी और बोर्ड की बैठकों के लिए एक अनधिकृत निजी एजेंसी के माध्यम से ₹ 16.26 लाख की हवाई यात्रा की बुकिंग भी की, जिसमें अनियमित विस्तारित यात्रा कार्यक्रम का एक मामला सम्मिलित है, जो सरकार द्वारा अनिवार्य यात्रा प्रक्रियाओं का उल्लंघन करता है।

(पैरा 5.8)

31 अवसरों पर की गई विदेश यात्राओं में ₹ 5.87 लाख का असत्यापनीय भुगतान, पात्रता और दस्तावेजीकरण के कई उल्लंघन, अनधिकृत टिकट क्रय और अधिक भुगतान सम्मिलित थे, जो संकाय नियमावली और भारत सरकार के यात्रा मानदंडों के व्यापक अननुपालन को दर्शाते हैं।

(पैरा 5.9)

आईआईएमआर ने एनडीपी की तय सीमा का उल्लंघन करते हुए तीन अतिरिक्त कर्मचारी वाहन खरीदे।

(पैरा 5.10)

2,200 किलोवाट के कनेक्टेड लोड के बावजूद, आईआईएमआर ने 2018 में देय अनिवार्य ऊर्जा लेखापरीक्षा का आयोजन नहीं करवाया, जिसके परिणामस्वरूप विनियमों का अनुपालन नहीं हुआ और दक्षता में सुधार के अवसरों में चूक हुई।

(पैरा 5.11)

मुख्य अनुशंसाएँ:

अध्याय II

- आईआईएमआर यह सुनिश्चित करे कि शासी मण्डल का गठन आईआईएम अधिनियम और नियमों के अनुसार सभी वैधानिक पदों को तुरंत भरकर, पात्रता की जांच करके और सदस्यों की प्रत्येक श्रेणी के लिए एक पारदर्शी, सही तरीके से प्रलेखित चयन प्रक्रिया का पालन करके किया जाए।
- मंत्रालय संस्थान को अपने विनियमों को कानून एवं न्याय मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा परीक्षित और अनुमोदित संस्करण के साथ सख्ती से संरेखित करने के निर्देश जारी करने पर विचार करे।
- मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है कि आईआईएमआर वैधानिक योजनाएं और वार्षिक बजट तैयार करके, शासी मण्डल की स्वीकृति प्राप्त करके और रिपोर्ट के प्रकटीकरण के साथ त्रैवार्षिक स्वतंत्र निष्पादन समीक्षा आयोजित करके आईआईएम अधिनियम और नियमों का पूरी तरह से अनुपालन करे।

अध्याय III

- आईआईएमआर को सटीक और अनुपालन युक्त वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए, लेखांकन मानक-15 के अंतर्गत आवश्यकतानुसार, एक योग्य बीमांकक से उपदान और अवकाश नकदीकरण का बीमांकिक मूल्यांकन प्राप्त करना चाहिए।
- मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि आईआईएमआर रणनीतिक योजना के मार्गदर्शन के लिए एक दीर्घकालिक वित्तीय और शैक्षणिक विजन दस्तावेज तैयार करे और अपने अ-लाभकारी तथा किफायती शिक्षा के शासनादेश के अनुरूप फीस को तर्कसंगत बनाए।

अध्याय IV

- आईआईएम, रोहतक को जीएफआर और सीवीसी दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन करते हुए निविदा रहित वस्तुओं के लिए नई निविदा के माध्यम से पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी खरीद सुनिश्चित करना चाहिए। अनिवार्य ई-प्रोक्योरमेंट और पात्रता शर्तों को समान रूप से और दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित वस्तुनिष्ठ रूप से लागू किया जाना चाहिए।
- आईआईएमआर को वित्तीय और अनुपालन जोखिमों को कम करने के लिए पारदर्शी निविदा परिणामों और बैंक-आधारित वेतन भुगतान और पीएफ अनुपालन के स्वतंत्र सत्यापन को सुनिश्चित करके खरीद और अनुबंध नियंत्रण को सुदृढ़ करना चाहिए।

- मंत्रालय आईआईएमआर को जीएफआर प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करने, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी विक्रेता चयन प्रक्रिया अपनाने और अधिप्राप्ति और अनुबंध प्रबंधन में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए सुरक्षा तथा उपाय करने के लिए निर्देश जारी करने पर विचार करे।

अध्याय V

- मंत्रालय संवितरण के लिए एक समान, पारदर्शी और राजकोषीय रूप से विवेकपूर्ण ढांचा स्थापित करने के लिए अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत समन्वय फोरम को आईआईएम में संकाय मानदेय और प्रोत्साहन के मामलों को संदर्भित करने पर विचार करे।
- संस्थान को सभी प्रोत्साहन योजनाओं को कडाई से शासी मण्डल -अनुमोदित मानदंडों के साथ संरेखित करना चाहिए, अनुचित भुगतानों की समीक्षा करनी चाहिए और पारदर्शी और लेखापरीक्षित संवितरण को सक्षम करने के लिए पूर्ण एएआर-आधारित दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।
- मंत्रालय सभी मामलों में सरकार/संस्थान के दिशानिर्देशों/जीएफआर प्रावधानों के अनुपालन न करने पर संस्थान से स्पष्टीकरण मांगे और जहां भी आवश्यकता हो, सुधारात्मक कार्रवाई करे।

अध्याय I

प्रस्तावना

अध्याय-I: प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के संबंध में

यह प्रतिवेदन भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक (आईआईएमआर) की अनुपालन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्षों को प्रस्तुत करता है। इन निष्कर्षों का उद्देश्य सुधारात्मक कदम उठाना और ऐसी नीतियां व निर्देश बनाना है जिनका लक्ष्य आईआईएमआर के वित्तीय प्रबंधन को मज़बूत करना और उसके पूरे शासन को बेहतर बनाना है।

1.2 भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक के बारे में

भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक (आईआईएमआर) की स्थापना 2009 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय) ने की थी। यह आईआईएम की दूसरी पीढ़ी का हिस्सा था जिसे देश में अच्छी गुणवत्ता वाली प्रबंधन शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था। इसे भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता मिली हुई है।

संस्थान का मुख्य कार्य प्रबंधन के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। यह शिक्षा पूरे समय चलने वाले नियमित कार्यक्रमों के साथ-साथ अलग-अलग समय के दीर्घ और लघु ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से दी जाती है।

निधि (फंडिंग) की सरंचना

आईआईएमआर शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य करता है जिसके निधि तंत्र (फंडिंग मॉडल) में सम्मिलित हैं:

- भारत सरकार से मिलने वाला अनुदान जो मुख्य तौर पर अवसरंचना और विकास से जुड़ी आवश्यकताओं के लिए होता है।
- आंतरिक रूप से उत्पन्न आय जिसमें ये सम्मिलित अंतर्गत हैं:
    - ट्यूशन और कार्यक्रम शुल्क (फ्लैगशिप और कार्यकारी कार्यक्रमों से),
    - परामर्शदाता परियोजना
    - प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) और
    - प्रायोजित अनुसन्धान पहल।

समय के साथ, संस्थान वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ा, हालांकि सरकार से मिलने वाली पूंजीगत सहायता 2019-20 तक जारी रही।

परिसर और अवसरंचना

प्रारंभ में संस्थान महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक में बने एक अस्थायी परिसर से कार्य कर रहा था। बाद में, 2018 में यह अपने स्थायी परिसर में चला गया, जो सुनारिया, रोहतक, हरियाणा में स्थित है। यह स्थायी परिसर लगभग 200 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें ये सम्मिलित हैं:

- शैक्षणिक खंड, ज्ञान/संसाधन केंद्र (लाइब्रेरी), छात्रावास एवं आवासीय क्वार्टर।
- खेल, छात्र गतिविधियों और कार्यक्रमों के लिए सुविधाएं।
- डिजिटल लर्निंग और मिश्रित शिक्षण मॉडल समर्थित करने के लिए अवसरंचना।

शैक्षणिक कार्यक्रम एवं छात्रों का प्रवेश

आईआईएमआर कई तरह के शैक्षणिक कार्यक्रम चलाता है, जिनमें सम्मिलित हैं

- प्रबंधन में स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीपी)- दो वर्ष का प्रमुख आवासीय एमबीए-समकक्ष कार्यक्रम।
- प्रबंधन में फेलो कार्यक्रम (एफपीएम)- डॉक्टरेट स्तर का कार्यक्रम।
- कार्यकारी स्नातकोत्तर कार्यक्रम (ईपीजीपी)- कार्यरत पेशेवरों के लिए अभिकल्पित किया गया।
- प्रबंधन में समेकित कार्यक्रम (आईपीएम)- 12वीं कक्षा के बाद छात्रों के लिए पांच वर्ष का कार्यक्रम।
- कानून में एकीकृत कार्यक्रम (आईपीएल)- कानून और प्रबंधन शिक्षा को संयोजित करने वाला एक विशिष्ट पंचवर्षीय कोर्स।
- प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) और कार्यकारी और सरकारी अधिकारियों के लिए अल्पकालिक प्रमाण पत्र आधारित कार्यक्रम।

शासन और नेतृत्व

आईआईएमआर का संचालन एक शासी मण्डल द्वारा किया जाता है, जिसका गठन आईआईएम अधिनियम, 2017 के अनुसार किया गया है। बोर्ड में भारत सरकार के प्रतिनिधि, जाने-माने शिक्षाविद, उद्योग जगत के नेता और सार्वजनिक हस्तियां सम्मिलित होती हैं। निदेशक संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं और संस्थान को नेतृत्व प्रदान करते हैं।

संस्थान शैक्षणिक, वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में स्वायत्तता के साथ कार्य करता है, जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित नीतिगत दिशानिर्देशों और आईआईएमआर अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक प्रावधानों के अधीन होता है।

1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक की लेखापरीक्षा, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अनुरोध पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत की गई। यह लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा जारी लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2020 के विनियम 13 के प्रावधानों के अनुसार की गई।

लेखापरीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य आईआईएमआर में वित्तीय प्रबंधन और संस्थागत शासन का एक स्वतंत्र और साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन करना था। लेखापरीक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों में निम्नलिखित की जांच करना सम्मिलित था:

- क्या संस्थान का शासन आईआईएमआर अधिनियम नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया गया था।
- क्या वित्तीय विवरण और प्रकटीकरण सटीक और विश्वसनीय थे।
- क्या व्यय में औचित्य, वित्तीय विवेक और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का अनुपालन किया गया था।
- क्या आंतरिक नियंत्रण, आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र और निगरानी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थीं।

1.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

यह लेखापरीक्षा 19 मार्च 2025 से 9 मई 2025 तक आयोजित की गई थी और लेखापरीक्षा के क्षेत्र में वित्तीय और परिचालन अभिलेखों की केंद्रित जांच सम्मिलित थी, जैसा कि नीचे बताया गया है:

- **वित्तीय विवरणों की जांच:** लेखापरीक्षा में वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2023-24 तक के वित्तीय विवरणों को सम्मिलित किया गया, ताकि संस्थान की स्थापना के बाद से निधि प्रवाह, परिसंपत्ति निर्माण, देनदारियों और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं में दीर्घकालिक प्रवृतियों का आकलन किया जा सके।
- **परिचालन एवं लेनदेन संबंधी अभिलेखों की समीक्षा:** 2019-20 से 2024-25 की अवधि के लिए वित्तीय लेनदेन, खरीद प्रक्रियाओं, अनुबंधों, मानव संसाधनों, प्रशासनिक निर्णयों और संबंधित अभिलेखों की विस्तृत जांच की गई, ताकि हाल की प्रथाओं, अनुपालन और संस्थागत कार्यप्रणाली का आकलन किया जा सके।
- **आंतरिक नियंत्रण और अनुपालन ढांचे का मूल्यांकन:** लेखापरीक्षा ने आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता, आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की भूमिका और निष्पादन, सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), 2017 का अनुपालन और शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 के लागू प्रावधानों के अनुपालन की जांच की।

1.5 लेखापरीक्षा पद्धति

यह लेखापरीक्षा विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं और दस्तावेजी समीक्षा के संयोजन का उपयोग करके आयोजित की गई थी। इसके अलावा आईआईएमआर के कर्मचारियों और आंतरिक लेखापरीक्षक के साथ चर्चा भी की गई। अभिलेखों की जांच में मुख्य रूप से निम्नलिखित सम्मिलित थे:

- 2009-10 से 2023-24 की अवधि के लिए तुलन पत्र और संबंधित अनुसूचियों, आय एवं व्यय खातों तथा उपयोगिता प्रमाणपत्रों की समीक्षा, परिसंपत्ति निर्माण, देनदारियों और वित्तीय रिपोर्टिंग में प्रवृतियों का आकलन किया जा सके, साथ ही लेखांकन मानकों और अन्य दिशानिर्देशों के अनुपालन का भी आकलन किया जा सके।
- वित्तीय लेनदेन की सटीकता और औचित्य का मूल्यांकन करने के लिए चयनित लेनदेन के वाउचर, लेजर और सहायक दस्तावेजों का सत्यापन।

- शासन प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रण तंत्रों का आकलन करने के लिए प्रशासनिक फाइलों, अनुबंधों, खरीद अभिलेखों और मानव संसाधन (एचआर) दस्तावेजों की समीक्षा।
- लेखापरीक्षा के निष्कर्ष आईआईएमआर को जारी किए गए थे और प्राप्त प्रतिक्रियाओं को संबंधित पैरों के अंतर्गत यथोचित रूप से सम्मिलित किया गया है। यह प्रतिवेदन 31 दिसंबर 2025 को शिक्षा मंत्रालय को जारी किया गया था। इसका उत्तर 16 अप्रैल 2026 को प्राप्त हुआ जिसे यथोचित रूप से इसमें सम्मिलित कर लिया गया है।

1.6 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंडों के स्रोतों में निम्नलिखित सम्मिलित थे:

- भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017
- भारतीय प्रबंधन संस्थान नियम, 2018
- भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक विनियम, 2021
- भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक की संकाय नियमावली
- भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक (सोसाइटी) नियम, 2009
- सामान्य वित्तीय नियम, 2017
- शासी मण्डल की बैठकों में लिए गए निर्णय
- लेखांकन मानक
- सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली
- सीवीसी दिशानिर्देश
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
- कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
- हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड द्वारा जारी अधिसूचनाएं
- डीसी, रोहतक द्वारा अधिसूचित वेतन/मजदूरी की न्यूनतम दरें
- कार्यों की अधिप्राप्ति के लिए मैनुअल, 2019
- अवकाश यात्रा रियायत/यात्रा भत्ता /चिकित्सा/विधिकार्य/संपदा/ई-वेस्ट प्रबंधन नीति आदि के संबंध में भारत सरकार/वित्त मंत्रालय/शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश/नियम
- आईआईएमआर द्वारा अपनाई गई विदेश यात्रा नीति
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएं

1.7 आईआईएमआर की लेखापरीक्षा के दौरान आई बाधाएं

आईआईएमआर की लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा टीम को अभिलेखों को प्रस्तुत करने में विलंब और अभिलेखों/दस्तावेजो के अनुचित रखरखाव जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ा। इसलिए, इस प्रतिवेदन में प्रस्तुत लेखापरीक्षा टिप्पणियां और निष्कर्ष उपलब्ध अभिलेखों के सर्वोत्तम संभव आकलन पर आधारित हैं।

अध्याय II

शासन एवं नियामक ढांचा

अध्याय - II: शासन एवं नियामक ढांचा

2.1 आईआईएमआर के शासी मण्डल का गठन

आईआईएम अधिनियम, 2017 की धारा 10(1) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक संस्थान का शासी मण्डल उस संस्थान का मुख्य कार्यकारी बॉडी होगा। प्रत्येक संस्थान का बोर्ड संस्थान के मामलों के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने 13 नवंबर 2018 के पत्र द्वारा शासी मण्डल के गठन के संबंध में पूर्व में जारी सभी आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, आईआईएम अधिनियम, 2017 की धारा 10 के अंतर्गत आईआईएम रोहतक के शासी मण्डल का गठन किया। एमएचआरडी ने तीन सदस्यों (संयुक्त सचिव- केंद्र सरकार के नामांकित व्यक्ति, राज्य सरकार के नामांकित व्यक्ति और निदेशक आईआईएमआर) को नियुक्त किया और निर्देश दिया कि बोर्ड उद्योग या शिक्षा या विज्ञान या प्रौद्योगिकी या प्रबंधन या लोक प्रशासन या ऐसे अन्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया कि इस प्रकार गठित बोर्ड शेष सदस्यों की नियुक्ति के लिए आईआईएम अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार विनियम तैयार करेगा और तदनुसार पूर्ण बोर्ड का गठन किया जाएगा।

आईआईएम अधिनियम, 2017 की धारा 10(2) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक संस्थान के बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:

(ए) बोर्ड उद्योग या शिक्षा या विज्ञान या प्रौद्योगिकी या प्रबंधन या लोक प्रशासन या ऐसे अन्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से किसी एक को अध्यक्ष नियुक्त करेगा;

(बी) केंद्रीय सरकार का एक नामांकित व्यक्ति, जिसके पास प्रबंधन शिक्षा का कार्यभार है या उसका प्रतिनिधि;

(सी) संबंधित राज्य सरकार का एक नामांकित व्यक्ति या ऐसे नामांकित व्यक्तियों का प्रतिनिधि, जिनके क्षेत्राधिकार में संस्थान स्थित है;

(डी) चार प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिनमें से कम से कम एक महिला होनी चाहिए, जो शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, समाज सेवा या लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हों, जिन्हें बोर्ड द्वारा नामित किया जाएगा, जिनके पास ऐसा अनुभव हो और ऐसे तरीके से हो जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है;

(ई) संबंधित संस्थानों के संकाय के दो सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा, जो बोर्ड द्वारा विनियमों के अनुसार निर्धारित तरीके से होगा;

(एफ) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से एक व्यक्ति जिसे खंड (डी), (ई) और (जी) में उल्लिखित सदस्यों में से बोर्ड द्वारा नामित किया जाएगा;

(जी) बोर्ड, मौजूदा संस्थान के पूर्व छात्रों या समाज के सदस्यों में से ऐसे अधिकतम पांच लोगों को सम्मिलित कर सकता है जिन्होंने प्रबंधन के क्षेत्र में विशेष पहचान बनाई हो बशर्ते कि इन पांच लोगों में से, समाज के एक से अधिक सदस्य न हो।

(एच) खंड (डी), (ई) और (जी) में बताए गए सदस्यों में से बोर्ड द्वारा नामित की जाने वाली तीन महिला सदस्य;

(आई) संस्थान के निदेशक, पदेन सदस्य।

दिसंबर 2018 से सितंबर 2024 तक की अवधि के लिए शासी मण्डल के एजेंडा और उपलब्ध अभिलेख की समीक्षा से पता चला कि सांविधिक आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया।

(i) आईआईएम अधिनियम, 2017 की धारा 10(2)(जी) के अंतर्गत पूर्व छात्र सदस्यों का चयन

दिसंबर 2018 में, तीन सदस्यीय पहली शासी मण्डल ने पूर्व छात्र-श्रेणी के रिक्त पदों के लिए पांच व्यक्तियों के नामों को स्वीकृति दी और उनमें से चार बाद में मार्च 2019 में बोर्ड में सम्मिलित हुए। मार्च 2020 में इस श्रेणी में अपूरित रिक्ति के प्रति एक पूर्व छात्र को नामांकित किया गया था। हालांकि, इन व्यक्तियों के चयन के लिए चयन मानदंड और प्रक्रिया आईआईएमआर द्वारा प्रलेखित नहीं की गई थी।

आईआईएमआर ने उत्तर (जून/अक्तूबर 2025) में बताया कि एमएचआरडी के 13 नवंबर 2018 के पत्र के माध्यम से बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था और आईआईएमआर के बोर्ड में तीन सदस्यों को नामित किया गया था। शेष सदस्यों को आईआईएम अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड में नामित किया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि मंत्रालय ने उपर्युक्त पत्र के माध्यम से तीन सदस्यों (संयुक्त सचिव-केन्द्रीय सरकार के नामांकित व्यक्ति, राज्य सरकार के नामांकित व्यक्ति और निदेशक आईआईएमआर) के साथ आईआईएमआर बोर्ड का गठन किया और निर्देश दिया कि बोर्ड उद्योग या शिक्षा या विज्ञान या प्रौद्योगिकी या प्रबंधन या लोक प्रशासन या ऐसे अन्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक को अध्यक्ष नियुक्त करेगा। मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया कि इस प्रकार गठित बोर्ड शेष सदस्यों की नियुक्ति के लिए आईआईएम अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार विनियम तैयार करेगा और तदनुसार पूर्ण बोर्ड का गठन किया जाएगा। मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार आईआईएमआर ने नए अध्यक्ष की नियुक्ति किए बिना, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को ही अध्यक्ष के रूप में बनाए रखा। आईआईएमआर ने मंत्रालय के निर्देशों की अवहेलना करते हुए विनियमों को अधिसूचित किए बिना बोर्ड का विस्तार भी किया।

(ii) आईआईएम अधिनियम, 2017 की धारा 10(2)(डी) के अन्तर्गत प्रतिष्ठित व्यक्तियों का चयन

चार प्रतिष्ठित सदस्यों के लिए वैधानिक प्रावधान के बावजूद, दिसंबर 2018 और जून 2020 के बीच बोर्ड में किसी को भी सम्मिलित नहीं किया गया था। जून 2020 में केवल दो प्रतिष्ठित

व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया था और शेष दो को क्रमशः सितंबर 2021 और मार्च 2023 में नियुक्त किया गया था, जो इस श्रेणी को पूरी तरह से गठित करने में चार वर्ष से अधिक के विलंब को दर्शाता है।

आईआईएमआर ने उत्तर दिया (जून/अक्तूबर 2025) कि पुनर्गठन के बाद से बोर्ड की संख्या तीन से बढ़कर 14 हो गई है। हालांकि संस्थान के उत्तर में नियुक्ति में विलंब का कारण नहीं बताया गया। इसके अलावा, बैठक के अभिलेख से पता चला कि जून 2019-जनवरी 2020 के दौरान बोर्ड में सदस्यों की संख्या निर्धारित संख्या से कम रही।

(iii) आईआईएम अधिनियम, 2017 की धारा 10(2)(ई) के अंतर्गत संकाय प्रतिनिधियों का चयन और कार्यकाल

अधिनियम और आईआईएमआर विनियम, 2021 के अनुसार यह आवश्यक है कि शासी मण्डल में संकाय सदस्यों को एक परिभाषित प्रक्रिया के माध्यम से नामित किया जाए, जिसमें अकादमिक परिषद द्वारा उनकी स्क्रीनिंग और अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति सम्मिलित है और विनियम यह अनिवार्य करता है कि नामांकित व्यक्ति कम से कम 15 वर्ष के अनुभव के साथ पूर्ण या एसोसिएट प्रोफेसर हों। इसके अलावा, विनियम 4(4) में यह प्रावधान किया गया है कि सदस्य का कार्यकाल दो वर्ष का होगा और वह दो वर्ष के अंतराल के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए पात्र होगा। उपलब्ध अभिलेख की लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो संकाय सदस्य शुरू में 2018-19 में विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में बैठकों में सम्मिलित हुए थे और उन्हें जून 2019 से दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्ण सदस्य बनाया गया था। वे अनिवार्य दो वर्ष की कूलिंग-ऑफ अवधि के बिना, इस अवधि के काफी बाद तक, 2024 तक बोर्ड में बने रहे। हालांकि, संकाय प्रतिनिधियों के लिए अपनाई गई चयन प्रक्रिया के संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया था। एक अन्य मामले में, जून 2024 में, संकाय प्रतिनिधित्व के अंतर्गत केवल 15 वर्षों के अनुभव वाले प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर को ही योग्य घोषित करने वाले पात्रता मानदंडों के विपरीत, एक सहायक प्रोफेसर को संकाय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था।

उत्तर में आईआईएमआर ने कहा (अक्तूबर 2025) कि कार्यकाल दो वर्ष का है और पहला कार्यकाल समाप्त होने पर दूसरे कार्यकाल की अनुमति है।

विस्तार और पुनर्नियुक्ति पर संस्थान का उत्तर (अक्तूबर 2025) अधिनियम और विनियमों के अनुरूप नहीं था, जिसके लिए अधिसूचित प्रक्रियाओं के अनुसार नियुक्तियों की आवश्यकता होती है।

(iv) धारा 10(2)(एफ) के अंतर्गत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का चयन

दिसंबर 2018 से मार्च 2023 तक, वैधानिक आवश्यकता के बावजूद, शासी मण्डल में अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के अंतर्गत कोई सदस्य नहीं था। संस्थान ने कहा कि नामांकन मांगे गए थे लेकिन सहमति नहीं मिली थी। हालांकि, लेखापरीक्षा के लिए

कोई समर्थित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था और यह दावा कि एक सहायक प्रोफेसर को एससी/एसटी श्रेणी के अंतर्गत नामित किया गया था, जांच किए गए दस्तावेजों से सिद्ध नहीं हुआ।

(v) धारा 10(2)(एच) के अंतर्गत महिला सदस्यों का नामांकन

आईआईएम अधिनियम, 2017 की धारा 10(2)(एच) के अनुसार बोर्ड में तीन महिला सदस्यों की आवश्यकता थी। जून 2019 और सितंबर 2021 के बीच, केवल एक महिला सदस्य थी, जबकि सितंबर 2021 और मार्च 2024 के बीच, दो महिला प्रतिनिधि थी। शासी मण्डल जून 2024 में ही तीन महिलाओं की पूर्ण संख्या तक पहुंच पायी, हालांकि इनमें से एक सदस्य संकाय मानदंडों के अंतर्गत अपात्र थी। यह वैधानिक आवश्यकताओं के लंबे समय तक अननुपालन को इंगित करता है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में कहा कि शासी मण्डल आईआईएम अधिनियम और आईआईएम नियमों के प्रावधान का अनुपालन करने में विफल रहा, जबकि सदस्यों का चयन शासी मण्डल के पास निहित था।

अनुशंसा:

आईआईएमआर यह सुनिश्चित करे कि शासी मण्डल का गठन, आईआईएम अधिनियम और नियमों के अनुसार सभी वैधानिक पदों को तुरंत भरकर, पात्रता की जांच करके और सदस्यों की प्रत्येक श्रेणी के लिए एक पारदर्शी, सही तरीके से प्रलेखित चयन प्रक्रिया का पालन करके किया जाए।

2.2 नियामक ढांचे के अनुपालन में अनियमितताएं

भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 (अधिनियम) की धारा 32 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक संस्थान अपनी नीतियों या गतिविधियों के संबंध में ऐसे विवरण या अन्य जानकारी केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा, जैसा कि केंद्र सरकार, संसद को रिपोर्ट करने के उद्देश्य से या समय-समय पर नीति बनाने के लिए, आवश्यक हो।

अधिनियम की धारा 35(1) में यह प्रावधान है कि बोर्ड, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए ऐसे विनियम बनाए जो इस अधिनियम और इसके अंतर्गत नियमों के असंगत न हों। अधिनियम की धारा 37 में यह भी प्रावधान है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड द्वारा बनाया गया पहला विनियम, बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

शिक्षा मंत्रालय ने 19 अगस्त 2021 को कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जांच के बाद संस्थान के मसौदा नियमों को मंजूरी दे दी और संस्थान को प्रकाशन नियंत्रक के माध्यम से उन्हें अधिसूचित करने का निर्देश दिया। हालांकि निदेशक ने अधिसूचना के लिए विनियमों को अग्रेषित किया, लेखापरीक्षा में पाया गया कि शासी मण्डल ने 25 सितंबर 2021 को अपनी बैठक में, प्रकाशित करने के लिए भेजने से पहले जांच किए गए विनियमों में 28 परिवर्तन किए। यह

दर्शाने के लिए कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया कि अधिसूचना जारी होने से पहले इन संशोधनों को मंत्रालय के साथ साझा किया गया था या मंत्रालय द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया था।

इन परिवर्तनों की समीक्षा से जांचे गए संस्करण में कई परिवर्तन पाए गए:

(i) मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रावधान हटा दिए गए

दो मामलों में, शासी मण्डल ने मंत्रालय द्वारा सम्मिलित की गई शर्तों को हटा दिया, जैसे कि डिग्री प्रदान करने वाले कार्यक्रमों को यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए और निदेशक की वित्तीय शक्तियों का प्रयोग सामान्य वित्तीय नियमों के अनुरूप किया जाना चाहिए।

(ii) मंत्रालय द्वारा अस्वीकृत प्रावधानों को शासी मण्डल द्वारा फिर से सम्मिलित किया गया

मंत्रालय की अस्वीकृति के बावजूद, शासी मण्डल ने एक प्रावधान को फिर से सम्मिलित किया, जिसमें निदेशक या संकाय को रॉयल्टी, उपस्थिति शुल्क और अनुसंधान प्रोत्साहन को अपने पास रखने की अनुमति दी गई। यह प्रावधान केवल निदेशकों और संकाय से संबंधित था और पदों के सृजन और कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित व्यापक खंड के अनुरूप नहीं था।

(iii) मंत्रालय की स्वीकृति के बिना नए प्रावधान सम्मिलित करना

अधिसूचित विनियमों में दो नए प्रावधान सम्मिलित किए गए, जिनमें निदेशक को स्थायी संकाय का दर्जा देना भी सम्मिलित था। इस सम्मिलन के कारण स्थायी संकाय को उपलब्ध सभी लाभों को प्रभावी ढंग से निदेशक तक विस्तारित कर दिया। ये समावेशन न तो मंत्रालय को भेजे गए मसौदे का हिस्सा थे और न ही जांच किए गए संस्करण में अनुमोदित थे।

(iv) शासन और शक्तियों पर प्रभाव डालने वाले परिवर्तन

सात संशोधनों ने पदों के सृजन, कर्मचारियों की नियुक्ति और समाप्ति, प्रोत्साहन, प्रशासनिक नियंत्रण और पूंजीगत व्यय जैसे क्षेत्रों में निदेशक के अधिकार का विस्तार किया। दो और परिवर्तनों ने भर्ती नियमों और संकाय नियुक्तियों पर संस्थान की शक्तियों को बढ़ाया।

आईआईएमआर ने उत्तर में (जून/अक्तूबर 2025), कहा कि कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है और शासी मण्डल को अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने का अधिकार है।

इस प्रकार, संस्थान ने अधिनियम की धारा 32, 35 और 37 के अंतर्गत स्थापित निरीक्षण तंत्र को अनदेखा करते हुए, मंत्रालय को पूर्व सूचना दिए बिना 28 अनधिकृत संशोधन प्रस्तुत किए थे, जिससे नियामक प्रक्रिया की विश्वसनीयता कमजोर हुई।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमति व्यक्त की और कहा कि उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, विनियमों को पूरी तरह से जांचे गए संस्करण के अनुरूप किया जाए और जांच किए गए

विनियमों में किए गए एकतरफा परिवर्तनों के आधार पर लिए गए निर्णयों को निरस्त किया जाए या उपयुक्त सुधारात्मक उपाय किए जाएं।

अनुशंसा:

मंत्रालय संस्थान को अपने विनियमों को कानून एवं न्याय मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा परीक्षित और अनुमोदित संस्करण के साथ सख्ती से संरेखित करने के निर्देश जारी करने पर विचार करे।

2.3 निदेशक को परिवर्तनीय वेतन

आईआईएम अधिनियम, 2017 की धारा 11(2)(एल) निदेशक को विनियमों में निर्दिष्ट निष्पादन उद्देश्यों के आधार पर परिवर्तनीय वेतन का हकदार बनाती है। धारा 35(1) और 35(2)(एफ) के अंतर्गत, बोर्ड को विनियम बनाने का अधिकार है, जिसमें परिवर्तनीय वेतन के लिए निष्पादन उद्देश्यों को निर्धारित करने वाले विनियम भी सम्मिलित हैं। धारा 39(1)(सी) में यह प्रावधान है कि जब तक पहले विनियम अधिसूचित नहीं किए जाते, तब तक प्रत्येक संस्थान के मौजूदा नियम और उप-नियम लागू रहेंगे, जहां तक वे अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत न हों। आईआईएम रोहतक के विनियम 25 अक्तूबर 2021 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन पर ही प्रभावी हुए। विनियम 16(ए) और 16(बी) बोर्ड को निदेशक के लिए एक निष्पादन मैट्रिक्स विकसित करने और स्पष्ट करने की आवश्यकता है, जिसके आधार पर परिवर्तनीय वेतन निर्धारित किया जाएगा। विनियम 5(3) में आगे यह भी अपेक्षित है कि निदेशक हितों के टकराव से संबंधित सभी मामलों में स्वयं को अलग रखेंगे।

शासी मण्डल के एजेंडा की समीक्षा से निदेशक को परिवर्तनीय वेतन की मंजूरी में कई प्रक्रियात्मक कमियां सामने आई, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

i. अक्तूबर 2018 और दिसंबर 2020 के बीच, निदेशक के परिवर्तनीय वेतन पर बोर्ड ने कई अवसरों पर विचार-विमर्श किया, जिसमें वें बैठकें भी सम्मिलित थी जहां मामला पूर्व-अनुमोदित एजेंडे का हिस्सा नहीं था और उन अवधियों के दौरान जब बोर्ड का गठन आईआईएम अधिनियम की धारा 10(2)(डी) के अनुसार नहीं किया गया था। कई अवसरों पर, विशेष रूप से 39वीं, 41वीं, 42वीं, 44वीं और 48वीं बैठकों में, इस बात का कोई प्रलेखित प्रमाण नहीं था कि निदेशक ने अपने स्वयं के मुआवजे पर हुई चर्चा से स्वयं को अलग कर लिया था।

ii. बोर्ड ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा अनुशंसित मापदंडों के आधार पर निदेशक के परिवर्तनीय वेतन को 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए अनुमोदित किया, हालांकि, लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत अभिलेख में निष्पादन लक्ष्य, समर्थित गणना और मूल्यांकन दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।

iii. 25 अक्तूबर 2021 को विनियम प्रभावी होने के बावजूद, आईआईएम रोहतक ने पूर्वव्यापी रूप से उन्हें 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए ₹ 3.20 करोड़ (टीडीएस सहित) की परिवर्तनीय वेतन राशि को स्वीकृति देने और वितरित करने के

लिए लागू किया। ये भुगतान नियामक ढांचे के अनुरूप नहीं थे, जो विनियमों के अंतर्गत निर्धारित निष्पादन उद्देश्यों के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग की अनुमति नहीं देता है।

iv. 2021-22 और 2022-23 के लिए दी गई स्वीकृति में निष्पादन मैट्रिक्स, मूल्यांकन रिपोर्ट और केंद्र सरकार के नामांकित व्यक्ति के साथ परामर्श की पुष्टि सहित सहायक दस्तावेजों का अभाव था।

संस्थान ने उत्तर में कहा (जून/अक्तूबर 2025) कि निदेशक के परिवर्तनीय वेतन को मंजूरी देने के लिए बोर्ड सक्षम है और अक्तूबर 2018 में शासी मण्डल द्वारा मसौदा विनियमों को मंजूरी दी गई थी। संस्थान ने आगे कहा कि जब कभी भी परिवर्तनीय वेतन के मामले पर चर्चा हुई और इस पर निर्णय लिया गया, तब निदेशक ने ऐसी सभी बैठकों से खुद को विधिवत अलग कर लिया था, भले ही इस बात को अभिलेख में दर्ज किया गया हो या नहीं।

आईआईएम अधिनियम, 2017 की धारा 35(2)(एफ) के अनुसार, बोर्ड को परिवर्तनीय वेतन निर्धारित करते समय अधिसूचित विनियमों के अंतर्गत निष्पादन उद्देश्यों पर विचार करना चाहिए था। संस्थान का यह दावा कि निदेशक ने स्वयं को अलग कर लिया "चाहे इसे अभिलेख किया गया हो या नहीं" दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है, जो पारदर्शिता सुनिश्चित करने और हितों के टकराव से बचने के लिए आवश्यक है। रिकॉर्डेड निष्पादन लक्ष्यों, मूल्यांकन डेटा और सहायक दस्तावेजों की अनुपस्थिति में, परिवर्तनीय वेतन के भुगतान में पारदर्शिता की कमी थी तथा अधिनियम और विनियमों के अंतर्गत अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमति व्यक्त की और आगे प्रकाश डाला कि परिवर्तनीय वेतन का भुगतान नियामक प्रावधानों और उचित दस्तावेजीकरण द्वारा समर्थित नहीं था। मंत्रालय ने आगे कहा कि 2018-19 से 2024-25 की अवधि के दौरान परिवर्तनीय वेतन के रूप में भुगतान की गई राशि की वसूली की जानी चाहिए।

अनुशंसा:

आईआईएमआर यह सुनिश्चित करे कि परिवर्तनीय वेतन और इसी तरह के भुगतान, अधिसूचना की तारीख से प्रभावी नियमों के अनुसार ही किए जाएं और किसी भी पूर्वव्यापी अनुप्रयोग से बचा जाए। मंत्रालय विभिन्न आईआईएम में निदेशकों को परिवर्तनीय वेतन के भुगतान के लिए एक समान, पारदर्शी और राजकोषीय रूप से विवेकपूर्ण ढांचा स्थापित करने पर विचार करे। बोर्ड यह भी सुनिश्चित करे कि व्यक्तिगत हित के सभी मामलों में निदेशक के अलग होने की बात को औपचारिक रूप से दर्ज किया जाए और निष्पादन मानदंड, मूल्यांकन अभिलेख और समर्थित आंकड़ों का ठीक से दस्तावेजीकरण किया जाए। पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए वित्तीय निहितार्थ वाले मामलों को केवल पूर्व-अनुमोदित एजेंडा के माध्यम से ही लिया जाना चाहिए। मंत्रालय संवितरण के लिए एक समान, पारदर्शी और राजकोषीय रूप से विवेकपूर्ण ढांचा स्थापित करने के लिए अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत समन्वय मंच को आईआईएम में संकाय मानदेय और प्रोत्साहनों के मामलों को संदर्भित करने पर विचार करे।

2.4 शैक्षणिक परिषद का गठन

आईआईएम अधिनियम, 2017 की धारा 14 में शैक्षणिक परिषद को प्रत्येक संस्थान का प्रमुख शैक्षणिक निकाय नामित किया गया है और इसके अध्यक्ष के रूप में निदेशक, डीन, क्षेत्र/कार्यक्रम अध्यक्ष, सभी पूर्णकालिक प्रोफेसरों और बोर्ड द्वारा निर्धारित संकाय के साथ-साथ धारा 14(1)(ई) के अंतर्गत नामित विशेषज्ञ बाहरी सदस्यों सहित इसकी संरचना निर्दिष्ट की गई है। धारा 14(3) में यह भी आवश्यक है कि खंड (डी) के अंतर्गत नामित संकाय सदस्य दो वर्ष की निश्चित अवधि के लिए सेवा करें।

अभिलेख की समीक्षा से पता चला कि हालांकि आईआईएम, रोहतक ने 25 अक्तूबर 2021 को अधिसूचित अपने विनियमों में सभी पूर्णकालिक संकाय सदस्यों को शैक्षणिक परिषद के सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया था, लेकिन विनियमों में धारा 14(1)(ई) के अंतर्गत बाहरी विशेषज्ञों को नामित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया और धारा 14(3) के अंतर्गत आवश्यक नामांकित सदस्यों के लिए अनिवार्य दो वर्ष की अवधि निर्धारित नहीं की, इसलिए यह अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। संस्थान ने कहा कि शैक्षणिक परिषद के सदस्यों का विवरण शैक्षणिक परिषद की बैठक के एजेंडा में उपलब्ध है, सभी संकाय सदस्य शैक्षणिक परिषद का हिस्सा हैं और सदस्यों की नियुक्ति/गठन से संबंधित कोई अन्य फाइल उपलब्ध नहीं है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्पष्ट वैधानिक आवश्यकताओं के बावजूद, निदेशक या बोर्ड द्वारा 2017 से 2024 तक बाहरी विशेषज्ञों को नामित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इस दीर्घकालीन चूक ने शैक्षणिक शासन को कमजोर कर दिया और परिषद को स्वतंत्र निरीक्षण का लाभ नहीं मिल सका। इसके अलावा, परिभाषित दो वर्ष की अवधि की अनुपस्थिति ने प्रभावी रूप से धारा 14(1)(डी) के अंतर्गत आने वाले सदस्यों के लिए परिषद की संरचना की समय-समय पर समीक्षा करने के बोर्ड के अधिकार को समाप्त कर दिया।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया कि अक्तूबर 2017 और दिसंबर 2018 के बीच, शैक्षणिक परिषद ने कार्यकारी शिक्षा के लिए अपने स्वयं के प्रोत्साहनों में संशोधन किया। हालांकि, परिषद की शक्तियां आईआईएम अधिनियम की धारा 15(1) द्वारा शासित थीं, जो प्रोत्साहनों में संशोधन करने के लिए अधिकृत नहीं करती थी। ऐसे संशोधनों को मंजूरी देने के लिए परिषद का अधिकार अक्तूबर 2021 में विनियमों की अधिसूचना के बाद ही उत्पन्न हुआ। इसलिए ये निर्णय परिषद के आदेश के अनुरूप नहीं थे और इसमें हितों का स्पष्ट टकराव सम्मिलित था, विशेषकर जब से परिषद में केवल आंतरिक संकाय सदस्य सम्मिलित थे और धारा 14(1)(ई) के अंतर्गत आवश्यक बाहरी विशेषज्ञता का अभाव था।

अपनी प्रतिक्रिया में, आईआईएमआर ने कहा (जून/अक्तूबर 2025) कि प्रक्रियात्मक चूक जैसे बाहरी विशेषज्ञों की नियुक्ति न करना या निश्चित दो वर्ष की अवधि का अभाव, अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत परिषद के निर्णयों को अमान्य नहीं करता है और बोर्ड ने बाद में प्रोत्साहन से संबंधित निर्णयों की पुष्टि की थी।

हालांकि, उत्तर में अनिवार्य वैधानिक प्रावधानों के निरंतर उल्लंघन का समाधान नहीं किया गया है, जैसा कि उपरोक्त बताया गया है, जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थे। बाहरी सदस्यों की अनुपस्थिति और कार्यालय की अनिश्चित शर्तों से व्यवस्थागत शासन अंतराल का संकेत मिलता है, जिसने निर्णय लेने में हितों के टकराव की स्थिति पैदा की। यह दावा कि बोर्ड ने प्रोत्साहन से जुड़े निर्णयों की पुष्टि की थी, केवल आंतरिक संकाय सदस्यों से बनी परिषद द्वारा स्वयं को लाभ पहुंचाने वाले निर्णय लेने से उत्पन्न हितों के टकराव को कम नहीं करता है, विशेष रूप से अधिनियम द्वारा अपेक्षित बाहरी निरीक्षण के अभाव में।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमति व्यक्त की और कहा कि संस्थान ने सबसे पहले शैक्षणिक परिषद में बाहरी सदस्यों को बाहर रखा, बाहरी सदस्यों के निषेध ने आंतरिक संकाय को अपने स्वयं के वित्तीय लाभों के संबंध में निर्णय लेने में सक्षम बनाया, जो हितों का स्पष्ट टकराव था। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के अविवेक के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है और ऐसे मामलों में दिए गए वित्तीय लाभों को वसूल करने की आवश्यकता है।

अनुशंसा:

आईआईएम, रोहतक को बाहरी विशेषज्ञों की नियुक्ति करके, नामांकित सदस्यों के लिए दो वर्ष के कार्यकाल निर्धारित करके और सभी नामांकनों और कार्यकालों का औपचारिक अभिलेख बनाए रखकर अधिनियम की धारा 14 के अनुसार शैक्षणिक परिषद का गठन करना चाहिए।

2.5 आईआईएम अधिनियम के प्रावधानों का अननुपालन

भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 प्रत्येक आईआईएम को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान करता है और शासन, वित्तीय प्रबंधन और शैक्षणिक जवाबदेही के लिए एक वैधानिक ढांचा स्थापित करता है। धारा 11 के अंतर्गत, शासी मण्डल संस्थान के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, जबकि धारा 16 निदेशक को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित करती है जो बोर्ड के निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

लेखापरीक्षा में कई ऐसे क्षेत्र पाए गए जहां आईआईएम, रोहतक ने अधिनियम और आईआईएम नियम, 2018 के प्रमुख प्रावधानों का पालन नहीं किया, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

(i) वार्षिक बजट अनुमान तैयार न करना

धारा 11(2)(बी) के अनुसार बोर्ड संस्थान के वार्षिक बजट अनुमानों की जांच और अनुमोदन करता है। अभिलेख की जांच से पता चला कि 2017-18 तक वार्षिक बजट नियमित रूप से शासी मण्डल को प्रस्तुत किए जाते थे, हालांकि 2018-19 से शासी मण्डल को वार्षिक बजट प्रस्तुत करने की प्रथा बंद कर दी गई थी।

आईआईएमआर ने कहा (मार्च 2025) कि उसने 2018-19 के बाद से बजट तैयार नहीं किया क्योंकि वह आत्मनिर्भर था और उसे मंत्रालय से अनुदान नहीं मिला था।

आईआईएमआर की प्रतिक्रिया अधिनियम के असंगत है, जो वित्तपोषण के स्रोत पर विचार किए बिना बजट बनाना अनिवार्य करता है। इसके अलावा, अभिलेख से पता चलता है कि आईआईएमआर को 2018-19 के दौरान जीआईए-35 के अंतर्गत ₹ 25.45 करोड़ का योजना अनुदान प्राप्त हुआ। 2018-25 तक बजट तैयार न करना सुदृढ़ वित्तीय शासन से विचलन को दर्शाता है। स्व-स्थिरता संरचित वित्तीय योजना की आवश्यकता को बढ़ाती है, न कि उसे कम करती है।

आईआईएमआर ने (मई 2025) भविष्य के अनुपालन के लिए टिप्पणियों को नोट किया।

(ii) विकास योजना को तैयार करना

धारा 11(2)(सी) के अंतर्गत बोर्ड के लिए संस्थान की विकास योजना की जांच करना और उसे स्वीकृति देना तथा वित्त के स्रोतों की पहचान करना अपेक्षित है। हालांकि संस्थान ने भविष्य के वर्षों में ₹ 410 करोड़ के नियोजित व्यय को दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत किया था, लेकिन उसने ऐसा कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो कि इस योजना को शासी मण्डल के समक्ष रखा गया था या उनके द्वारा अनुमोदित किया गया था। वित्तपोषण के स्रोतों या कार्यान्वयन की समय-सीमा की पहचान करने वाले दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए थे। संस्थान ने (मई 2025) भविष्य में अनुपालन के लिए इस टिप्पणी को नोट किया।

(iii) कार्य, रणनीतिक योजना और विजन तैयार करना

आईआईएम नियमावली, 2018 के नियम 6 में यह अनिवार्य है कि प्रत्येक आईआईएम तीन वर्ष की कार्य योजना, पांच वर्ष की रणनीतिक योजना और 15 वर्ष की विजन योजना तैयार करे और उन्हें सरकार को सौंपे। आईआईएमआर ने कहा कि उसके दृष्टिकोण और योजनाओं को निदेशक की रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाया गया है। हालांकि, यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि अनिवार्य योजनाएं औपचारिक रूप से तैयार की गई थी, शासी मण्डल द्वारा अनुमोदित की गई थी या आईआईएम नियम, 2018 के अंतर्गत आवश्यक रूप से सरकार को प्रस्तुत की गई थी।

आईआईएमआर ने कहा (मई 2025) कि एक व्यापक योजना तैयार की जाएगी और बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी।

(iv) संस्थान के निष्पादन का मूल्यांकन और समीक्षा

धारा 11(5) के अनुसार प्रत्येक संस्थान को हर तीन वर्ष में एक स्वतंत्र निष्पादन मूल्यांकन से गुजरना होगा, जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक पटल में रखी जानी होती है। धारा 11(7) के अंतर्गत, बोर्ड को रिपोर्ट और कार्रवाई रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपनी होगी।

आईआईएमआर ने 2018-21 के लिए एक संस्थागत निष्पादन समीक्षा रिपोर्ट प्रदान की, लेकिन 2021-24 के लिए कोई समीक्षा रिपोर्ट नहीं दी जो त्रैवार्षिक आवश्यकता के अननुपालन का संकेत देती है। इसके अलावा, विशेषज्ञ समिति ने कहा कि उसका आकलन वार्षिक रिपोर्टों, हितधारकों के साथ बातचीत और अनुसंधान समीक्षा मापदंडों पर आधारित था जो दीर्घकालिक

रणनीति, रोलिंग योजनाओं और बोर्ड द्वारा पहचाने गए मानदंडों का मूल्यांकन करने की वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं।

प्रदान किए गए दस्तावेजों के अनुसार, यह पाया गया कि केवल विशेषज्ञ समिति का एक प्रमाण पत्र बोर्ड की 47वीं बैठक (जून 2021) में बोर्ड के समक्ष रखा गया था। विशेषज्ञ समिति की चयन प्रक्रिया के संबंध में कोई दस्तावेज प्रदान नहीं किया गया था, जैसा कि विनियम 21(3) के अंतर्गत आवश्यक है और न ही शासी मण्डल और न ही शैक्षणिक परिषद के एजेंडा में इसके गठन पर किसी चर्चा को दर्शाया गया है।

यद्यपि बाद में आईआईएमआर ने कहा कि 2021-24 के लिए निष्पादन समीक्षा मई 2025 में एक मान्यता प्राप्त टीम द्वारा की गई थी, लेकिन लेखापरीक्षा के लिए कोई सहायक दस्तावेज या विशेषज्ञ समिति मानदंड प्रस्तुत नहीं किए गए थे। यह दिखाने के लिए कोई प्रमाण नहीं दिया गया कि कोई निष्पादन समीक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक पटल में रखी गई थी। संस्थान ने अक्तूबर 2025 में भी यही बात दोहराई।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमति जताई।

अनुशंसा:

मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने पर विचार करे कि आईआईएमआर वैधानिक योजनाएं और वार्षिक बजट तैयार करके, शासी मण्डल की स्वीकृति प्राप्त करके और रिपोर्ट के प्रकटीकरण के साथ त्रैवार्षिक स्वतंत्र निष्पादन समीक्षा आयोजित करके आईआईएम अधिनियम और नियमों का पूरी तरह से अनुपालन करे।

2.6 शासी मण्डल को निदेशक की रिपोर्ट प्रस्तुत न करना

आईआईएम अधिनियम की धारा 26(1) और 26(2) के अनुसार बोर्ड के समक्ष रखे गए प्रत्येक लेखा विवरण के साथ निदेशक की रिपोर्ट होनी चाहिए जिसमें संस्थान के कामकाज की स्थिति, प्रस्तावित अधिशेष आरक्षित निधि, शिक्षण, अनुसंधान एवं ज्ञान के अनुप्रयोग आदि में नवाचार सहित निष्पादन संकेतक और पांच उच्चतम वेतन पाने वाले अधिकारियों का उनके योगदान एवं बोर्ड या शैक्षणिक परिषद के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार की संबद्धता के विवरण सहित एक वैधानिक प्रकटीकरण सम्मिलित हो। धारा 27 में यह भी अनिवार्य है कि निदेशक की रिपोर्ट सहित खातों का पूरा विवरण वित्तीय वर्ष के समापन के तीन महीने के भीतर बोर्ड को प्रस्तुत किया जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि आईआईएम रोहतक ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर बोर्ड को अपने खातों का विवरण नियमित रूप से प्रस्तुत किया, लेकिन धारा 26(1) और 26(2) के अंतर्गत अनिवार्य प्रकटीकरणों से युक्त संलग्न निदेशक की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी।

संस्थान ने (मार्च 2025) में कहा कि निदेशक का संदेश दीक्षांत समारोह में पढ़ा गया और इसकी वेबसाइट पर वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया और भुगतान किए गए कुल प्रोत्साहन

बोर्ड को बताए गए। हालांकि, ये प्रथाएं खातों के साथ बोर्ड के समक्ष रखे जाने के लिए एक औपचारिक, व्यापक निदेशक की रिपोर्ट की वैधानिक आवश्यकता को पूरा नहीं करती हैं।

इस चूक के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 26(1), 26(2) और 27(1) का अनुपालन नहीं हुआ, विशेष रूप से उच्च वेतन वाले कर्मचारियों, उनके योगदान और संभावित संबंधित-पक्ष संबंधों पर अनिवार्य प्रकटीकरण की अनुपस्थिति, जो पारदर्शी शासन के लिए आवश्यक हैं।

संस्थान ने बताया (मई/अक्तूबर 2025) कि वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में एक अलग निदेशक की रिपोर्ट भी सम्मिलित की जाएगी।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में लेखापरीक्षा में उठाए गए मामलों से सहमति व्यक्त की।

अनुशंसा:

मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि आईआईएमआर वैधानिक समय सीमा के भीतर बोर्ड को लेखा विवरण के साथ एक औपचारिक, व्यापक निदेशक की रिपोर्ट प्रस्तुत करे और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे। यह उपाय वैधानिक अनुपालन को मजबूत करेगा, पारदर्शिता बढ़ाएगा और आईआईएमआर के भीतर शासन जवाबदेही में सुधार करेगा।

2.7 उचित परामर्श अभिलेखों का रखरखाव न करना

लेखापरीक्षा टीम ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), रोहतक द्वारा निष्पादित परामर्श समझौतों की प्रति के साथ-साथ फाइलों और परामर्श की अंतिम रिपोर्ट मांगी थी। इसके उत्तर में, अवधि 2017-18 से 2023-24 के लिए परामर्श सेवाएं लेजर के साथ-साथ समझौतों/परियोजना प्रस्तावों की कुछ खुली मुद्रित प्रतियां प्रदान की गई थी। कुछ मामलों में, केवल प्रस्ताव की प्रति प्रस्तुत की गई थी। संबंधित एजेंसियों के साथ समय-समय पर किए गए पत्राचार भी प्रदान नहीं किए गए थे।

इसके अलावा, परामर्श सेवाओं के लेजर और आईआईएम द्वारा प्रदान किए गए समझौतों/प्रस्तावों की खुली प्रति की जांच के साथ-साथ परामर्श सेवाओं की जानकारी पर, विभिन्न अनियमितताएं देखी गईं जैसा कि ***अनुलग्नक 2.1*** में उल्लेख किया गया है

अतः, आईआईएम द्वारा परामर्श सेवाओं से संबन्धित फाइलों का रखरखाव नहीं किया गया, जिसमें समझौते की प्रति, संबंधित एजेंसी के साथ पत्राचार और संबंधित विभाग/एजेंसी को सौंपी गई अंतिम रिपोर्ट के साथ-साथ उस परामर्श कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारियों का विवरण उपलब्ध होना चाहिए था। इसके कारण, यह पता नहीं लगाया जा सका है कि संस्थान द्वारा परामर्श सेवा का कार्य पूरा किया गया है या नहीं।

यह मामला संस्थान के संज्ञान में लाया गया है और उसके उत्तर की प्रतीक्षा है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में लेखापरीक्षा में उठाए गए मामलों से सहमति व्यक्त की।

अनुशंसा:

आईआईएमआर को समझौतों, प्रगति, व्यय, सौंपें जाने वाले कार्य या परिणाम, बकाया और समय पर वित्तीय समापन को ट्रैक करने के लिए पूर्ण परियोजना फाइलें बनाए रखनी चाहिए और मजबूत नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। इन उपायों को लागू करने से जवाबदेही मजबूत होगी, सटीक राजस्व पहचान सुनिश्चित होगी और परामर्श कार्यों में पारदर्शिता में सुधार होगा।

2.8 शिकायत निवारण, अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं और आंतरिक शिकायत समिति में विसंगतियां

भारतीय प्रबंधन संस्थान नियम, 2009 (नियम) के नियम 12(vii) के अनुसार, शासी मण्डल, संस्थान के छात्रों और कर्मचारियों के आवास, स्वास्थ्य, अनुशासन और कल्याण की व्यवस्था और पर्यवेक्षण करने के लिए उत्तरदायी है।

इसके अलावा, नियम 15 में निदेशक को संस्थान के उचित प्रशासन तथा बोर्ड के निर्देशन और मार्गदर्शन के अंतर्गत कर्मचारियों के आचरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह, भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक विनियम, 2021 के विनियम 15(5) में यह प्रावधान है कि निदेशक, जो संगठन के कार्यकारी प्रमुख है, को संस्थान के कर्मचारियों के सामान्य अनुशासन को बनाए रखने और उचित आचरण सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

शिकायत निवारण और अनुशासनात्मक समिति (जीआरडीसी)

विनियमों के अनुसार आईआईएमआर को कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और समर्थित वातावरण प्रदान करने के लिए एक जीआरडीसी का गठन करना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीआरडीसी का गठन 2021 और 2022 में नहीं किया गया था और बाद के वर्षों में जारी अधिसूचनाओं में बाहरी कानूनी विशेषज्ञ के नाम का प्रकटीकरण नहीं किया गया था। 2022 से केवल एक शिकायत मामला समीक्षा के लिए प्रदान किया गया था, लेकिन आवश्यक पत्राचार और अनुवर्ती कार्रवाई विद्यमान नहीं थी, जिससे शिकायत निवारण प्रक्रिया को सत्यापित करने की लेखापरीक्षा की क्षमता सीमित हो गई।

आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी)

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, संस्थान को एक आईसीसी का गठन करना चाहिए और वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपलब्ध कराए गए अभिलेख के अनुसार, आईसीसी का गठन वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान नहीं किया गया था और अनुमेय तीन वर्ष की अवधि से परे एक ही व्यक्ति का बार-बार नामांकन किया गया था और धारा 21 के अंतर्गत अनिवार्य वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा किए गए 2020 के एक मामले में, आईसीसी ने प्रारंभिक शिकायत पर निष्कर्ष जारी किए, हालांकि उसी व्यक्ति द्वारा की गई बाद की शिकायत से संबंधित अभिलेख, जिसमें अनुवर्ती कार्रवाइयां सम्मिलित हैं, उपलब्ध नहीं थे। पूर्ण दस्तावेजीकरण के अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि शिकायतों को उचित तरीके से निपटाया गया था या नहीं।

आईआईएमआर ने कहा (जून/अक्तूबर 2025) कि समीक्षा अवधि के दौरान शिकायत निवारण और अनुशासनात्मक समिति/आंतरिक शिकायत समिति द्वारा केवल एक शिकायत प्राप्त की गई और संसाधित की गई। आईआईएमआर ने अधिक संरचित अभिलेख बनाए रखने, समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने, अपने संबंधित नियामक आदेशों का अनुपालन करने और अनुपालन करने के लिए सभी आवश्यक प्रावधान करने का आश्वासन दिया।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में लेखापरीक्षा में उठाए गए मामलों से सहमति व्यक्त की।

2.9 निष्कर्ष

आईआईएमआर में शासन, वैधानिक अनुपालन और संस्थागत प्रक्रियाओं की समीक्षा से आईआईएम अधिनियम, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन में व्यवस्थागत कमियों का पता चला। शिकायत निवारण तथा अनुशासनात्मक समिति और आंतरिक शिकायत समिति के कामकाज एवं अभिलेख-रखरखाव में कमियां देखी गई। समग्र रूप से, ये कमियां आईआईएमआर में शासन नियंत्रण, आंतरिक प्रक्रियाओं और अनुपालन संस्कृति में अपर्याप्तता की ओर संकेत करती हैं। समय पर वैधानिक रिपोर्टिंग और संस्थागत समितियों को सुदृढ़ करके इन कमियों को दूर करने से पारदर्शिता, जवाबदेही और समग्र संस्थागत शासन में वृद्धि होगी।

अध्याय III

वित्तीय प्रबंधन एवं लेखांकन

अध्याय - III: वित्तीय प्रबंधन एवं लेखांकन

शासी मण्डल ने आईआईएमआर द्वारा उत्पन्न अधिशेष का उपयोग करके एक निश्चित अवधि में संचालन का समर्थन करने के लिए आय का स्रोत उत्पन्न करने और संस्थान के दीर्घकालिक विकास के लिए संसाधन बनाने के लिए कॉर्पस फंड के निर्माण और रखरखाव को स्वीकृति दी।

इसके अनुसरण में, शासी मण्डल ने मानदंडों (30 अगस्त 2012 को आयोजित 9वीं बैठक का एजेंडा संख्या 8.4) को स्वीकृति दी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया था कि आईआईएमआर के कॉर्पस फंड को मुख्य रूप से संरक्षित किया जाएगा और अन्य वित्तपोषण स्रोतों की अनुपस्थिति में, शासी मण्डल के पूर्व अनुमोदन के साथ केवल आवश्यक पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग किया जाएगा। कॉर्पस आकार का लक्ष्य शुरू में ₹ 100 करोड़ निर्धारित किया गया था।

3.1 कॉर्पस फंड का अधिक दर्शाया जाना

जनवरी 2020 में आयोजित 41वीं बैठक से लेकर जून 2024 में आयोजित 60वीं बैठक के बीच, शासी मण्डल ने विभिन्न पूंजीगत कार्यों को पूरा करने के लिए कॉर्पस से कुल ₹ 317.45 करोड़ के अंतरण को स्वीकृति दी, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए लागू आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23सी)(vi) के अंतर्गत छूट का दावा करने हेतु पात्र बनने के लिए क्रमशः 2027-28 और 2028-29 प्रत्येक के ₹ 100 करोड़[1] के दो अंतरण सम्मिलित हैं।

(i) कॉर्पस फंड का अधिक दर्शाया जाना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईआईएमआर को पूंजीगत और राजस्व व्यय के लिए भारत सरकार से 2009-10 से 2019-20 तक ₹ 417.71 करोड़ की राशि का अनुदान प्राप्त हुआ और 2020-21 से 2023-24 तक कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। 2020-2024 के दौरान, शासी मण्डल ने पूंजीगत व्यय के लिए कॉर्पस फंड से ₹ 267.45 करोड़ के अंतरण को अनुमोदित किया।

हालांकि, शासी मण्डल द्वारा अनुमोदन के बावजूद उन वर्षों में कॉर्पस फंड से इन राशियों को नहीं घटाया गया था। परिणामस्वरूप, कॉर्पस फंड को ₹ 267.45 करोड़ अधिक आंका गया। खाते के बेहतर प्रस्तुतिकरण के लिए, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्धारित इन राशियों को कॉर्पस फंड से अलग दिखाया जा सकता था।

[1] स्पष्टता न होने पर, यह मान लिया गया कि शासी मण्डल की 56वीं बैठक में मंज़ूर किए गए ₹ 100 करोड़ में शासी मण्डल की 55वीं बैठक में स्वीकृत किए गए ₹ 100 करोड़ सम्मिलित थे और शासी मण्डल की 60वीं बैठक में स्वीकृत किए गए ₹ 100 करोड़ में शासी मण्डल की 58वीं बैठक में स्वीकृत किए गए ₹ 50 करोड़ सम्मिलित थे।

(ii) कॉर्पस फंड में ब्याज आय का अतिरिक्त आबंटन

अभिलेख के अनुसार, आईआईएमआर द्वारा निर्धारित और कॉर्पस फंड के प्रारंभिक मूल्य के आधार पर ब्याज आबंटित किया गया था। इसलिए, कॉर्पस फंड को ₹ 267.45 करोड़ तक अधिक दर्शाने के कारण वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान कॉर्पस को ₹ 2.67 करोड़ की अधिक ब्याज आय आबंटित की गई।

यह इंगित किए जाने पर, संस्थान ने उत्तर दिया (जून/अक्तूबर 2025) कि आईआईएम अधिनियम 2017, अध्याय IV(22) के अनुसार, "प्रत्येक संस्थान को संस्थान की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए एक कॉर्पस फंड बनाना होगा"। इसलिए, संस्थान कॉर्पस फंड बनाने के लिए आईआईएम अधिनियम का पालन कर रहा है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23सी) के अनुसार, छूट का दावा करने वाले संस्थानों को प्रासंगिक वित्तीय वर्ष में अपनी सकल प्राप्तियों का कम से कम 85 *प्रतिशत* उपयोग करना होगा। हालांकि, अधिनियम की धारा 11, बोर्ड द्वारा पारित संकल्प के अधीन, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ऐसी अप्रयुक्त राशि को निर्धारित करने और अगले पांच वर्षों के भीतर उपयोग करने की अनुमति देकर कमी के मामले में राहत प्रदान करती है। यह वैधानिक प्रावधान संस्थान को दीर्घकालिक अवसंरचना और पूंजीगत विकास लक्ष्यों के अनुरूप अपनी कर-मुक्त स्थिति बनाए रखने में सक्षम बनाता है।

संस्थान ने पूंजीगत व्यय के लिए कॉर्पस फंड के किसी भी उपयोग से पहले पूर्व शासी मण्डल अनुमोदन की आवश्यकता का लगातार अनुपालन किया है। ये शासी मण्डल अनुमोदन भविष्य के पूंजीगत व्यय के लिए प्राधिकार थे, न कि वित्तीय लेनदेन के लिए। इनमें अनुमोदन के समय कोई तत्काल नकद बहिर्वाह सम्मिलित नहीं होता है और न ही किसी लेखांकन प्रविष्टि की आवश्यकता होती है। इसलिए, इस तरह के संकल्पों के समय कॉर्पस फंड से किसी भी आरक्षित खाते में कोई अंतरण आवश्यक या उचित नहीं है। ऐसी प्रविष्टियां करना विवेकपूर्ण लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होगा और इसके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों का त्रुटिपूर्ण प्रस्तुतीकरण हो सकता है।

कॉर्पस फंड, जो समय के साथ अधिशेष के संचय को दर्शाता है, तुलन पत्र के देयता पक्ष पर दर्शाया जाता है और संबंधित परिसंपत्तियों जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडीआर), बैंक बैलेंस, ऋण एवं अग्रिम, और अचल संपत्तियों द्वारा समर्थित होता है। जब वास्तविक पूंजीगत व्यय किया जाता है, तो संस्थान की तरल संपत्ति (जैसे बैंक शेष और एफडीआर) कम हो जाती है और अचल संपत्ति आनुपातिक रूप से बढ़ जाती है। इस प्रकार कॉर्पस फंड पर कोई शुद्ध प्रभाव नहीं पड़ता है।

आईआईएमआर का उत्तर विशेष रूप से निर्धारित निधि को कॉर्पस से अलग करने के मुद्दे और कॉर्पस को अधिक दर्शाने के कारण कॉर्पस फंड को ब्याज के अतिरिक्त आबंटन के मुद्दे का समाधान नहीं करता है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमति व्यक्त की और कहा कि कॉर्पस फंड को अधिक दर्शाया गया था और बाद में निदेशक द्वारा वित्तीय लाभ का दावा करने के लिए इसका उपयोग किया गया था, जिसे वसूल करने की आवश्यकता है।

अनुशंसा:

आईआईएमआर कॉर्पस फंड और विशिष्ट व्यय के लिए निर्धारित निधि को अलग से दर्शाए और तदनुसार कॉर्पस फंड के संबंध में ब्याज आय का आबंटन करे।

3.2 राजस्व अनुदान की मान्यता एवं प्रस्तुतीकरण में कमियां

(क) अनुमानित राजस्व अनुदान के अंतरण के कारण कॉर्पस फंड को अधिक दर्शाया गया

शासी मण्डल द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार (30 अगस्त 2012 की बैठक की कार्यसूची की मद संख्या 8.6.1), शासी मण्डल संस्थान की अपनी आय/अनुदान से इतर अधिशेष के आंशिक हिस्से या पूर्ण हिस्से को कॉर्पस फंड में अंतरित करने के साथ-साथ समय-समय पर किसी भी अनुदान रहित प्राप्तियों के आंशिक हिस्से या पूर्ण हिस्से को कॉर्पस फंड में अंतरित करने को अनुमोदन दे सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईआईएमआर ने आंतरिक आय के अधिशेष की राशि को कॉर्पस फंड में अंतरण को सीमित नहीं किया, बल्कि, वर्षों के दौरान वास्तविक अधिशेष (अर्थात, व्यय पर आय की अधिकता) से अधिक राशि को कॉर्पस फंड में अंतरित किया, जैसा कि **तालिका 3.1** में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.1: कॉर्पस फंड में अंतरित अधिक राशि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अधिशेष (व्यय पर आय की अधिकता)	कॉर्पस फंड में अंतरित की गई राशि	कॉर्पस फंड में अंतरण के लिए देय राशि	अधिक राशि को कॉर्पस फंड में अंतरित किया गया
1	**2**	**3**	**4**	**(3-4)**
2012-13	12.72	13.48	12.72	0.76
2013-14	11.85	16.74	11.85	4.89
2014-15	18.70	21.11	18.70	2.41
2016-17	17.14	26.65	17.14	9.51
योग				**17.57**

जैसा कि उपरोक्त **तालिका 3.1** से स्पष्ट है, वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान और फिर 2016-17 में, आईआईएमआर ने वास्तविक आंतरिक अधिशेष से अधिक की राशि अंतरित की थी। आईआईएमआर ने मंत्रालय से किसी भी औपचारिक अनुमोदन के बिना, आगामी वर्ष में एमएचआरडी से प्राप्य दिखाकर, अनुमानित राजस्व अनुदान को कॉर्पस फंड में अंतरित कर दिया।

सहायता अनुदान में समायोजन से संबंधित मुद्दों को 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी उठाया गया था।

इंगित किए जाने पर संस्थान ने उत्तर दिया (जून/अक्तूबर 2025) कि 2012-13 और 2016-17 के बीच कॉर्पस फंड में किए गए अंतरण वित्तीय योजना और आंतरिक निधि प्रबंधन की तत्कालीन प्रचलित समझ के अनुरूप किए गए थे। मुख्य उद्देश्य भविष्य की अवसंरचना के विकास और दीर्घकालिक संस्थागत स्थिरता को समर्थन देने के लिए एक कॉर्पस का निर्माण करना था। ये अंतरण अनुमानित आय के आधार पर आंतरिक लेखा समायोजन थे और सरकारी अनुदानों के वास्तविक विचलन या दुरुपयोग नहीं थे। उन वर्षों के लिए प्रत्याशित राजस्व अनुदान के आधार पर वास्तविक आंतरिक अधिशेष से अधिक कॉर्पस फंड में अंतरित की गई राशि को सरकारी राजस्व अनुदान के विचलन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। वर्ष 2012 से 2016 के दौरान सक्षम प्राधिकारी ने अपने विवेक से इस तरह का कोष बनाने का निर्णय लिया।

इसके अलावा, आईआईएम अधिनियम 2017, अध्याय IV(22) के अनुसार, "प्रत्येक संस्थान को संस्थान की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए एक कॉर्पस फंड बनाना होगा"। इसलिए, संस्थान कॉर्पस बनाने के लिए आईआईएम अधिनियम का अनुपालन कर रहा है।

2012-13 से 2014-15 (₹ 8.07 करोड़ जिसमें 2012-13 में ₹ 0.77 करोड़, 2013-14 में ₹ 4.89 करोड़ और 2014-15 में ₹ 2.41 करोड़ सम्मिलित हैं) के दौरान कॉर्पस फंड में अंतरित कुल राशि में से, ₹ 6.17 करोड़ की राशि को 2015-16 में कॉर्पस फंड के विरुद्ध पहले ही समायोजित किया जा चुका था। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2016 तक कॉर्पस फंड में केवल ₹ 2.15 करोड़ शेष थे, जिसे 2016-17 में पूरी तरह से समायोजित किया गया था एवं बाद में ₹ 9.51 करोड़ को 2017-18 में समायोजित किया गया था। इसलिए, कॉर्पस फंड को अधिक नहीं दर्शाया गया।

सभी राशियों के समायोजन के संबंध में संस्थान का उत्तर इस तथ्य के आलोक में देखा जाए कि केवल ₹ 5.41 करोड़ की राशि को कॉर्पस फंड में समायोजित किया गया था (₹ 28.62 करोड़ अधिशेष - कॉर्पस फंड में अंतरित ₹ 23.21 करोड़ की राशि) जिसे वर्ष 2015-16 के आय और व्यय खाते से सत्यापित किया गया। 2017-18 से 2023-24 तक, कॉर्पस फंड में अंतरित की गई राशि आय और व्यय खाते में दर्शाए गए अधिशेष के बराबर थी और लेखापरीक्षा शेष ₹ 12.16 करोड़ (₹ 17.57 करोड़ - ₹ 5.41 करोड़) की राशि के समायोजन का पता लगाने में असमर्थ थी। इसके अलावा, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का औपचारिक अनुमोदन भी नहीं लिया गया था।

(ख) आय और व्यय खाते में राजस्व अनुदान का कम लेखांकन करना

लेखांकन मानक (एएस-12) सरकारी अनुदानों का लेखांकन के पैराग्राफ 15 के अनुसार, राजस्व अनुदान को व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में उन अवधियों में मान्यता दी जानी चाहिए जिनमें संबंधित लागतें खर्च की जाती है। ऐसे अनुदानों को या तो 'अन्य आय' के अंतर्गत अलग से दर्शाया जाना चाहिए या संबंधित व्ययों से घटाया जाना चाहिए।

भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृति पत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2017-18 के दौरान आईआईएमआर द्वारा प्राप्त कुल राजस्व अनुदान ₹ 97.53 करोड़ था, जैसा कि **तालिका 3.2** में विवरण दिया गया है।

तालिका 3.2: आय शीर्ष में प्राप्त और बुक किए गए राजस्व अनुदान का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	स्वीकृति पत्रों के अनुसार प्राप्त कुल राजस्व अनुदान	वास्तविक व्यय की राशि	आय और व्यय खाते में बुक किए गए राजस्व अनुदान की राशि[2]
2009-10	2.00	0.06	0.00
2010-11	3.00	4.01	0.00
उप-योग	*5.00*	*4.07*	*0.00*
2011-12	3.97	5.97	9.92
2012-13	19.97	7.63	6.87
2013-14	5.00	10.06	4.23
2014-15	9.24	11.66	9.24
2015-16	8.55	15.16	8.55
2016-17	10.00	20.59	10.00
2017-18	35.80	18.48	16.17
2018-19	0.00	23.96	7.61
उप-योग	*92.53*	*113.51*	*72.59*
योग	**97.53**	**117.58**	**72.59**

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 2009-10 के दौरान, हालांकि ₹ 2.00 करोड़ का राजस्व अनुदान प्राप्त हुआ था, लेकिन इसे आय विवरण में 'अन्य आय' के अंतर्गत मान्यता नहीं दी गई थी, जिसके कारण वर्ष के दौरान ₹ 6.30 लाख का व्यय शुद्ध हानि के रूप में दिखाई दिया।

इसी प्रकार, 2010-11 के दौरान, राजस्व अनुदान के रूप में ₹ 3.00 करोड़ प्राप्त होने के बावजूद, इस राशि को 'अन्य आय' के रूप में दर्ज नहीं किया गया था। ₹ 4.01 करोड़ के व्यय के प्रति ₹ 1.58 करोड़ की आंतरिक आय को समायोजित करने के बाद, ₹ 2.43 करोड़ की हानि दर्ज की गई थी।

इसके अलावा, 2011-12 से 2018-19 की अवधि के दौरान, आईआईएमआर को भारत सरकार से कुल ₹ 92.53 करोड़ का राजस्व अनुदान प्राप्त हुआ।

हालाँकि, खातों में 'अनुदान से आय' शीर्षक के अंतर्गत केवल ₹ 72.59 करोड़ की राशि दर्शाई गई। इसके परिणामस्वरूप 'आय और व्यय खाते' में राजस्व अनुदान की कम बुकिंग हुई।

आईआईएमआर के उत्तर की प्रतीक्षा है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमति व्यक्त की और कहा कि कॉर्पस फंड को अधिक दर्शाया गया था और बाद में निदेशक द्वारा वित्तीय लाभ का दावा करने के लिए इसका उपयोग किया गया था, जिसे वसूल करने की आवश्यकता है।

---

2 आय एवं व्यय खाते में बुक किए जाने वाले राजस्व अनुदान की राशि अनुदान से किए गए व्यय की सीमा तक होगी।

अनुशंसा:

संस्थान को खातों के अनुमोदित प्रारूप का पालन करना चाहिए और विचलन के मामले में मंत्रालय से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

3.3 सरकारी खातों में ₹ 4.81 करोड़ के ब्याज का हस्तांतरण न करना

सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 230(8) में यह प्रावधान है, कि किसी भी अनुदान प्राप्तकर्ता संस्था को जारी किए गए सहायता अनुदान या अग्रिम (प्रतिपूर्ति के अलावा) पर अर्जित सभी ब्याज या अन्य आय को खातों के अंतिम रूप दिए जाने के तुरंत बाद अनिवार्य रूप से भारत की संचित निधि में जमा किया जाना चाहिए। ऐसे अग्रिमों को भविष्य में जारी होने वाली राशियों के विरुद्ध समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

आईआईएमआर के अभिलेख की जांच से पता चला है कि संस्थान के पास भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में 1 अप्रैल 2016 तक ₹ 43.73 करोड़ की अप्रयुक्त राशि (वर्ष 2016-17 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार) थी। संस्थान ने भारत सरकार से पूंजीगत और राजस्व व्यय के लिए अनुदान राशि के रूप में 2009-10 से 2019-20 तक ₹ 417.71 करोड़ प्राप्त किए।

आईआईएमआर ने अनुदान के लिए सहायक खाते नहीं बनाए। सहायक खातों का रखरखाव न होने के कारण राजस्व और पूंजीगत अनुदान पर अर्जित ब्याज का निर्धारण लेखापरीक्षा द्वारा नहीं किया जा सका। हालांकि, भारत सरकार को प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्र के अनुसार, आईआईएमआर ने दर्शाया था कि उसने 2016-17 से 2019-20 तक अप्रयुक्त अनुदानों पर ₹ 4.81 करोड़ का ब्याज अर्जित किया था, जिसे भारत की संचित निधि में जमा नहीं किया गया था।

इस प्रकार, सहायता अनुदान (राजस्व के साथ-साथ पूंजीगत) पर अर्जित ब्याज को सरकारी खातों में वापस न करने के परिणामस्वरूप सरकारी धन का अनियमित प्रतिधारण हुआ।

इंगित किए जाने पर, आईआईएमआर ने स्वीकार किया (मई 2025) कि अनुदान के लिए कोई अलग बैंक खाता निर्धारित नहीं किया गया था और अनुदान पर ब्याज की गणना उपलब्ध नहीं थी। आईआईएमआर ने उत्तर दिया (जून 2025) कि सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 230(16) के अनुसार, सहायता अनुदान की अप्रयुक्त राशि को उस पर अर्जित ब्याज सहित वापस करने की शर्त को अनुदान स्वीकृत करने वाले पत्र और निष्पादित किए जाने वाले आवश्यक बंधपत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिए। मंत्रालय से प्राप्त अनुदान स्वीकृति पत्रों में अनुदान के अप्रयुक्त हिस्से पर अर्जित ब्याज की वापसी की अनिवार्य शर्त नहीं थी। इस शर्त के अभाव में और सामान्य वित्तीय नियम नियम के अनुरूप, संस्थान सरकार को ब्याज राशि वापस करने के लिए बाध्य नहीं था। इसके अलावा, हर साल मंत्रालय को प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्रों में, अनुदान पर अर्जित ब्याज को अलग से दर्शाया जाता है ताकि अनुदान

प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए इसका और उपयोग किया जा सके, जिसे मंत्रालय द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया है और कभी भी मंत्रालय द्वारा मांग नहीं की गई है। इसमें आगे कहा गया (अक्तूबर 2025) कि वार्षिक खातों के साथ-साथ लेखाओं के नोट्स और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों को हर साल सीएजी द्वारा प्रमाणित किया गया था। इस नीति और उसके लेखांकन पर सीएजी द्वारा स्थापना के बाद से कोई आपत्ति नहीं की गई है।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाए कि बिना उपयोग किए गए अनुदान पर ब्याज की वापसी के प्रावधान का स्वीकृति पत्र में सम्मिलित न होना संस्थान को सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 230(8) के अनुपालन की अवहेलना करने की अनुमति नहीं देता है। मंत्रालय द्वारा जारी स्वीकृति पत्र में किसी भी शर्त के अभाव में संस्थान को ब्याज राशि के न लौटाए जाने के लिए मंत्रालय की विशिष्ट स्वीकृति लेनी चाहिए थी। यद्यपि, संस्थान ने भारत सरकार को प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्र में सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज को संस्थान के वार्षिक खातों में 2016-17 से 2019-20 की अवधि के लिए अप्रयुक्त अनुदान की गणना करते समय सम्मिलित किया है, लेकिन इस ब्याज को अनुसूची-3सी 'भारत सरकार से अप्रयुक्त अनुदान' में सम्मिलित नहीं किया गया था। आईआईएमआर ने फिर से (अक्तूबर 2025) उन्हीं तथ्यों को दोहराया है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमति व्यक्त की और इस बात पर जोर दिया कि उत्तरदायित्व तय किया जाए और उचित कार्रवाई की जाए।

3.4 निजी पार्टियों/आपूर्तिकर्ताओं से अग्रिमों की वसूली/समायोजन न होना

केन्द्रीय सरकारी लेखा (प्राप्ति और भुगतान) नियम, 2022 के नियम 23(5)(बी) के साथ सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 321 में यह निर्धारित किया गया है कि अन्य विभागीय व्यय के लिए अग्रिम के मामले में, जो अंततः निजी मालिकों या अन्य पक्षों से वसूल किए जा सकते हैं, अग्रिम के विस्तृत खातों को बनाए रखने, उनकी वसूली पर नजर रखने और पर्यवेक्षण जैसे कर्तव्य संबंधित विभागीय अधिकारियों के पास रहेंगे।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि आईआईएमआर द्वारा विभिन्न निजी पार्टियों और आपूर्तिकर्ताओं को वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 35 अवसरों पर ₹ 1.08 करोड़ की अग्रिम राशि दी गई थी। इन 35 मामलों में से, ₹ 14.44 लाख की राशि के चार मामलों **(तालिका 3.3)** की समायोजन प्रविष्टियां खाता बहियों में नहीं पाई गईं, और इस प्रकार, उनकी प्रामाणिकता को सत्यापित नहीं किया जा सका।

तालिका 3.3: लेखा पुस्तकों में समायोजन प्रविष्टियों का विवरण नहीं मिला

(राशि ₹ में)

क्रमांक	पार्टी/आपूर्तिकर्ता का नाम	अग्रिम की राशि (-) टीडीएस	बैंक भुगतान वाउचर संख्या	वाउचर की तारीख
1.	एडवांस बिज़नस इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड	45,762	237	23.05.2018
2.	कैपिटल मार्केट पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड	54,000	1421	26.02.2019
3.	डेटानेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	52,333	1423	26.02.2019
4.	ईबीएससीओ इन्फो सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	12,91,999	1427	26.02.2019
योग		**14,44,094**		

इसके अलावा, अभिलेखों की जांच से पता चला कि 31 मार्च 2024 तक ₹ 18.50 लाख का अग्रिम वसूल नहीं हुआ था या समायोजित नहीं किया गया था, जैसा कि नीचे **तालिका 3.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4: अग्रिम बकाया

(राशि ₹ में)

क्रमांक	अग्रिम का प्रकार	अग्रिम राशि	कब से लंबित
1.	आपूर्तिकर्ताओं/पक्षों के लिए	9,42,957.80*	19.11.2019
2.	प्राप्य खाता	9,06,832.14**	31.03.2022
योग		**18,49,789.94**	

* *31.03.2019 को ₹ 9,46,622.80 बकाया थे अर्थात मार्च 2024 तक केवल ₹ 3,665 का भुगतान हुआ।*

** *31.03.2021 को ₹ 9,36,252.14 बकाया थे अर्थात 2021-24 के दौरान केवल ₹ 29,420 का भुगतान हुआ।*

इंगित किए जाने पर (मार्च 2025), संस्थान ने उत्तर दिया (अप्रैल/मई 2025) कि, आपूर्तिकर्ताओं/पार्टियों के विरूद्ध बकाया के रूप में दर्शाए गए ₹ 9,42,957.80 के अलावा, दो पार्टियों/आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 3.31 लाख (₹ 3.30 लाख 'यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया' से और ₹ 0.01 लाख 'ई सॉल्यूशंस' से) की राशि भी 31 मार्च 2024 तक देय थी। यह भी उल्लेख किया गया था कि इन विक्रेताओं/निजी पार्टियों की पहचान नहीं की जा सकी और वे उपर्युक्त **तालिका 3.4** में दिए गए विवरण के अनुसार ₹ 18.50 लाख की राशि को बट्टे खाते में डालने की प्रक्रिया में थीं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023-24 के लेखा विवरण की अनुसूची 8 के अनुसार, संस्थान ने सामान्य प्रवेश प्रक्रिया (सीएपी) लेजर खाते के अंतर्गत विभिन्न आईआईएम से ₹ 67.76 लाख की राशि वसूल करने की सूचना दी, जो वित्तीय वर्ष 2019-20 से लंबित है। आईआईएमआर ने उत्तर में आगे बताया (अक्तूबर 2025) कि मेसर्स ईबीएससीओ इन्फो सर्विसेज को दिए गए ₹ 14.35 लाख के अग्रिम का निपटान कर दिया गया है, हालांकि, उत्तर के साथ कोई सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है।

ऊपर बताई गई राशि और अग्रिम की वसूली और समायोजन न होना, एक प्रभावी निगरानी तंत्र की कमी को दर्शाता है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमति जताई।

3.5 कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों का समायोजन न होना

सामान्य वित्तीय नियम (सामान्य वित्तीय नियम), 2017 के नियम 323(1) में यह प्रावधान है कि कार्यालय प्रमुख वस्तुओं या सेवाओं की खरीद या कार्यालय के प्रबंधन के लिए आवश्यक किसी अन्य विशेष उद्देश्य के लिए अग्रिम स्वीकृत कर सकते हैं। कार्यालय प्रमुख अग्रिम राशि की समय पर वसूली या समायोजन के लिए उत्तरदायी होंगे।

इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियम, 2017 का नियम 323(2) यह शर्त निर्धारित करता है कि सरकारी कर्मचारी द्वारा अग्रिम निकालने के पंद्रह दिनों के भीतर शेष राशि, यदि कोई हो, के साथ समायोजन बिल प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसा न करने पर अग्रिम या शेष राशि की वसूली उसके अगले वेतन से की जाएगी।

अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि विभिन्न अवसरों पर कर्मचारियों को अस्थायी अग्रिम के रूप में दी गई ₹ 14.27 लाख की राशि को 15 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर समायोजित नहीं किया गया था। इन अग्रिमों को 15 दिनों की निर्धारित अवधि के बजाय पांच से 1,461 दिनों में समायोजित किया गया।

इसके अलावा, अग्रिमों की वसूली/समायोजन में तेजी लाने के लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा की गई कार्रवाई अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी।

पूछताछ किए जाने पर (मार्च 2025), आईआईएमआर ने उत्तर में बताया (मार्च 2025) कि उपर्युक्त सूची में संकाय विकास निधि (एफडीएफ) अग्रिम भी सम्मिलित हैं।

हालाँकि, उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के अनुसार ऊपर सूचीबद्ध किसी भी अग्रिम में एफडीएफ अग्रिम सम्मिलित नहीं है।

आईआईएमआर ने अपने अगले उत्तर (अक्तूबर 2025) में बताया कि एफडीएफ[3] अग्रिम तीन वर्ष में एक बार दिया जाता है और इस अवधि के दौरान इसका किसी भी समय निपटान किया जा सकता है, लेकिन इसके समर्थन में कोई दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराया गया है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमति जताई।

[3] संकाय पुस्तिका के अनुसार, संकाय सदस्यों को ₹ 1 लाख प्रति वर्ष का संकाय विकास कोष प्रदान किया जाएगा। इस निधि का उपयोग पुस्तकों, कंप्यूटर आदि की खरीद जैसी विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक विकास गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

अनुशंसा:

मंत्रालय अन्य पक्ष और कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों के समय पर समायोजन और वसूली के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करना सुनिश्चित करे ताकि विलंब को रोका जा सके और दुरुपयोग के जोखिम को कम किया जा सके।

3.6 लेखांकन मानक-15 का अननुपालन

लेखांकन मानक-15(एएस-15) के अनुसार, संस्थाओं को परिभाषित लाभ योजनाओं के अंतर्गत कर्मचारी लाभों के लिए भविष्य की देनदारियों को उनके नेट प्रेजेंट वैल्यू पर, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, मान्यता देनी होती है। यह एक विशेष प्रक्रिया है जिसे एक योग्य बीमांकक द्वारा ही संपन्न किया जाना चाहिए।

हालांकि, आईआईएमआर ने 2023-24 के लिए अपने वार्षिक खातों में खुलासा किया कि ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण के प्रावधान का मूल्यांकन एक योग्य बीमांकक के बजाय आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया था (नोट 29)। इस मुद्दे को पहले ही 2023-24 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाया गया था, फिर भी संस्थान ने निर्धारित मानक का उल्लंघन करना जारी रखा।

आईआईएमआर ने लेखापरीक्षा (जून/अक्तूबर 2025) के उत्तर में बताया कि वह एएस-15 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए 2024-25 के लिए उपदान और अवकाश नकदीकरण देनदारियों को निर्धारित करने के लिए एक योग्य बीमांकक को सम्मिलित करेगा।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमति जताई।

अनुशंसा:

आईआईएमआर को सटीक और अनुपालन युक्त वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए, लेखांकन मानक-15 के अंतर्गत आवश्यकतानुसार, एक योग्य बीमांकक से उपदान और अवकाश नकदीकरण का बीमांकिक मूल्यांकन प्राप्त करना चाहिए।

3.7 लेखांकन नियमावली तैयार न करना

शासी मण्डल ने जून 2014 और जनवरी 2016 की अपनी बैठकों में संस्थान को एक लेखांकन नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया था। हालांकि जुलाई 2016 में एक मसौदा नियमावली प्रस्तुत की गई थी, लेकिन बोर्ड ने इसे अंतिम रूप देने से पहले अन्य भारतीय प्रबंधन संस्थानों की सर्वोत्तम प्रथाओं को सम्मिलित करने की सलाह दी थी।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि इन निर्देशों और वर्ष 2018-19 तथा 2020-21 की एसएआर में बार-बार रेखांकित किए जाने के बावजूद, संस्थान ने अंतिम नियमावली तैयार नहीं की या अपनाई।

आईआईएमआर ने कहा (अक्तूबर 2025) कि वह केंद्रीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्धारित लेखांकन प्रारूप का अनुपालन करता है, जिसे वह एक वास्तविक नियमावली मानता है।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाए कि लेखांकन प्रारूप बोर्ड द्वारा अनुमोदित संस्थान-विशिष्ट नियमावली का विकल्प नहीं हो सकता है। औपचारिक लेखांकन नियमावली की निरंतर अनुपस्थिति संस्थान की लेखांकन प्रक्रियाओं में कमजोर आंतरिक नियंत्रण को दर्शाती है।

मंत्रालय ने उत्तर (अप्रैल 2026) में लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमति व्यक्त की।

अनुशंसा:

आईआईएमआर को आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने और सुसंगत, अनुपालन लेखांकन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड के निर्देशानुसार एक व्यापक लेखांकन नियमावली को अंतिम रूप देना चाहिए और उसे अपनाना चाहिए।

3.8 बजट अनुमान तैयार किए बिना फीस में बढ़ोतरी

भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 की धारा 7(आई) आईआईएम को शैक्षणिक और संबंधित सेवाओं के लिए शुल्क निर्धारित करने और एकत्र करने का अधिकार देती है। यह स्वायत्तता, हालांकि, धारा 7(जी) द्वारा संतुलित है, जिसके अंतर्गत संस्थानों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा अन्य नवीन तरीकों के उपयोग के माध्यम से शिक्षा की लागत को कम करना और इसकी पहुंच को व्यापक बनाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, धारा 9 यह अनिवार्य करती है कि आईआईएम अ-लाभकारी संस्थाओं के रूप में कार्य करें, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि किसी भी अधिशेष को विशेष रूप से संस्थागत विकास और अनुसंधान के लिए पुनर्निवेश किया जाए।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि आईआईएम, रोहतक ने 2018-19 से 2023-24 के दौरान ₹ 217.91 करोड़ की संचयी अधिशेष प्राप्तियां उत्पन्न की। इसके पीजीपी, आईपीएम और आईपीएल कार्यक्रमों से शैक्षणिक प्राप्तियां 2018-19 में ₹ 31.57 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 125.91 करोड़ हो गई, जबकि इसी अवधि के दौरान प्रति छात्र औसत वार्षिक शुल्क ₹ 6.40 लाख से बढ़कर ₹ 8.64 लाख हो गया, जो कि 35 *प्रतिशत* की वृद्धि है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संस्थान ने प्राप्तियों और व्यय का अनुमान लगाने के लिए वार्षिक बजट तैयार नहीं किया, जो कि एक महत्वपूर्ण वित्तीय योजना उपकरण है। वास्तविक वित्तीय

आवश्यकताओं का आकलन करने और तदनुसार राजस्व को संरेखित करने के लिए बजट तैयार किए बिना, ऐसा प्रतीत होता है कि संस्थान द्वारा शुल्क संरचना को उच्च स्तर पर निर्धारित किया गया था। यह शिक्षा को अधिक किफायती बनाने के संस्थान के अधिदेश के विपरीत है। इसका उल्लेख पूर्ववर्ती 2019-21 के लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन में भी किया गया था।

उत्तर में (जून/अक्तूबर 2025), संस्थान ने बताया कि वह 2019 से पूरी तरह से स्व-वित्तपोषित है, वित्तीय स्वायत्तता के साथ कार्य करता है और सभी भारतीय प्रबंधन संस्थानों में इसकी फीस सबसे कम है। इसने आगे तर्क दिया कि अधिशेष को आंतरिक स्रोतों से वित्तपोषित होने वाले पूंजीगत व्यय के आलोक में देखा जाना चाहिए और रेखांकित किया कि लगभग 15 *प्रतिशत* छात्रों को योग्यता आधारित छात्रवृत्ति प्राप्त होती है।

संस्थान के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाए कि हालांकि वित्तीय स्वायत्तता और दीर्घकालिक स्थिरता महत्वपूर्ण हैं, लेकिन परिचालन और पूंजीगत दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद लगातार होने वाला उच्च अधिशेष शिक्षा की सामर्थ्य और आईआईएम अधिनियम के अंतर्गत गैर-लाभकारी शासनादेश के अनुपालन को लेकर चिंताएं पैदा करता है। एक संरचित वित्तीय योजना या शुल्क-निर्धारण ढांचे का अभाव पारदर्शी और आवश्यकता-आधारित शुल्क को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता को और रेखांकित करती है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में, विचारार्थ संस्थान से विजन दस्तावेज की मांग की।

अनुशंसा:

मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि आईआईएमआर रणनीतिक योजना के मार्गदर्शन के लिए एक दीर्घकालिक वित्तीय और शैक्षणिक विजन दस्तावेज तैयार करे और अपने अ-लाभकारी तथा किफायती शिक्षा के शासनादेश के अनुरूप फीस को तर्कसंगत बनाए।

3.9 निष्कर्ष

संस्थान ने विशिष्ट प्रयोजन निधि को अलग से न दिखाकर अपने कॉर्पस फंड को ₹ 267.45 करोड़ से अधिक दर्शाया। अप्रयुक्त अनुदानों पर ₹ 4.81 करोड़ का ब्याज भारत की संचित निधि में प्रेषित नहीं किया गया था जो सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन है। आपूर्तिकर्ताओं/निजी-पार्टियों और कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम असमायोजित रहे जो कमजोर निगरानी तंत्र को दर्शाता है। सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के लिए कोई सहायक खाते नहीं रखे गए थे। संस्थान ने न तो एएस-15 का पालन किया और न ही लेखांकन नियमावली तैयार की।

अध्याय IV

अधिप्राप्ति एवं अनुबंध प्रबंधन

अध्याय-IV: अधिप्राप्ति एवं अनुबंध प्रबंधन

4.1 विशेषज्ञ कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितताएं

4.1.1 दोहरी नियुक्ति के कारण परिहार्य व्यय

सामान्य वित्तीय नियम नियमवाली (जीएफआर), 2017 के नियम 21 के अनुसार सार्वजनिक अधिकारियों को व्यय करते समय उचित वित्तीय विवेक का प्रयोग करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने लेखा अनुभाग की स्वीकृत संख्या की समीक्षा की और पाया कि यद्यपि प्रमुख पद (वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी तथा दो लेखाकार) 2020 से भरे हुए थे, फिर भी संस्थान ने समान लेखांकन और लेखापरीक्षा से संबंधित कार्यों के लिए कई बाहरी फर्मों को नियुक्त करना जारी रखा।

जून 2019 में, आईआईएम, रोहतक ने लेखा प्रबंधन, लेखापरीक्षा, जीएसटी फाइलिंग और संबंधित वित्तीय कार्यों के लिए एक सनदी लेखाकार और सहायक कर्मचारियों सहित विशेषज्ञ कर्मचारी प्रदान करने के लिए मेसर्स सरुप्रिया सोमानी एंड एसोसिएट्स को नियुक्त किया। जब फर्म ने अप्रैल 2020 से जारी रखने में अपनी असमर्थता व्यक्त की, तो संस्थान ने 2020-21 के लिए समान शर्तों पर एल2 बोलीकर्ता, मेसर्स बृज गुप्ता एंड कंपनी को समान कार्यभार प्रदान किया।

साथ ही, संस्थान ने एक अलग सीए फर्म, मेसर्स बी.एम. वर्मा एंड कंपनी को 2017-21 के आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु नियुक्त किया और बाद में मेसर्स अरविंद उपकार एंड कंपनी को 2021-25 से आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त किया गया। इसके बावजूद, अक्तूबर 2021 में, मेसर्स बी.एम. वर्मा एंड कंपनी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सलाहकार समर्थन के लिए औपचारिक करार के बिना और नियम 194 (नामांकन आधार) के अंतर्गत पुनः प्रतिधारण आधार पर नियुक्त किया गया था।

कार्य के क्षेत्र की तुलना **(अनुलग्नक 4.1)** से पता चला कि दोहरे कार्य जैसे लेखा तैयार करने, लेखापरीक्षा सहायता और आयकर दाखिल करने जैसे कार्य, विशेषज्ञ कर्मचारियों फर्म के साथ-साथ आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा एक साथ किए जा रहे हैं। उसी कार्य के लिए एक अतिरिक्त फर्म को सम्मिलित करने के परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा अवधि तक प्रयास का दोहराव और ₹ 7.27 लाख का परिहार्य व्यय हुआ **(अनुलग्नक 4.2)**।

संस्थान ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि लेखा विभाग में कर्मचारियों की कमी थी, जिसके कारण विशेषज्ञ कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए वैध निविदा प्रक्रिया के माध्यम से मेसर्स सरुप्रिया सोमानी एंड एसोसिएट्स की सेवाएं ली गई।

संस्थान का तर्क कि कर्मचारियों की कमी थी, अभिलेखों से सिद्ध नहीं होता है, विशेषकर इसलिए कि स्वीकृत पद भरे हुए थे और विशेषज्ञ कर्मचारी पहले से तैनात थे। बिना किसी औपचारिक अनुबंध के, बोर्ड की स्वीकृति के बिना और पहले से ही मौजूदा अनुबंधों के अंतर्गत

सम्मिलित कार्य के लिए किसी अन्य फर्म को नियुक्त करने का निर्णय, कमजोर अनुबंध प्रबंधन और सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में कमी को दर्शाता है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमति व्यक्त की।

4.1.2 वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के अतिरिक्त दायित्व को पूरा करने पर परिहार्य व्यय

वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी (एफए एवं सीएओ) के त्यागपत्र के बाद, संस्थान ने इन जिम्मेदारियों को संभालने के लिए अर्थशास्त्र विभाग के एक संकाय सदस्य को ₹ दो लाख के मानदेय के साथ अतिरिक्त कार्यभार सौंपा। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि इस व्यवस्था के बावजूद, संस्थान ने कार्यवाहक वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी (एफए एवं सीएओ) को संक्षिप्त विवरण देने तथा मार्गदर्शन करने के लिए एक निजी लेखा फर्म (मैसर्स बी.एम. वर्मा एंड कंपनी) को नियुक्त किया और अप्रैल से अगस्त 2023 के बीच उक्त फर्म को ₹ 1.43 लाख का भुगतान किया। ये भुगतान बैठक में भाग लेने, मार्गदर्शन प्रदान करने और यात्रा जैसी गतिविधियों के लिए किए गए थे, जैसा कि **अनुलग्नक 4.3** में विस्तृत विवरण दिया गया है।

यह अतिरिक्त व्यय मानदेय प्रदान करने के उद्देश्य के विपरीत था, क्योंकि संकाय सदस्य को पहले से ही स्वतंत्र रूप से एफए और सीएओ कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मुआवजा दिया गया था। 2019-21 की निरीक्षण रिपोर्ट में भी इसी तरह का मामला सामने आया था जो आंतरिक नियंत्रण तंत्र की कमियों की बारंबारता को दर्शाता है।

उत्तर में (मई/अक्तूबर 2025), संस्थान ने कहा कि सीए फर्म को लेखापरीक्षा और विशेष वित्तीय मामलों का समर्थन करने की स्वीकृति के साथ पहले ही सम्मिलित किया गया था, और पूर्णकालिक एफए और सीएओ की अनुपस्थिति के कारण, संकाय सदस्य को वित्तीय जिम्मेदारियों को संभालने के लिए समर्थन की आवश्यकता थी।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक देखा जाए कि बोर्ड ने पहले ही निर्देश दिया था कि सभी अभिलेख आंतरिक लेखापरीक्षकों को सौंप दिए जाएँ, जिनके क्षेत्र में ये गतिविधियां आती हैं और यदि संकाय सदस्य सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ थे, तो ₹ दो लाख के मानदेय की स्वीकृति में औचित्य का अभाव था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमति व्यक्त की।

4.1.3 आवश्यक अनुभव और दस्तावेजीकरण के बिना आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति

संस्थान ने फरवरी 2021 में आंतरिक लेखापरीक्षा करने और वार्षिक लेखा तैयार करने के लिए एक सनदी लेखाकार फर्म को कार्य पर लगाने के लिए एक प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) जारी किया। प्रस्ताव हेतु अनुरोध के अंतर्गत बोलीकर्ता को (i) पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान में इसी तरह के कार्य के अनुभव के दस्तावेजी साक्ष्य और (ii) 2020-21 के दौरान इसी तरह की सेवाओं के लिए कम से कम पांच कार्य आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी थी।

लेखापरीक्षा समीक्षा से पता चला कि चयनित फर्म (मेसर्स अरविंद उपकार एंड कंपनी) ने केवल चार कार्य आदेश प्रस्तुत किए, जिनमें से सिर्फ़ दो आरएफपी मानदंड को पूरा करते थे, जबकि अन्य या तो अनुमेय अवधि से बाहर थे या गैर सरकारी संस्था से संबंधित थे। इसके अलावा, फर्म ने 2020-21 के लिए अनिवार्य पांच कार्य आदेश में से कोई भी प्रस्तुत नहीं किया। इसके बजाय, केवल एक स्वयं सत्यापित सूची दी गई, जिसमें एक साथ होने वाले लेखापरीक्षा अवधि के कार्य सम्मिलित थे।

इन कमियों के बावजूद, संस्थान ने मार्च 2021 में एक कार्य आदेश जारी किया और बाद में अनिवार्य सहायक दस्तावेज लिए बिना, इसे और तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया।

संस्थान ने उत्तर (अप्रैल/अक्तूबर 2025) में कहा कि फर्म का बायोडेटा और ग्राहकों की सूची पर्याप्त थी और गोपनीयता संबंधी चिंताओं की वजह से चयनित करने के बाद ही पूर्ण कार्य आदेश प्रस्तुत किए गए।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाए कि आरएफपी में स्पष्ट रूप से बोली के साथ दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने अनिवार्य थे। ऐसे दस्तावेज न होने कारण से फर्म प्रारंभिक चरण में ही अयोग्य हो गई। अपूर्ण बोली को स्वीकार करने से चयनित फर्म को गलत लाभ हुआ।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमति व्यक्त की।

अनुशंसा:
संस्थान को दोहरी तैनाती को रोकने और सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने अनुबंध प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए। अनियमित व्यय से बचने और वित्तीय संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, आरएफपी में पात्रता मानदंडों को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए तथा कार्य आबंटन से पहले दस्तावेजी साक्ष्यों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

4.2 आईआईएमआर में एयर कंडीशनर (एसी) की आपूर्ति के लिए कार्य के आबंटन में अनियमितताएं

4.2.1 छात्रावास ब्लॉक में 500 स्प्लिट एसी यूनिटों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग अनियमित रूप से कार्य का आबंटन

सामान्य वित्तीय नियमों की नियमावली के नियम 163 में दो बोली प्रणाली का प्रावधान है, जिसके लिए तकनीकी बोलियों को पहले खोला और मूल्यांकन किया जाना चाहिए, इसके बाद केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलीकर्ताओं की वित्तीय बोलियों को खोला जाना चाहिए।

आईआईएम, रोहतक ने अप्रैल 2019 में ₹ 1.72 करोड़ की अनुमानित लागत पर 500 स्प्लिट एसी इकाइयों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित की थी। दो-बोलियां प्राप्त हुई और मेसर्स वी सेव इलेक्ट्रॉनिक्स की बोली को अपर्याप्त दस्तावेजीकरण के आधार पर तकनीकी मूल्यांकन के दौरान अस्वीकृत कर दिया गया, यद्यपि अभिलेखों में

कमियों का उल्लेख नहीं किया गया था। शेष एकमात्र बोलीकर्ता, मेसर्स पाहुजा एयरकॉन की वित्तीय बोली उसके बाद खोली गई और फर्म को ₹ 1.64 करोड़ का अनुबंध आबंटित किया गया।

मेसर्स पाहुजा एयरकॉन की तकनीकी बोली की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि एकमात्र बोलीकर्ता एनआईटी में निर्धारित तकनीकी आधार पर योग्य नहीं था, जिसके लिए बोलीकर्ताओं को 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले सात वर्षों के दौरान समान कार्य (1-टीआर/1.5-टीआर स्प्लिट एसी की आपूर्ति और स्थापना) पूरा करना आवश्यक था, जो कार्य आदेशों और पूर्णता प्रमाण पत्रों द्वारा समर्थित था। बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से पता चला कि:

- निर्धारित अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2018 के बाद दो मुख्य कार्य आदेश (₹ 12.00 करोड़ और ₹ 1.60 करोड़) पूर्ण किए गए।
- शेष दो कार्य आदेश न्यूनतम सीमा ₹ 68.60 लाख से कम थे।
- किसी भी कार्य के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए थे; केवल क्रय आदेश एवं 02 मई 2019 की तिथि का स्व-घोषणा प्रदान किया गया था।

इसलिए, इसके परिणामस्वरूप निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता का उल्लंघन हुआ, जिससे तकनीकी रूप से अयोग्य बोलीकर्ता को कार्य आबंटित किया गया। आईआईएमआर ने बाद में तर्क दिया (मार्च/अक्तूबर 2025) कि मेसर्स पाहुजा एयरकॉन को दिसंबर 2018 से पहले अर्हता सीमा से अधिक भुगतान प्राप्त हुआ था और इसलिए मानदंड पूरा किया गया था। इस तर्क को निविदा फाइल या निर्धारित तिथि से पहले जारी किए गए किसी भी पूर्णता प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित नहीं किया गया था और लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत किए गए लेजर के उद्धरण कार्येत्तर प्रतीत हुए और वास्तविक मूल्यांकन का हिस्सा नहीं थे। इसके अलावा, इन अभिलेखों ने स्प्लिट एसी से संबंधित समान कार्यों के निष्पादन की पुष्टि नहीं की जैसा कि निविदा आमंत्रण सूचना द्वारा अपेक्षित था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमति व्यक्त की।

4.2.2 निविदा के बिना अतिरिक्त दो-टीआर एसी की अधिप्राप्ति

आईआईएम, रोहतक ने (मई 2019) मेसर्स पाहुजा एयरकॉन को 500 वन-टीआर स्प्लिट एसी यूनिटों की आपूर्ति और स्थापना के लिए ₹ 1.64 करोड़ का अनुबंध आबंटित किया। करार के खंड 2.17.1 ने अनुबंध मूल्य के 1.25 गुना की सीमा के अधीन, समान इकाई दरों पर मात्रा में भिन्नता की अनुमति दी। हालांकि, इस तरह के विचलन केवल मात्रा अनुसूची की वास्तविक अनुसूची में सम्मिलित मदों के लिए अनुमेय थे।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 29 जुलाई 2019 को, आईआईएमआर ने निदेशक के निर्देशों पर, ₹ 18.58 लाख की कुल लागत पर 41 अतिरिक्त यूनिटों (11 एक-टीआर और 30 दो-टीआर) खरीदने का प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत किया, जिसमें दावा किया गया कि यह खंड

2.17.1 के अंतर्गत 25 *प्रतिशत* भिन्नता सीमा के भीतर था। निदेशक ने 08 अगस्त 2019 को इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वास्तविक मात्रा अनुसूची (एसओक्यू) में केवल 500 एक-टीआर एसी यूनिटों की आपूर्ति और स्थापना सम्मिलित थी। दो-टीआर एसी निविदाकृत मदों का हिस्सा नहीं थे। इसलिए, जब ये मदें वास्तविक मात्रा अनुसूची (एसओक्यू) में सम्मिलित नहीं थी, तब ₹ 36,000 की उच्चतर यूनिट लागत पर 30 दो-टीआर एसी यूनिटों की अधिप्राप्ति करना, खंड 2.17.1 के अंतर्गत भिन्नता के अनुमेय क्षेत्र से बाहर था। मूल रूप से निविदा में सम्मिलित न की गई किन्हीं भी नई मदों की खरीद के लिए नए सिरे से निविदा आमंत्रित किया जाना अपेक्षित था।

आईआईएमआर ने कहा (अप्रैल/जून/अक्तूबर2025) कि अतिरिक्त यूनिट, करार की भिन्नता/ अतिरिक्त-मद प्रावधानों के अंतर्गत खरीदी गई थी।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाए कि वास्तविक मात्रा अनुसूची से अनुपस्थित मदों को धारा 2.17.1 के अंतर्गत मात्रा भिन्नता या अतिरिक्त वस्तुओं के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, अभिलेखों से ज्ञात होता है कि आपूर्तिकर्ता ने कोटेशन लेने और स्वीकृति दिए जाने से पहले 41 अतिरिक्त एसी यूनिटों की आपूर्ति की थी। आपूर्ति के बाद नियमित करने के लिए एक कोटेशन अक्तूबर 2019 में प्राप्त किया गया था।

ये कार्य,निविदा शर्तों से विचलन, प्रतिस्पर्धी बोली के बिना नई मदों की अधिप्राप्ति को दर्शाते हैं, निष्पक्षता और पारदर्शिता से समझौता करते हुए मौजूदा संविदाकर्ता के प्रति अनुचित पक्षपात का संकेत देते हैं।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमति व्यक्त की।

4.2.3 छात्रावास ब्लॉक में 100 स्प्लिट एसी की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग

जीएफआर नियम 159(i) और 160(i) सभी स्वायत्त निकायों को निविदा पूछताछ ई-प्रकाशित करने और विशेष रूप से ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से बोलियां प्राप्त करने का अधिदेश देते हैं। सीवीसी दिशानिर्देशों में यह भी अपेक्षित है कि अनुबंधों को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के माध्यम से प्रदान किया जाए और नामांकन या एकल-बोली की स्थितियों की सहायता केवल असमान्य एवं असाधारण मामलों में ली जाए।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 100 स्प्लिट एसी यूनिटों की आपूर्ति और स्थापना के लिए जनवरी 2020 में आईआईएमआर की निविदा, यद्यपि, ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर जारी की गई थी, लेकिन इसमें एक विरोधाभासी खंड सम्मिलित था, जिसके अंतर्गत बयाना राशि (ईएमडी), निविदा शुल्क और हस्ताक्षरित निविदा फॉर्म जैसे दस्तावेजों को भौतिक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया था। अभिलेख में अनिवार्य ई-प्रोक्योरमेंट आवश्यकताओं के इस विचलन के लिए कोई औचित्य नहीं पाया गया।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि बोली प्रस्तुत करने के दौरान, एक बोलीदाता, मेसर्स एलीट एयरकॉन ने पोर्टल के कार्य न करने की सूचना दी और हार्ड कॉपी की स्वीकृति या समय बढ़ाने की मांग की। आईआईएमआर ने समय सीमा बढ़ा दी और फर्म ने बाद में अपना मात्रा बिल ऑनलाइन प्रस्तुत किया।

हालांकि, आईआईएमआर ने बीओक्यू को पहले ही भौतिक रूप से जमा करने के कारण मैसर्स एलीट एयरकॉन को अयोग्य घोषित कर दिया था, जबकि इसके साथ ही भौतिक दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण मैसर्स एईआरएमईसी एचवीएसी को भी अयोग्य घोषित कर दिया था; निविदा शर्तों का यह अनुप्रयोग आंतरिक रूप से असंगत था क्योंकि जीएफआर के अंतर्गत केवल ऑनलाइन प्रस्तुत करने की ही अनुमति थी। इस प्रकार केवल मैसर्स पाहुजा एयरकॉन ही तकनीकी रूप से अर्ह बची, हालांकि मैसर्स एलीट एयरकॉन ने बाद में आईआईएमआर को सूचित किया था कि उसकी उद्धृत दरें कम थी। मार्च 2020 में सफल बोलीकर्ता की घोषणा करने के बावजूद, आईआईएमआर ने इस विलंब के लिए कोई कारण दर्ज किए बिना, अगस्त 2020 में ही कार्य आबंटित किया।

आईआईएमआर के उत्तरों (अप्रैल/जून/अक्तूबर 2025) में कहा गया है कि भौतिक प्रस्तुतीकरण एक सामान्य संस्थागत प्रथा थी।

उत्तर, जीएफआर आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है और बोलीकर्ताओं के प्रतिकूल समाधान या पारदर्शी मूल्यांकन की अनुपस्थिति की व्याख्या नहीं करता है जिसके परिणामस्वरूप मेसर्स पाहुजा एयरकॉन की एकल शेष बोली थी। अधिप्राप्ति के निर्धारित मानदंडों से इन विचलनों ने पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के जीएफआर और सीवीसी सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए, एकल, उच्च-मूल्य बोलीकर्ता को अनुबंध दिया।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमति व्यक्त की।

अनुशंसा:

आईआईएम, रोहतक को जीएफआर और सीवीसी दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन करते हुए निविदा रहित वस्तुओं के लिए नई निविदा के माध्यम से पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी अधिप्राप्ति सुनिश्चित करना चाहिए। अनिवार्य ई-प्रोक्योरमेंट और पात्रता शर्तों को समान रूप से और दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित वस्तुनिष्ठ रूप से लागू किया जाना चाहिए।

4.2.4 एकल बोलीकर्ता को अनुबंध प्रदान करने को न्यायोचित ठहराने के लिए आकलन का ऊर्ध्वगामी संशोधन

सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 173 के उप-नियम (xix) और (xx) के अनुसार, अधिप्राप्ति में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता और मनमानी से बचना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भले ही केवल एक बोली प्राप्त हुई हो, यह प्रक्रिया केवल तभी मान्य हो सकती है जब (क) निविदा का पर्याप्त रूप से विज्ञापन किया गया हो और प्रतिक्रिया के लिए पर्याप्त समय दिया गया हो (ख) पात्रता शर्तें प्रतिबंधात्मक न हों और (ग) बाजार मूल्यों की तुलना में उद्धृत दरें उचित हों।

"आईआईएमआर में छात्रावास/कार्यालयों/कक्षा ब्लॉकों के लिए विद्युत फिटिंग और स्प्लिट एसी प्रदान करने और लगाने" के कार्य से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि आईआईएमआर ने 07 मई 2022 को ₹ 91.52 लाख के अनुमान के साथ उपर्युक्त कार्य के लिए बोलियां आमंत्रित की, जिसके विरुद्ध तीन बोलियां प्राप्त हुई, जिनमें से दो को भौतिक प्रस्तुतीकरण के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया और तीसरे बोलीकर्ता को तकनीकी रूप से योग्य पाया गया और निविदा समिति ने एकमात्र बोलीकर्ता की वित्तीय बोली खोली, जिसका मूल्य अनुमोदित अनुमान ₹ 99.84 लाख से अधिक था (अनुमान से 9.10 *प्रतिशत* अधिक)।

चर्चा के बाद, एकल बोलीकर्ता की संशोधित प्रस्तुति ₹ 97.77 लाख थी, जो अभी भी निविदा से पहले के अनुमान से 6.8 *प्रतिशत* अधिक थी। बाजार दरों के विरुद्ध उद्धृत मूल्य की तर्कसंगतता का आकलन करने के बजाय, निविदा समिति ने बोली लगाने वालों की अनुमानित दरों और उद्धृत कीमतों के बीच अंतर को कम करने के लिए एसी यूनिटों और एएमसी शुल्क के वास्तविक अनुमान में ऊर्ध्वगामी संशोधन की सिफारिश की गई। अभिलेखों में इस संशोधन के लिए कोई समर्थित बाजार सर्वेक्षण, गणना शीट या औचित्य उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा, संविदाकर्ता द्वारा कुल ₹ 1,00,29,841 की लागत पर कार्य पूरा किया गया था (वाउचर सं. 902 ₹ 44,43,336 और वाउचर सं. 1,150 ₹ 55,86,505)। इससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की कमी और एक विशेष संविदाकर्ता के पक्ष में सामान्य वित्तीय नियमों का उल्लंघन हुआ।

आईआईएमआर ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि निविदा के बाद के ऊर्ध्वगामी संशोधन वित्त मंत्रालय के 29 अक्तूबर 2021 के पत्र के अनुरूप है।

वित्त मंत्रालय के उपर्युक्त पत्र के अनुसार, दिनांक 29 अक्तूबर 2021 ने एकल बोली की स्वीकृति की अनुमति दी थी यदि उद्धृत मूल्य प्रचलित बाजार दरों की तुलना में तर्कसंगत हो। बाजार मूल्य के साथ उद्धृत दरों की तर्कसंगतता की जांच करने के बजाय, आईआईएमआर ने कोई तर्क दर्ज किए बिना अपना अनुमान परिवर्तित कर दिया। यह पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धा के सामान्य वित्तीय नियमों सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमति व्यक्त की।

4.3 कार्य आरंभ अग्रिम के कारण संविदाकर्ता को अनुचित लाभ

सीवीसी दिशानिर्देश (अप्रैल 2007) ब्याज मुक्त कार्य आरंभ अग्रिम (एमए) को हतोत्साहित करते हैं और इसे केवल तभी अनुमति देते हैं जब अनिवार्य समयबद्ध वसूली के साथ निविदा शर्तों में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया हो, इसी प्रकार सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल 2014 में संविदाकर्ता से लिखित अनुरोध पर 10 *प्रतिशत* साधारण ब्याज के साथ बड़े कार्यों के लिए निविदा मूल्य के 10 *प्रतिशत* तक कार्य आरंभ अग्रिम राशि की अनुमति दी गई है।

आईआईएमआर ने मार्च 2015 में भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक के लिए सुनारिया गांव, रोहतक में स्थायी परिसर के चरण 1ए के निर्माण के लिए ₹ 309.68 करोड़ की राशि का अनुबंध मेसर्स अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड को दिया था। करार के खंड 10बी(iv) में अन्य बातों के साथ यह प्रावधान किया गया है कि (i) कार्य आरंभ अग्रिम एक

ब्याज-युक्त अग्रिम होगा जिस पर 10 *प्रतिशत* प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लगेगा और अग्रिम की बकाया राशि पर भुगतान की तिथि से वसूली की तिथि तक गणना की जाएगी, (ii) ऐसे अग्रिम की वसूली 10 *प्रतिशत* कार्य निष्पादित होने के बाद शुरू होनी थी और इस तरह से की जानी थी कि अनुबंध के सकल मूल्य का 80 *प्रतिशत* निष्पादित होने तक पूरे अग्रिम की वसूली आनुपातिक आधार पर की जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईआईएमआर ने अप्रैल से सितंबर 2015 के बीच वास्तविक अनुबंध मूल्य के 10 *प्रतिशत* के बराबर ₹ 30.97 करोड़ का ब्याज मुक्त कार्य आरंभ अग्रिम जारी किया था। कार्य आरंभ अग्रिम की वसूली के लिए किसी निश्चित समय-सूची के अभाव और विलंबित निष्पादन के परिणामस्वरूप संविदाकर्ता को ब्याज की वसूली न होने के कारण ₹ 3.36 करोड़ (**अनुलग्नक 4.4**) का वित्तीय लाभ हुआ।

इसके आगे, यद्यपि बोर्ड ने जुलाई 2016 में दायरे को संशोधित किया और स्वीकृत अनुबंध मूल्य को ₹ 234.89 करोड़ तक कम कर दिया, फिर भी आईआईएमआर ने अनुमान के संशोधन के बाद ₹ 23.49 करोड़ (₹ 234.89 करोड़ का 10 *प्रतिशत*) की कम अनुमेय सीमा के लिए कार्य आरंभ अग्रिम को समायोजित नहीं किया। इसके अतिरिक्त, कार्य की प्रगति के साथ जोड़कर कार्य आरंभ अग्रिम की वसूली के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि वसूली लगातार किए गए कार्य के अनुपात में देय वसूली की राशि से कम थी। इस प्रकार की कम वसूली के कारण ₹ 47.27 लाख के अतिरिक्त ब्याज की हानि हुई। (**अनुलग्नक 4.4**)

आईआईएमआर ने कहा (मई 2025) कि अनुबंध मूल्य को बाद में संशोधित कर ₹ 258.90 करोड़ कर दिया गया, जिससे संशोधित मूल्य (₹ 207.12 करोड़) का 80 *प्रतिशत* निष्पादित होने के बाद कार्य आरंभ अग्रिम पूरी तरह से वसूली योग्य हो गया। अपने अनुवर्ती उत्तरों (जून/अक्तूबर 2025) में, आईआईएमआर ने कहा कि कार्य आरंभ अग्रिम संविदात्मक रूप से अनुमेय था, पारदर्शी रूप से प्रशासित, पूरी तरह से वसूल किया गया था और इसके परिणामस्वरूप कोई उल्लंघन या अनुचित लाभ नहीं हुआ था।

आईआईएमआर के उत्तर (मई/जून/अक्तूबर 2025) जिनमें पूर्ण वसूली का दावा किया गया था, जो अभिलेखों द्वारा समर्थित नहीं थे। ब्याज मुक्त अग्रिम की अनुमति, समयबद्ध वसूली तंत्र का अभाव और अतिरिक्त अग्रिम को नियमित करने में विफलता के कारण संविदाकर्ता को अनुचित वित्तीय लाभ हुआ, जो कुल ₹ 3.83 करोड़ था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में लेखापरीक्षा से सहमति व्यक्त की।

4.4 संविदाकर्ता को अनुचित लाभ - सुविधा प्रबंधन सेवाएं

आईआईएमआर ने ई-निविदा पोर्टल पर खुली निविदा इन्क्वायरी के माध्यम से अक्तूबर 2021 से सितंबर 2022 की अवधि के लिए ₹ 2.00 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ 'सुविधा प्रबंधन सेवाओं' के लिए ऑनलाइन बोलियां (सितंबर 2021) आमंत्रित कीं। निविदा दस्तावेज के प्रमुख प्रावधानों में सम्मिलित है:

- सेवा प्रभार 2.00 *प्रतिशत* से अधिक, जैसा कि हरियाणा आउटसोर्सिंग नीति (04 अगस्त 2021) द्वारा अनिवार्य है।
- बैंक हस्तांतरण के माध्यम से मजदूरी का भुगतान और पीएफ/ईएसआई के लिए नियोक्ता अंशदान सहित वैधानिक देनदारियों का पूर्ण अनुपालन।
- जीएफआर नियमों के अंतर्गत बोलियों का मूल्यांकन, निर्धारित मानदंडों से नीचे बोली लगाने वाली बोलियों को अस्वीकृत करना।

ईपीएफ अधिनियम, 1952 सभी पात्र श्रमिकों के लिए पीएफ, पेंशन और बीमा लाभों को अनिवार्य करता है।

सुविधा प्रबंधन सेवाओं के लिए निविदा (सितंबर 2021) में प्रमुख प्रावधानों का अनुपालन करना अपेक्षित है। शुद्धिपत्र संख्या 1 के माध्यम से सम्मिलित की गई हरियाणा आउटसोर्सिंग नीति (04 अगस्त 2021) में 2.00 *प्रतिशत* या उससे कम सेवा शुल्क प्रभार उद्धृत करने वाली बोलियों को निरस्त करने का आदेश दिया गया था। निविदा शर्तों के अनुसार वेतन का भुगतान केवल बैंक हस्तांतरण के माध्यम से किया गया था, जिसमें सभी कर्मियों को संविदाकर्ता के कर्मचारी के रूप में माना जाता था, जो ईपीएफ और ईएसआई जैसी वैधानिक देनदारियों के लिए उत्तरदायी था। ईपीएफ अधिनियम, 1952 अनिवार्य नियोक्ता अंशदान के माध्यम से पेंशन और बीमा सहित दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा की गारंटी देता है। जीएफआर नियम 163-164 के अनुसार, केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलियां ही वित्तीय मूल्यांकन के लिए आगे बढ़ सकती हैं।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अनियमितताएं देखी गई:

1. असमर्थनीय आधार पर निविदा निरस्त करना और मजदूरी संवितरण में अनियमितताएं

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मेसर्स किंग सिक्योरिटी गार्ड्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, 2018 से मौजूदा संविदाकर्ता को निविदा के अंतिम रूप देने में विलंब के कारण भी अप्रैल 2022 तक विस्तार मिलता रहा। सितंबर 2021 के निविदा में, यद्यपि, एल1 ने 2.00 *प्रतिशत* की अनर्ह दर उद्धृत की और दो अर्ह बोलीकर्ताओं ने 2.01 *प्रतिशत* और 12 *प्रतिशत* उद्धृत किया। एल1 को अस्वीकृत करने और सबसे कम योग्य बोलीकर्ता को 2.01 *प्रतिशत* निविदा देने के बजाय, निविदा समिति ने निविदा को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि निविदा में अनुमत सेवा प्रभार दो *प्रतिशत* से अधिक होना चाहिए था।

तब, आईआईएमआर ने 23 अक्तूबर 2021 में अनुबंध को पुन: प्रस्तुत किया और निविदा में केवल दो बोलीकर्ताओं ने भाग लिया; एक तकनीकी रूप से फॉर्म शुल्क का भुगतान न करने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिससे एक ही योग्य बोलीकर्ता रह गया। एकमात्र शेष बोली लगाने वाला जिसने 2.01 *प्रतिशत* अर्थात् मेसर्स किंग सिक्योरिटी गार्ड्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की सेवा शुल्क उद्धृत की थी, 27 अप्रैल 2022 को अनुबंध (मई 2022-अप्रैल 2023) आबंटित किया था। सितंबर 2021 की निविदा के अनुचित निरस्तीकरण के कारण आईआईएमआर के लिए मैसर्स किंग सिक्योरिटी गार्ड्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ पिछले

अनुबंध को अप्रैल 2022 तक छः बार बढ़ाना अनिवार्य हो गया, जब तक कि उसी संविदाकर्ता (मैसर्स किंग सिक्योरिटी गार्ड्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड) को सफल बोलीकर्ता के रूप में चयनित नहीं कर लिया गया, जिसने न्यूनतम निर्दिष्ट सेवा प्रभार अर्थात 2.01 *प्रतिशत* से कम की दर उद्धृत की थी और जो वर्ष 2018 से ही इस अनुबंध पर कार्यरत था।

वैध औचित्य के बिना इस पुन: निविदा के कारण मैसर्स किंग सिक्योरिटी गार्ड्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को अनुचित लाभ मिला।

मजदूरी संवितरण में अनियमितताएं

मई 2022-अप्रैल 2023 के अभिलेख की जांच से पता चला कि श्रमिकों को बैंक हस्तांतरण की अपेक्षित निविदा शर्तों के विपरीत, नकद में भुगतान किया गया था। मजदूरी शीट में असंगत या बेमेल हस्ताक्षर थे और कई स्वीकृतियां एक ही व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित पाई गई, जिससे मजदूरी भुगतान और श्रमिकों को वास्तविक भुगतान की प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न होता है।

2. सांविधिक पीएफ अंशदान का अननुपालन

सफल बोलीकर्ता ने ईपीएफ अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के बावजूद विशिष्ट पदों के लिए नियोक्ता पीएफ अंशदान शून्य दर्शाया गया। इस अननुपालन बोली का मूल्यांकन किया गया और स्वीकृत किया गया। आईआईएमआर ने ईपीएफओ पोर्टल पर स्वतंत्र सत्यापन के बिना संविदाकर्ता के चालान पर पूरी तरह से विश्वास किया, जिससे वैधानिक अनुपालन कमजोर हो गया। इन चूकों के बावजूद ₹ 2.35 करोड़ (मई 2022-अप्रैल 2023) और ₹ 0.20 करोड़ (मई 2023 विस्तार) का भुगतान किया गया। अप्रैल 2023 में, उसी संविदाकर्ता ने पुन: कुछ पदों के लिए शून्य पीएफ अंशदान दर्शाया और फिर भी अनुबंध (जून 2023-मई 2024) आबंटित किया गया। नकद वेतन भुगतान और हस्ताक्षर असंगतता जनवरी 2024 तक बनी रही। आईआईएमआर ने इस अवधि के दौरान ₹ 3.25 करोड़ जारी किए, जिसके उल्लंघन के कारण कुल भुगतान ₹ 5.80 करोड़ रहा।

आईआईएमआर (मार्च/अक्तूबर 2025) ने सितंबर 2021 के निविदा को निरस्त करने का कारण वित्तीय बोली प्रारूप में अस्पष्टता बताया। मजदूरी भुगतान और पीएफ अनुपालन पर आईआईएमआर ने कहा कि वेतन संवितरण संविदाकर्ता का दायित्व था।

हालांकि, निविदा दस्तावेज और शुद्धिपत्र में स्पष्ट रूप से दो *प्रतिशत* या उससे कम के बोली को अस्वीकृत करने का आदेश दिया गया था, इसलिए 2.01 *प्रतिशत* का उद्धरण पूर्ण रूप से अनुपालन के अधीन था। यह इस तथ्य से समर्थित है कि प्रणाली ने तुलना के लिए 2.01 *प्रतिशत* पर एल2 बोली स्वीकृत की। बोली प्रारूप में एक अलग नियोक्ता-पीएफ कॉलम मौजूद था और संविदाकर्ता ने केवल विशिष्ट पदों के लिए शून्य दर्ज किया था, जो गैर-अनुपालन को दर्शाता है। इसके अलावा धारा 6 के साथ पठित 8ए(1) के अनुसार, संविदाकर्ता से ईपीएफ अंशदान (नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का हिस्सा) वसूलना प्रमुख नियोक्ता की जिम्मेदारी है। इसके अलावा, निविदा की शर्तों में यह अपेक्षित था कि आईआईएमआर, प्रमुख नियोक्ता के

रूप में, वैधानिक बकाया का स्वतंत्र रूप से सत्यापन करे, उक्त दायित्व जिसे उसने पूरा नहीं किया।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमति व्यक्त की।

अनुशंसा:

आईआईएमआर को वित्तीय और अनुपालन जोखिमों को कम करने के लिए पारदर्शी निविदा परिणामों और बैंक-आधारित वेतन भुगतान और पीएफ अनुपालन के स्वतंत्र सत्यापन को सुनिश्चित करके अधिप्राप्ति एवं अनुबंध नियंत्रण को सुदृढ़ करना चाहिए।

4.5 न्यूनतम मजदूरी से कम बोली स्वीकार करके संविदाकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाना, जिससे श्रमिकों को कम भुगतान

आईआईएमआर ने जून 2024 से मई 2025 के लिए सुविधा प्रबंधन सेवाओं के लिए अप्रैल 2024 में ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित कीं। निविदा शर्तों में बोलीकर्ताओं को हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) द्वारा अधिसूचित न्यूनतम दरों के बराबर या उससे अधिक मजदूरी उद्धृत करना अपेक्षित था। वैधानिक न्यूनतम मजदूरी से कम उद्धृत बोलियां पूरी तरह से निरस्त की जा सकती थी। निविदा में सरकारी श्रम नियमों के अनुसार वेतन वृद्धि की भी आवश्यकता थी और यह अनिवार्य किया गया था कि सभी वेतन ऑनलाइन हस्तांतरण या चेक के माध्यम से भुगतान किए जाए। इसके अलावा, हरियाणा सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने अपनी जनवरी 2022 अधिसूचना के माध्यम से अनिवार्य किया कि जब भी संशोधित निगम वेतन दरें उच्चतर हों, तो तैनात कर्मियों को अद्यतित दरें प्रदान की जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि केवल दो बोलीकर्ताओं वित्तीय मूल्यांकन के लिए योग्य थे। 25 अप्रैल 2024 को जब वित्तीय बोलियां खोली गईं, तो निविदा समिति ने पाया कि एल1 बोलीकर्ता की दरें अनुमान से 21.12 *प्रतिशत* अधिक थी और चर्चा का विकल्प चुना गया। जबकि बोलीकर्ता ने प्रारंभ में प्रचलित एचकेआरएनएल दरों के अनुरूप मजदूरी उद्धृत की थी (जून 2024 तक प्रभावी), 07 जून 2024 को चर्चा के परिणामस्वरूप बोलीकर्ता ने जनवरी 2022 की पुरानी निगम वेतन दरों में मजदूरी कम कर दी, जिसे सितंबर 2023 में परिवर्तित कर दिया गया था। वैधानिक वेतन मानदंडों के इस स्पष्ट उल्लंघन के बावजूद, निविदा समिति ने पुराने दरों को स्वीकृत किया और जुलाई 2024 में अनुबंध प्रदान किया।

क्रियान्वयन के दौरान, श्रमिकों को जुलाई 2024 में एक नए संशोधन के बाद भी 2022 की पुरानी दरों पर वेतन का भुगतान जारी रखा गया, जिससे वैधानिक आवश्यकताओं का उल्लंघन हुआ और श्रमिकों को कानूनी रूप से देय न्यूनतम मजदूरी से वंचित किया गया। अधिसूचित और चर्चा द्वारा निर्धारित की गई मजदूरी दरों की तुलना (**अनुलग्नक 4.5**) से पता चला कि स्वीकृत मजदूरी लगातार अद्यतित वैधानिक दरों से कम थी, जो कम भुगतान और अननुपालन को दर्शाती है।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि निर्धारित पदों के लिए, बोलीकर्ता ने नियोक्ता अंशदान के लिए बोली प्रारूप में एक अलग कॉलम निर्धारित होने के बावजूद, शून्य नियोक्ता पीएफ/ईएसआई

अंशदान दर्ज किया। जबकि अन्य पदों पर सही पीएफ/ईएसआई अंशदान दर्ज था, दो श्रेणियों-हाउसकीपिंग/बागवानी पर्यवेक्षक और ट्रैक्टर चालक ने नियोक्ता पीएफ/ईएसआई कवरेज को अनिवार्य करने वाले वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए शून्य नियोक्ता अंशदान को दर्शाया।

वैधानिक वेतन और सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के इन उल्लंघनों के बावजूद, आईआईएमआर ने जुलाई 2024 और जनवरी 2025 के बीच कुल ₹ 1.66 करोड़ का भुगतान किया।

आईआईएमआर ने कहा (जून/अक्तूबर 2025) कि चर्चा के दौरान निर्धारित वेतन में कमी एक विवेकपूर्ण वित्तीय उपाय था ताकि बोली को प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और भुगतान उद्धृत दरों पर जारी रहे क्योंकि संविदाकर्ता ने वेतन संशोधन का अनुरोध नहीं किया था। आईआईएमआर ने यह भी कहा कि पीएफ/ईएसआई चालान मासिक रूप से प्रस्तुत किए गए, ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से सत्यापित किए गए और कम भुगतान या अननुपालन की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

उत्तर को इस तथ्य आलोक में देखा जाए कि संशोधित निगम वेतन दरों का अनुपालन एक वैधानिक आवश्यकता है, जो संविदाकर्ता के अनुरोध पर निर्भर नहीं है। 2022 की पुरानी वेतन दरों को स्वीकृत करना और वैधानिक न्यूनतम से कम भुगतान की अनुमति देना निविदा शर्तों और श्रम कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन था, जिसके परिणामस्वरूप संविदाकर्ता को अनुचित लाभ और श्रमिकों को वित्तीय हानि हुई। निविदा दस्तावेजों में आईआईएमआर को भी भुगतान जारी करने से पहले वैधानिक अनुपालन को सत्यापित करने के लिए प्रमुख नियोक्ता के रूप में अपेक्षित था। संस्थान ने स्वतंत्र रूप से ईपीएफ जमा का सत्यापन नहीं किया, जिसके कारण श्रमिकों के पीएफ का अंशदान कम/जमा नहीं हुआ, जैसा कि **पैरा 4.7** में विस्तृत है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमति व्यक्त की।

4.6 संविदाकर्ता को अनुचित लाभ - सुरक्षा सेवाएं

सीवीसी दिशानिर्देश (03 मार्च 2007 और 20 जनवरी 2010) में यह निर्धारित किया गया है कि निविदा के बाद की चर्चा सामान्यत: प्रतिबंधित है और यदि अपरिहार्य है, तो केवल सबसे कम बोलीकर्ता (एल1) के साथ चर्चा की जा सकती है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 भी अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी के भुगतान को अनिवार्य करता है और कम भुगतान के लिए दंड निर्धारित करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईआईएमआर ने अगस्त 2019 में सुरक्षा सेवाओं के लिए बोलियां आमंत्रित की थी और जब वित्तीय बोलियां खोली गई, तो निविदा समिति ने सीवीसी दिशानिर्देशों के विपरीत, न केवल एल1 के साथ बल्कि एल2 और एल3 के साथ भी चर्चा की। एल1 और एल3 को इस आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया कि उनके वेतन के उद्धरण उप आयुक्त (डीसी)[4] दरों से कम थे और 26 कार्य दिवसों के आधार पर थे। हालांकि, एल2 ने

[4] डीसी दरें विभिन्न विभागों के कर्मचारियों/श्रमिकों को आकस्मिक भुगतान के लिए उप आयुक्त द्वारा निर्धारित वेतन/मजदूरी की न्यूनतम दरें हैं।

कम आधार पर दरें उद्धृत की थी, फिर भी उसे अयोग्य घोषित नहीं किया गया था और इसके बजाय उसे नया एल1 घोषित किया गया था। बोलीकर्ता ने बाद में एवजी शुल्क सम्मिलित करते हुए एक संशोधित बोली प्रस्तुत की–एक ऐसा तत्व जिसका निविदा में कोई प्रावधान नहीं था और आईआईएमआर ने इसे स्वीकार कर लिया। सितंबर 2019 में, मेसर्स साइक्लोप्स सिक्योरिटी एंड एलाइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को अनुबंध दिया गया था, जबकि इसके उद्धृत ईपीएफ/ईएसआई अंशदान वैधानिक आवश्यकताओं से कम थे।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि अप्रैल 2020 और उसके बाद वेतन संशोधन के बाद भी श्रमिकों को पुराने डीसी दरों का भुगतान किया जाता रहा। बार-बार डीसी दर संशोधन के बावजूद, आईआईएमआर ने न तो संशोधित मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया और न ही संविदात्मक दंड लागू किया और अनुबंध को अप्रैल 2022 तक बढ़ाना जारी रखा। बाद के निविदाओं (2022-23 और 2023-24) में, सभी बोलीकर्ताओं ने वैधानिक मानदंडों से कम ईपीएफ अंशदान उद्धृत किया; ऐसी बोलियों को अस्वीकृत करने और निविदा को वापस करने के बजाय, आईआईएमआर ने पुन: उसी संविदाकर्ता को अनुबंध प्रदान किया और विस्तार प्रदान किए, भले ही वैधानिक कमियां बनी रहीं और श्रमिकों को पुरानी मजदूरी का भुगतान जारी रहा।

आईआईएमआर ने उल्लेख किया (जून 2025) कि वेतन संबंधी व्याख्याओं को स्पष्ट करने के लिए तीन सबसे कम बोलीकर्ताओं के साथ चर्चा की गई थी और केवल एल2 ही एवजी प्रभार का भुगतान करने पर सहमत हुआ था। यह भी कहा कि श्रमिकों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी और संविदाकर्ता द्वारा वेतन संशोधन का कोई अनुरोध नहीं किया गया था।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाए कि एल1 के अलावा बोलीकर्ताओं के साथ निविदा के उपरांत की चर्चा सीवीसी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करती है और आईआईएमआर द्वारा लेखापरीक्षा के लिए चयनात्मक समाधान के लिए कोई दस्तावेजी औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अलावा, एवजी प्रभार कभी भी निविदा शर्तों का हिस्सा नहीं थे और वैधानिक वेतन का अनुपालन श्रमिक शिकायतों या संविदाकर्ता अनुरोधों पर निर्भर नहीं हो सकता है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमति व्यक्त की।

4.7 ईपीएफ जमा का सत्यापन न करना, जिसके परिणामस्वरूप वैधानिक अननुपालन हुआ

आईआईएमआर ने मेसर्स किंग सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को मई 2022 से जुलाई 2024 तक सुविधा प्रबंधन सेवाओं के लिए नियुक्त किया। अनुबंध के अंतर्गत, संविदाकर्ता के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार मजदूरी का भुगतान करना और ईपीएफ अधिनियम, 1952 के अनुसार नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के ईपीएफ अंशदान को मासिक रूप से समय पर जमा करना अनिवार्य था और इसके साथ ही संस्थान को मासिक बिल प्रस्तुत करना भी आवश्यक था।

इसके अतिरिक्त, ईपीएफ अधिनियम, 1952 की धारा 30(2) के अनुसार, अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान की वसूली करने और उसे मुख्य नियोक्ता को भुगतान करने की जिम्मेदारी संविदाकर्ता की है और मुख्य नियोक्ता अंततः यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि ये

भुगतान ईपीएफओ को किए जाए। इसके अलावा, ईपीएफओ के दिनांक 31 जनवरी 2017 के पत्र के अनुसार, मुख्य नियोक्ता ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से इन भुगतानों को सत्यापित करने के लिए बाध्य था और उसके पास आवश्यकता पड़ने पर संविदाकर्ता के बिल से ईपीएफ बकाया राशि काटने का अधिकार है।

ईपीएफओ ने एक ऑनलाइन इंटरलिंकिंग प्रणाली भी शुरू की थी जिससे मुख्य नियोक्ता वास्तविक समय में यह सत्यापित कर सकते थे कि संविदाकर्ताओं ने वास्तव में अपने श्रमिकों के लिए ईपीएफ अंशदान जमा किया है या नहीं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि संविदाकर्ता ने ईसीआर और बिलों के साथ कर्मचारी सूची प्रस्तुत की, फिर भी आईआईएमआर ने न तो इस ऑनलाइन सुविधा का उपयोग किया और न ही भुगतान को स्वीकृति देने से पहले किसी वैकल्पिक सत्यापन तंत्र को अपनाया। संविदाकर्ता के दावों का विश्लेषण करने के लिए, लेखापरीक्षा ने जून, अगस्त और नवंबर 2022 और जनवरी 2023 के लिए प्रस्तुत ईपीएफ चालान और ईसीआर को ईपीएफओ, लखनऊ के साथ तुलनात्मक सत्यापन किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जहां आईआईएमआर ने असत्यापित दस्तावेजों के आधार पर ईपीएफ अंशदान के लिए ₹ 12.56 लाख वितरित किए थे, वहीं ईपीएफओ के अभिलेख में उसी अवधि के लिए केवल ₹ 5.28 लाख की प्राप्ति दर्शाई गई थी। संस्थान ने जमा राशियों का सत्यापन नहीं किया, जिससे संविदात्मक श्रमिकों के वैधानिक सामाजिक सुरक्षा अधिकारों से समझौता हुआ और आईआईएमआर पर कानूनी दायित्व का जोखिम बढ़ गया।

आईआईएमआर ने कहा (अप्रैल/जून/अक्तूबर 2025) कि वैधानिक अनुपालन संविदाकर्ता की एकमात्र जिम्मेदारी थी और ईपीएफ चालान को टीआरआरएन नंबरों का उपयोग करके प्रति-सत्यापित किया गया था। आईआईएमआर ने यह भी उल्लेख किया कि वह ईपीएफओ की किसी भी इंटरलिंकिंग सुविधा से अनभिज्ञ था और उसे श्रमिकों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में न देखा जाए कि वैधानिक प्रेषणों का जिम्मेदारीपूर्वक सत्यापन करना मुख्य नियोक्ता का एक अनिवार्य कर्तव्य है और संविदाकर्ता द्वारा प्रदान किए गए असत्यापित दस्तावेजों पर निर्भरता इस आवश्यकता को पूरा नहीं करती है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमति व्यक्त की।

4.8 स्क्रैप की गई मदों की निपटान प्रक्रियाओं और इन्वेंटरी प्रबंधन में अनियमितताएं

सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2017 के नियम 213(2) के अंतर्गत, सभी उपभोग्य वस्तुओं और सामग्रियों का भौतिक सत्यापन वर्ष में कम से कम एक बार किया जाना चाहिए और विसंगतियां, यदि कोई हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित कार्रवाई के लिए स्टॉक रजिस्टर में दर्ज की जानी चाहिए।

जीएफआर के नियम 217(v) और ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 यह अनिवार्य करते हैं कि विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक मदों सहित खतरनाक वेस्ट का निपटान केवल सीपीसीबी-पंजीकृत उत्पादकों, नवीनीकरणकर्ताओं या पुनर्चक्रणकर्ताओं के माध्यम से किया जाना चाहिए।

जीएफआर के नियम 208 में यह अपेक्षित है कि प्राप्त सभी वस्तुओं की गणना की जाए। नियम 208(iii) में आगे कहा गया है कि इस प्रकार प्राप्त सामग्री का विवरण उसके बाद उचित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए, अधिमानतः एक सूचना प्रोद्यौगिकी आधारित प्रणाली में। स्टॉक के प्रभारी अधिकारी को प्रमाणित करना चाहिए कि उसने वास्तव में सामग्री प्राप्त कर ली है और इसे उचित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज किया है।

4.8.1 टी-शर्ट और ट्रैकसूट स्टॉक का मिलान न होना एवं बिक्री से प्राप्त राशि को कम जमा करना

अभिलेख की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि, छात्र मामलों के कार्यालय (नवंबर 2022) के अनुरोध पर, प्रबंधन में एकीकृत कार्यक्रम (आईपीएम) और कानून में एकीकृत कार्यक्रम (आईपीएल) में नामांकित छात्रों के लिए दिसंबर 2022 और जनवरी 2025 के बीच ₹ 71.86 लाख मूल्य के 7,052 की मदें (4,587 टी-शर्ट और 2,465 ट्रैकसूट) खरीदे गए। अधिप्राप्ति बिना लाभ, बिना हानि के आधार पर की गई थी, इस आशय के साथ कि ट्रैकसूट उन व्यक्तिगत छात्रों को जारी किए जाएंगे जो भुगतान के आधार पर उन्हें खरीदने की इच्छा व्यक्त करते है। इसी प्रकार, आईपीएम और आईपीएल के लिए नामांकित छात्रों के लिए वर्दी के रूप में, सभी छात्रों को भुगतान के आधार पर जारी करने के लिए टी-शर्ट भी खरीदी गई थी।

7,052 मदों में से 5,880 मदों (4,242 टी-शर्ट और 1,638 ट्रैकसूट) को आगे वितरण के लिए मुख्य स्टोर से कार्यक्रम कार्यालय को जारी किया गया था। इनमें से, छात्रों को 5,657 मदें (4,223 टी-शर्ट और 1,434 ट्रैकसूट) जारी होने की सूचना कार्यक्रम कार्यालय ने दी, जिससे 1,395 मदों का अंतिम शेष अभिलेखित किया गया, स्टोर के साथ 1,172 (345 टी-शर्ट और 827 ट्रैकसूट) और कार्यक्रम कार्यालय के साथ 223 (19 टी-शर्ट और 204 ट्रैकसूट) को अभिलेखित किया गया। जबकि केवल आठ *प्रतिशत* टी-शर्ट जारी नहीं की गई, ट्रैकसूट के 42 *प्रतिशत*, जिनका मूल्य ₹ 17.86 लाख था, वितरित नहीं किए गए, जो अधिक खरीद और निधियों के अनावश्यक अवरोध को दर्शाता है।

01 मई 2025 को आयोजित संयुक्त भौतिक सत्यापन (जेपीवी) से भौतिक स्टॉक और पुस्तक शेष के बीच मिलान से विसंगतियां सामने आई। 364 टी-शर्ट के अभिलेख किए गए शेष के विरुद्ध, 1,403 स्टॉक में पाए गई। दिसंबर 2022 से पहले के असत्यापित प्रारम्भिक शेष को समायोजित करने के बाद भी, 152 टी-शर्ट की अधिकता अस्पष्ट रही। इसके विपरीत, 1,031 के दर्ज शेष के मुकाबले भौतिक सत्यापन पर केवल 676 ट्रैकसूट ही उपलब्ध थे, जो ₹ 6.15 लाख मूल्य की 355 प्रतियों (यूनिटों) की कमी को दर्शाता है। कार्यक्रम कार्यालय ने कोई औपचारिक स्टॉक रजिस्टर नहीं रखा था, निर्गम अभिलेख रफ शीट पर दर्ज किए गए थे और इस अवधि के दौरान किसी भी समय शेष का कोई मिलान नहीं किया गया था। वार्षिक

सत्यापन के अभाव ने कमजोर निरीक्षण और बुनियादी आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के खराब अनुपालन को दर्शाया।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि बिक्री आय का एक बड़ा हिस्सा कम जमा किया गया था। छात्रों को जारी की गई मदों की संख्या के आधार पर ₹ 52.50 लाख की वसूली की जानी चाहिए थी, हालांकि, आईआईएमआर के खातों में केवल ₹ 33.54 लाख ही जमा किए गए थे, जिससे ₹18.96 लाख की राशि असंग्रहीत या बिना गणना के रह गई।

आईआईएमआर ने कहा (मई 2025) कि आईपीएम और आईपीएल की कार्यकारी समितियों ने कुछ बैचों के लिए वर्दी की लागत को जमानत राशि के एवज में समायोजित करने का प्रस्ताव पारित किया था और ₹ 13.55 लाख की प्रस्तावित वसूली को दर्शाने वाली एक सूची प्रस्तुत की थी। इसके बाद के उत्तरों में (जून/अक्तूबर 2025), आईआईएमआर ने कहा कि अधिप्राप्ति छात्र-संचालित थी, जिसकी लागत अग्रिम रूप से वसूल की गई थी और कोई कमी या वित्तीय हानि मौजूद नहीं थी।

ये उत्तर संयुक्त भौतिक निरीक्षण के निष्कर्षों, असमायोजित शेष, अभिलेखों की अनुपस्थिति और प्राप्तियों के जमा होने में स्पष्ट अंतरालों के साथ असंगत थे। जमानत राशि से ₹ 13.55 लाख की आईआईएमआर की प्रस्तावित वसूली पर विचार करने के बाद भी, ₹ 5.41 लाख की राशि अस्पष्टीकृत और असंग्रहित रही।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमति व्यक्त की।

4.8.2 बिजली और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का अनियमित निपटान

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि यद्यपि संस्थान ने जून 2022, अगस्त 2023 और मई 2024 में भौतिक सत्यापन किया था तथा वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान खुली बोली के माध्यम से अनुपयोगी वस्तुओं की नीलामी की थी, लेकिन इन बोलियों में केवल सूचना प्रोद्यौगिकी से इतर मदें ही सम्मिलित थी। निपटान के लिए चिह्नित सूचना प्रोद्यौगिकी उपकरणों की सूची अलग से रखी गई थी, लेकिन यह दर्शाने के लिए कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया कि इन मदों का निपटान अधिकृत ई-वेस्ट चैनलों के माध्यम से किया गया था।

इसके अतिरिक्त, कई विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक मदें—जैसे कि एसी, स्टेबलाइजर, बैटरियां, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, टीवी और अन्य अनुसूची-I उपकरण वर्ष 2022-23 और 2023-24 में वैधानिक ई-वेस्ट निपटान आवश्यकताओं का उल्लंघन करते हुए स्थानीय स्क्रैप डीलरों को नीलाम कर दिए गए। वर्ष 2024-25 में ₹ 1.87 लाख में नीलाम की गई अनुपयोगी मदों की सूची उपलब्ध नहीं थी और वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान ₹ 0.74 लाख के नकद निपटान से संबंधित नीलामी की फाइलें भी प्रस्तुत नहीं की गई।

आईआईएम, रोहतक ने उत्तर दिया (अक्तूबर 2025) कि उक्त मदों के निपटान में पर्यावरणीय अनुपालन को अनदेखा करने का कोई उद्देश्य नहीं था और आश्वासन दिया कि भविष्य में,

ई-वेस्ट के दायरे में आने वाली सभी विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक मदों का निपटान कड़ाई से सीपीसीबी पंजीकृत रिसाइकलर्स के माध्यम से ही किया जाएगा।

4.8.3 स्थापित एसी की स्टॉक रजिस्टरों में प्रविष्टि न करना

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि आईआईएमआर ने 2019 और 2024 के मध्य ₹ 3.96 करोड़ की कुल लागत पर 724 एयर-कंडीशनर (518 वन-टीआर और 206 टू-टीआर) खरीदे थे। हालांकि, स्टॉक रजिस्टर में केवल 18 टू-टीआर एसी (2023-24 में खरीदे गए 16 टू-टीआर एसी और 2022-23 में खरीदे गए 02 टू-टीआर एसी) ही दर्ज किए गए थे। संस्थान द्वारा 724 में से 706 एसी को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करने में विफल रहना नियम 208 का स्पष्ट उल्लंघन है और इन्वेंटरी प्रबंधन में कमजोर आंतरिक नियंत्रण को दर्शाता है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमति व्यक्त की।

अनुशंसा:

संस्थान को सभी विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का निपटान केवल सीपीसीबी पंजीकृत उत्पादकों, नवीनीकरणकर्ताओं या रिसाइकलर्स के माध्यम से करके ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 208 और नियम 213(2) के अनुपालन में, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी खरीदी गई मदों को प्रभारी अधिकारी द्वारा उचित प्रमाणन के साथ स्टॉक रजिस्टर में तुरंत दर्ज किया जाए।

4.9 3,000 टी-शर्ट की अधिप्राप्ति में अनियमितताएं

जीएफआर 2017 के नियमावली 162 ने सीमित निविदा इन्क्वायरी (एलटीई) के माध्यम से अधिप्राप्ति की अनुमति दी, जहां अनुमानित मूल्य ₹ 25 लाख[5] तक था, बशर्ते कि (i) बोली दस्तावेज नियम 150 के अंतर्गत रखी गई सूची में तीन से अधिक पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को भेजे जाने चाहिए, (ii) एलटीई को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम), केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी), संगठन की अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना चाहिए और (iii) अवांछित बोलियों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

उप-नियमों (xix) और (xx) के साथ पठित जीएफआर नियम 173 के अनुसार, अधिप्राप्ति में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता और मनमानेपन से बचाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भले ही केवल एक बोली प्राप्त हुई हो, यह प्रक्रिया केवल तभी मान्य हो सकती है जब: (क) निविदा का पर्याप्त रूप से विज्ञापन किया गया हो और प्रतिक्रिया के लिए पर्याप्त समय दिया गया हो, (ख) पात्रता शर्तें प्रतिबंधात्मक न हों और (ग) बाजार मूल्यों की तुलना में उद्धृत दरें उचित हों।

जुलाई 2023 में आईआईएमआर द्वारा 3,000 टी-शर्ट की खरीद (₹ 19.21 लाख) की लेखापरीक्षा समीक्षा से इन अनिवार्य आवश्यकताओं के अननुपालन का पता चला। सीमित निविदा इन्क्वायरी (एलटीई) को जेम पोर्टल पर प्रकाशित नहीं किया गया था और संस्थान द्वारा प्रदान किए गए

5 व्यय विभाग (डीओई), वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ओएम संख्या एफ.1/3/2024-पीपीडी दिनांक 10 जुलाई 2024 के माध्यम से ₹ 50 लाख तक बढ़ाया गया।

अभिलेख यह प्रमाणित नहीं करते हैं कि बोली दस्तावेज प्राप्त करने वाले 16 ई-मेल प्राप्तकर्ता नियम 150 के अंतर्गत टी-शर्ट के पंजीकृत आपूर्तिकर्ता थे। अभिलेख से इन विक्रेताओं का चयन करने के लिए उपयोग किए गए मानदंडों का भी पता नहीं चला। आपूर्तिकर्ता सत्यापन के किसी भी साक्ष्य के अभाव में, विक्रेता की पहचान में पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

भाग लेने वाले बोलीकर्ताओं में से एक, मेसर्स गोयल निट फैब्स ने एक अन्य फर्म, मेसर्स अंकुर एंटरप्राइजेज के पत्र शीर्ष पर एक वचनबंध प्रस्तुत किया। इससे बोली अस्पष्ट और निर्धारित निविदा शर्तों के अनुरूप नहीं रही। बोली को निरस्त कर दिया जाना चाहिए था और ऐसा करने से अनिवार्य तीन वैध बोलियों से कम रह जाती, जिसके लिए नियम 162 के अंतर्गत निरस्त और पुन: निविदा की आवश्यकता होती। इसके बजाय, निविदा को अंतिम रूप दिया गया और अनुबंध प्रदान किया गया।

वर्ष 2023 और 2025 के बीच टी-शर्ट और ट्रैकसूट के लिए कई सीमित निविदा इन्क्वायरी (एलटीई) खरीद के विश्लेषण से यह पता चला कि विक्रेताओं का एक ही पूल बार-बार भाग ले रहा था और लगातार ऐसे पैटर्न में दरें उद्धृत कर रहा था जिससे मैसर्स अर्श निट फैब न्यूनतम बोलीकर्ता (एल1) बना रहे। दरों का अंतर बहुत कम था, विभिन्न अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं के दौरान विक्रेताओं का पूल अपरिवर्तित रहा और यहां तक कि एक फर्म ने दूसरी फर्म की ओर से दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। ये पैटर्न **(अनुलग्नक 4.6)** संभावित मिलीभगत बोली का संकेत देते हैं, फिर भी अनुबंध आबंटित करने से पहले कोई उचित तत्परता या सत्यापन नहीं किया गया था।

आईआईएमआर ने उत्तर दिया (जून/अक्तूबर 2025) कि जेम के माध्यम से अधिप्राप्ति करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) 16 विक्रेताओं को ई-मेल किए गए थे और सभी बोलीकर्ता स्वतंत्र थे। तीन से कम बोलियों को स्वीकार करने के लिए नियम 173(xx) को संदर्भित किया था।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाए कि: (i) नियम 162 जेम या सीपीपीपी पर प्रकाशन करने और केवल पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को ही निविदा दस्तावेज जारी करने का आदेश देता है। हालांकि, इसका अनुपालन दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था और आईआईएमआर द्वारा नियमों से इस विचलन का कोई औचित्य दर्ज नहीं किया गया था तथा (ii) नियम 173 (xx) नियम 150 में निर्धारित विक्रेता-सत्यापन की शर्तों को अमान्य नहीं करता है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमति व्यक्त की।

4.10 जेम के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की अधिप्राप्ति न करना

सामान्य वित्तीय नियमवाली (जीएफआर), 2017 का नियम 1 प्रावधान करता है कि जीएफआर में निहित प्रावधान स्वायत्त निकायों पर लागू माने जाएंगे, सिवाय उस सीमा के जहां किसी स्वायत्त निकाय के उपनियमों में एक अलग वित्तीय नियम का प्रावधान हो, जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 का नियम 149 यह प्रावधान करता है कि सभी मंत्रालय और विभाग गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की अधिप्राप्ति करे, जो कि पारदर्शिता, पर्याप्त प्रचार, व्यापक विक्रेता भागीदारी और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए अभिकल्पित किया गया एक प्लेटफार्म है। यह प्लेटफार्म विभिन्न मूल्य सीमाओं पर कुशल अधिप्राप्ति को सक्षम बनाने के लिए प्रत्यक्ष अधिप्राप्ति, एल1 के साथ प्रत्यक्ष अधिप्राप्ति और ई-बोली/रिवर्स नीलामी सहित कई अधिप्राप्ति विधियां प्रदान करता है। जेम से बाहर अधिप्राप्ति केवल तभी अनुमेय है जब आवश्यक वस्तुएं या सेवाएं पोर्टल पर उपलब्ध न हों, जिसके लिए जेम से एक अनुपलब्धता प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जाना अनिवार्य है।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि वर्ष 2019-2024 के दौरान, आईआईएमआर ने जेम का उपयोग किए बिना ₹ 12.45 करोड़ की राशि की 370 खरीदारियां कीं। ये खरीदारियां वैध अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना वैकल्पिक तरीकों से की गई थीं, जो कि उक्त नियम 149 के अनुरूप नहीं थी। इनमें से, 80 खरीदारियां (वस्तुओं के लिए 51 और सेवाओं के लिए 29) केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल पर निविदाएं (सीपीपीपी) प्रकाशित करके और ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफार्म ई-टेंडर विजार्ड के माध्यम से बोलियां आमंत्रित करके की गई थी।

नियमों से यह विचलन विशेष रूप से चिंताजनक था क्योंकि इसी अवधि के दौरान जेम पर पंजीकृत विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं की संख्या लगातार सीपीपीपी की तुलना में अधिक थी। वर्ष 2019 और 2025 के बीच जेम का पंजीकृत विक्रेता आधार सीपीपीपी से 15 *प्रतिशत* से लेकर 173 *प्रतिशत* तक के अंतर से अधिक था **(अनुलग्नक 4.7)**। जेम पर उपलब्ध व्यापक और अधिक विविधतापूर्ण वेंडर इकोसिस्टम ने आईआईएमआर को प्लेटफॉर्म द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न अधिप्राप्ति तरीकों के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बोलियां प्राप्त करने का पर्याप्त अवसर दिया था। इसके बावजूद, आईआईएमआर ने अपवादों को दर्ज किए बिना या अनिवार्य अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना वैकल्पिक अधिप्राप्ति चैनलों पर निर्भर रहना जारी रखा।

आईआईएमआर ने अपने उत्तरों (जून/अक्तूबर 2025) में उल्लेख किया कि उसने आंतरिक रूप से उत्पन्न संसाधनों से अपने व्ययों को पूरा किया और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रथाओं को अपनाया। उसने जेम के साथ परिचालन संबंधी समस्याओं को गैर-जेम खरीद विधियों के उपयोग का कारण बताया, जिसमें उच्च लागत, विलंबित आपूर्ति और विशिष्टताओं के गैर-अनुरूप होने के मामलों को संदर्भित किया। संस्थान ने आगे कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में उसकी कुल अधिप्राप्ति में जेम का उपयोग लगभग 40 *प्रतिशत* था और आश्वासन दिया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 से इसके उपयोग में वृद्धि की जाएगी।

आईआईएमआर द्वारा प्रस्तुत किए गए औचित्य को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि नियम 149 का अनुपालन करना अनिवार्य है, चाहे वित्तपोषण का स्रोत या परिचालन संबंधी चुनौतियां कुछ भी हों, क्योंकि संस्थान के पास सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अलग वित्तीय नियम नहीं हैं। सामयिक विलंब या विशिष्टताओं के मिलान न होने जैसे मामले जेम को अनदेखा करने का आधार नहीं हो सकते, विशेष रूप से तब जब यह प्लेटफ़ॉर्म ऐसी चिंताओं

को दूर करने के लिए विक्रेता रेटिंग, शिकायत निवारण, वैकल्पिक विक्रेताओं का चयन और प्रतिस्पर्धी ई-बोली जैसी प्रणालियां प्रदान करता है। अनुपलब्धता प्रमाण पत्रों के बिना जेम से बाहर लगभग 60 *प्रतिशत* वस्तुओं और सेवाओं की अधिप्राप्ति करना एक गंभीर अनुपालन चूक को दर्शाता है, जिसने संस्थान को प्रतिस्पर्धा, मूल्य निर्धारण दक्षता और पारदर्शिता के संदर्भ में संभावित लाभों से वंचित कर दिया। हालांकि, जेम के उपयोग को बढ़ाने के आईआईएमआर के आश्वासन को संज्ञान में लिया गया है, लेकिन इसका क्रियान्वयन अभी देखा जाना शेष है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमति व्यक्त की।

4.11 वाहनों को किराए पर लेने में अनियमितता और ओला कैब्स को असुरक्षित अग्रिम भुगतान

सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2017 के नियम 144 और 149 यह प्रावधान करता है कि वस्तुओं और सेवाओं की अधिप्राप्ति किफायती, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी होनी चाहिए और जहां उपलब्ध हो, उसे जेम के माध्यम से ही ख़रीदा जाना चाहिए। वाहनों को किराए पर लेना एक अ-परामर्शदात्री सेवा है जो नियम 197-204 के अंतर्गत विनियमित होती है, ये नियम मूल्य सीमा के आधार पर सीमित निविदा इन्क्वायरी या खुली निविदा के माध्यम से अधिप्राप्ति की आवश्यकता तय करते हैं और दर्ज औचित्य के साथ केवल असाधारण परिस्थितियों में ही एकल-स्रोत हायरिंग की अनुमति देते हैं। इसके अतिरिक्त, नियम 172(1) अग्रिम भुगतानों को तब तक प्रतिबंधित करता है जब तक कि वे अपरिहार्य न हों और बैंक गारंटी जैसे सुरक्षा उपायों द्वारा सुरक्षित न हों।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि नवंबर 2018 से, आईआईएमआर नियम 199-204 के अंतर्गत आवश्यक निविदाएं आमंत्रित, सीमित निविदा इन्क्वायरी, बाजार सर्वेक्षण या विज्ञापन प्रकाशित किए बिना विशेष रूप से ओला कैब्स के माध्यम से वाहनों को किराए पर ले रहा है। संस्थान ने एक ओला कॉरपोरेट वॉलेट खोला और विक्रेता के साथ कोई औपचारिक करार या समझौता ज्ञापन न होने के बावजूद, इसकी रीचार्ज सीमा को उत्तरोत्तर बढ़ाकर ₹ दो लाख (जनवरी 2024) कर दिया। वर्ष 2018-25 के दौरान, आईआईएमआर ने ₹ 1.64 करोड़ के समायोजित उपयोग के एवज में इस प्रीपेड वॉलेट में ₹ 1.73 करोड़ जमा किए **(अनुलग्नक 4.8)**, जिसमें कई वर्षों में बकाया शेष स्वीकृत वॉलेट सीमा से अधिक हो गया, जो कमजोर वित्तीय नियंत्रण और आवश्यकता- आधारित मूल्यांकन के अभाव को दर्शाता है। ये अग्रिम जमा राशियां नियम 172(1) के विपरीत, कोई बैंक गारंटी या समकक्ष सुरक्षा उपाय प्राप्त किए बिना की गई थी।

आईआईएमआर ने स्पष्ट किया (जून/अक्तूबर 2025) कि यह एक स्व-वित्तपोषित संस्थान है और उसने लचीलेपन, व्यापक वाहन बेड़े तक पहुंच तथा जेम या स्थानीय बाजार में इसके समकक्ष सेवाओं के अभाव के कारण ओला का विकल्प चुना। आईआईएमआर ने तर्क दिया कि इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म ने ऑडिट ट्रेल्स प्रदान किए और सात वर्षों के दौरान कोई दुरुपयोग नहीं हुआ था।

आईआईएमआर के ये स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि स्व-वित्तपोषित होने की स्थिति जीएफआर के अनुपालन से छूट नहीं देती है और वैकल्पिक विक्रेताओं के मूल्यांकन या बाजार

में विशिष्टता स्थापित करने के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था। जेम पर अनुपलब्धता को बाजार में प्रतिस्पर्धा की अनुपस्थिति के समान नहीं माना जा सकता है और न ही यह नियम 201 के अंतर्गत अनिवार्य सीमित निविदा इन्क्वायरी या खुली निविदा से छूट देती है। इसके अतिरिक्त, एक औपचारिक अनुबंध का न होना नियम 204 का उल्लंघन है, जो सभी सेवा खरीदों में परिभाषित सेवा शर्तों, दायित्वों और सुरक्षा उपायों को आवश्यक बनाता है। डिजिटल ऑडिट ट्रेल्स पूर्वव्यापी नियंत्रण हैं और नियम 172(1) के अंतर्गत असुरक्षित अग्रिमों के लिए आवश्यक निवारक सुरक्षा उपायों (जैसे, बैंक गारंटी) का विकल्प नहीं हो सकते।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमति व्यक्त की।

अनुशंसा:

आईआईएमआर को अपरामर्शीय सेवा की अधिप्राप्ति के संबंध में सामान्य वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन करना चाहिए और सेवा प्रदाताओं के साथ अनुबंधों को औपचारिक रूप देना चाहिए।

4.12 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा से आईआईएमआर में अधिप्राप्ति, अनुबंध प्रबंधन और वित्तीय नियंत्रण मानदंडों के अननुपालन के कई मामलों का प्रकटीकरण हुआ। मौजूदा कर्मचारियों और लेखापरीक्षकों द्वारा पहले से ही किए जा रहे कार्यों का बाह्यस्रोतन करके ₹ 7.27 लाख का परिहार्य व्यय किया गया। वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के कर्तव्यों के लिए एक संकाय सदस्य को मानदेय का भुगतान किए जाने के बावजूद, एक निजी सनदी लेखाकार फर्म को नियुक्त करना कमजोर आंतरिक नियंत्रण और खराब वित्तीय विवेक को दर्शाता है। अनिवार्य अनुभव और दस्तावेजी आवश्यकताओं को पूरा किए बिना एक आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति और कार्यकाल विस्तार ने निर्धारित अधिप्राप्ति मानदंडों का उल्लंघन किया। मुख्य खरीदारियां अनियमितताओं से प्रभावित थीं, जिसमें एक अनर्ह विक्रेता को ₹ 1.64 करोड़ का अनुबंध आबंटित करना, नई प्रतिस्पर्धा के बिना 30 टू-टीआर एसी यूनिटों की अधिप्राप्ति करना और एक विशेष संविदाकर्ता के पक्ष में अनुबंध आबंटित करने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली का अभाव सम्मिलित है, जो जीएफआर नियमों के अनुरूप नहीं था। इसके अतिरिक्त, सीपीडब्ल्यूडी मानदंडों के विपरीत ₹ 30.97 करोड़ का ब्याज-मुक्त कार्य आरंभ अग्रिम देने के परिणामस्वरूप ₹ 3.83 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

सुविधा प्रबंधन सेवाएं अनुबंध एक अननुपालनकर्ता विक्रेता के पक्ष में आबंटित और बार-बार विस्तारित किए गए, जबकि एक अन्य सुविधा प्रबंधन सेवाएं अनुबंध श्रम कानूनों का उल्लंघन करते हुए और श्रमिकों के अहित में शून्य पीएफ अंशदान के साथ पुरानी मजदूरी दरों पर आबंटित किया गया। सुरक्षा सेवाएं, अधिप्राप्ति नियमों के विपरीत, निविदा-पश्चात चर्चाओं के माध्यम से एल2 बोलीकर्ता को आबंटित की गई।

इन्वेंट्री प्रबंधन कमजोर था, जिसमें 355 ट्रैकसूट की कमी, बिक्री आय के ₹ 5.41 लाख कम जमा किया जाना और संभावित मिलीभगत पूर्ण बोली के माध्यम से 3,000 टी-शर्ट की खरीद

की गई। इसके अतिरिक्त, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक मदों का अनुचित निपटान तथा स्टॉक रजिस्टर में 706 एसी की प्रविष्टि न होना पाया गया। इसके अलावा, जेम के अनिवार्य उपयोग के बावजूद, आईआईएमआर ने अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना पोर्टल से बाहर ₹ 12.45 करोड़ मूल्य की 370 मदों की खरीद की। प्रतिस्पर्धा, औपचारिक करारों या वित्तीय सुरक्षा उपायों के बिना ओला से वाहनों की निरंतर हायरिंग ने अधिप्राप्ति मानदंडों से प्रणालीगत विचलन, कमजोर आंतरिक नियंत्रण और संस्थान के फंड को परिहार्य जोखिमों के क्षेत्र में ला दिया।

लेखापरीक्षा में उठाए गए उपर्युक्त मामलों पर मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में, अधिसूचना से पहले संस्थान के निदेशक द्वारा एकपक्षीय रूप से आईआईएमआर के विनियम 15 में किए गए संशोधन की ओर भी संकेत किया, जिसके अंतर्गत इस शर्त को हटा दिया गया था कि 'वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करते समय संशोधित जीएफआर 2017 का अनुपालन किया जाएगा', इसके कारण जीएफआर 2017 के प्रावधानों को अनदेखा किया गया। मंत्रालय ने आगे उल्लेख किया कि संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होने के नाते, आईआईएमआर के निदेशक इन बार-बार होने वाले उल्लंघनों के लिए उत्तरदायी थे, जिसका स्पष्टीकरण दिया जाना अपेक्षित था।

अनुशंसा:

मंत्रालय आईआईएमआर को जीएफआर प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करने, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी विक्रेता चयन प्रक्रिया अपनाने और अधिप्राप्ति और अनुबंध प्रबंधन में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय करने के लिए निर्देश जारी करने पर विचार करे।

अध्याय V

स्थापना एवं मानव संसाधन प्रबंधन

अध्याय-V: स्थापना एवं मानव संसाधन प्रबंधन

5.1 उचित अभिलेखों के रखरखाव के बिना संकाय सदस्यों को वेतन का भुगतान

संकाय नियमावली में यह प्रावधान है कि संकाय सदस्यों के चयन पैराग्राफ 1.6.2 में उल्लेखित प्रक्रिया के माध्यम से किए जाने चाहिए और आवेदन संस्थान की वेबसाइट पर लगातार चलने वाले विज्ञापनों के माध्यम से आमंत्रित किए जाने चाहिए।

नियुक्ति एवं वेतन-भुगतान अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि मार्च 2022 और फरवरी 2024 के बीच 10 व्यक्तियों को ₹ 88.64 लाख का सकल वेतन मिला। हालांकि, संस्थान ने यह प्रमाणित करने के लिए सेवा पुस्तकें या समकक्ष भर्ती अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जिनमें इन व्यक्तियों को औपचारिक रूप से संकाय सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया था, परिणामस्वरुप इन भुगतानों की वैधता का सत्यापन नहीं हो सका।

संस्थान ने उत्तर (जून/अक्तूबर 2025), में कहा कि व्याख्याताओं को संविदात्मक आधार पर विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया था और उचित प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए थे एवं नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। इसलिए, संविदात्मक कर्मचारियों के लिए सेवा पुस्तिकाओं का रखरखाव अपेक्षित नहीं था।

स्पष्टीकरण को इस तथ्य के आलोक में देखा जाए कि लेखापरीक्षा के दौरान या उत्तर के साथ, स्क्रीनिंग समिति के अभिलेख, चयन कार्यवाही या नियुक्ति फाइलों जैसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। ऐसे अभिलेख के अभाव में, नियुक्तियों और ₹ 88.64 लाख के वेतन भुगतान की प्रामाणिकता को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका, जो कमजोर आंतरिक नियंत्रण और अपर्याप्त दस्तावेजीकरण प्रथाओं को दर्शाता है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में कहा कि संस्थान को बोर्ड की कार्रवाई के बारे में सूचित करने के लिए कहा जाए, जिसमें ऐसी नियुक्तियों को सूचित या अनुमोदित किया था।

अनुशंसा:

मंत्रालय एक निगरानी तंत्र स्थापित करने पर विचार करे ताकि संस्थान द्वारा संविदात्मक कर्मचारियों सहित सभी संकाय सदस्यों के पूर्ण और सत्यापन योग्य भर्ती अभिलेख रखे जाएं, जिससे वेतन संवितरण की वैधता सुनिश्चित की जा सके।

5.2 बकाया राशि की वसूली के बिना परिवीक्षा पूरी होने से पहले त्यागपत्र स्वीकार करके संकाय को अनुचित लाभ पहुंचाना

संकाय नियमावली के अनुसार संकाय सदस्यों के लिए त्यागपत्र देने से पूर्व तीन महीने का लिखित नोटिस देना अनिवार्य है, जहां शैक्षणिक या प्रशासनिक प्रतिबद्धताएं मौजूद हैं, त्यागपत्र

केवल शैक्षणिक वर्ष के अंत में स्वीकार किए जा सकते हैं जब तक कि बाध्यकारी कारण तीन महीने से कम की छोटी अवधि को उचित न ठहराएं। त्यागपत्र के समय, व्यक्ति को पिछले स्थान से आईआईएम, रोहतक में अपने सामान के स्थानातंरण के लिए कार्यग्रहण के समय भुगतान की गई राशि वापस करने की आवश्यकता होगी। व्यक्ति को संस्थान के साथ रहने की अवधि के दौरान प्राप्त पूरे वेतन या तीन महीने के वेतन, जो भी कम हो, उसे वापस करना भी अपेक्षित होगा। ये शर्तें अनिवार्य सेवा अवधि की परिवीक्षा स्थिति के बावजूद लागू होती हैं जो तीन वर्ष (स्थायी) या दो वर्ष (अनुबंधीय) है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईआईएमआर से 17 स्थायी सहायक प्रोफेसर और तीन संविदात्मक विजिटिंग सहायक प्रोफेसर सहित कुल 20 संकाय सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया, जिन्हें मई 2017 और दिसंबर 2022 के बीच नियुक्त किया गया था। हालांकि, उनके सेवा अभिलेख में अनिवार्य नोटिस का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था या लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके बावजूद, संस्थान ने कार्यग्रहण व्ययों या वेतन की वसूली के बिना सभी त्यागपत्र स्वीकार कर लिए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 52.34 लाख की वसूली नहीं हो सकी। इनमें से 14 संकाय सदस्यों ने शैक्षणिक वर्ष पूरा होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया, जिससे शैक्षणिक प्रतिबद्धताएं अपूर्ण रह गईं। केवल एक मामले में कार्यग्रहण व्ययों की वसूली की गई।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि एक संकाय सदस्य को ₹ 15,000 की संविदात्मक सीमा के बावजूद ₹ 42,750 की प्रतिपूर्ति की गई थी। बैंक भुगतान फाइलों में दर्ज वाउचर नंबरों और लेजर में दर्ज किए गए वाउचर नंबरों के बीच विसंगतियां भी पाई गई, जिससे वित्तीय अभिलेख की सटीकता पर चिंताएं उत्पन्न हुई।

संस्थान ने उत्तर (अक्तूबर 2025) में कहा कि संकाय को केवल शिक्षण भार के आनुपातिक कार्य पूरा होने के बाद कार्यभार मुक्त किया गया और डीन ने जहां लागू था, वहां वसूलियां की।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाए कि सेवा अभिलेख में अनिवार्य नोटिस का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था जो नोटिस आवश्यकताओं के अनुपालन, शैक्षणिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने या वसूली कार्रवाई शुरू करने को दर्शाता है। इसके अलावा, वित्तीय विसंगतियां और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति, निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन के दावे का खंडन करती हैं।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में कहा कि संस्थान से उन दिशानिर्देशों के प्रासंगिक प्रावधानों को सूचित करने के लिए कहा जा सकता है जिनके अंतर्गत त्यागपत्र स्वीकार किए गए थे और वे बोर्ड की कार्यवाही की प्रतियां प्रदान करें जिसमें इन त्यागपत्रों को स्वीकृति दी गई थी /अनुमोदन दिया गया था। मंत्रालय ने परिवीक्षा पूरी होने से पहले त्यागपत्रों को स्वीकृत करने के कारण भी मांगे।

अनुशंसा:

संस्थान को अनिवार्य नोटिस और वसूली प्रावधानों को लागू करना चाहिए, प्रतिपूर्ति सीमाओं का अनुपालन करना चाहिए और संस्थागत निधियों की हानि को रोकने के लिए दस्तावेजीकरण और वित्तीय नियंत्रण को सुदृढ़ करना चाहिए।

5.3 संकाय सदस्यों को मानदेय और प्रोत्साहन का भुगतान

भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 की धारा 11 संस्थान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड को सशक्त बनाती है। हालांकि, धारा 11(2)(i) के प्रावधान के अनुसार यह अपेक्षित है कि सभी पदों के लिए संवर्ग, वेतनमान, भत्ते और रोजगार की शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएं। इसके अलावा, सरकार द्वारा अनुमोदित, अलग वित्तीय नियमों के अभाव में, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 आईआईएम, रोहतक (आईआईएमआर) पर लागू होती हैं।

लेखापरीक्षा ने संस्थान के नियमों (मार्च 2025) की जांच में पाया कि विनियम 8(4)(ए), 15(3)(एच) और 15(8)(जी) मानदेय और प्रोत्साहन के भुगतान की अनुमति देते हैं, वे उनकी प्रकृति, दायरे या सीमाओं को परिभाषित नहीं करते हैं। स्पष्ट मानदंडों की कमी से बोर्ड द्वारा असीमित स्वीकृतियों की गुंजाइश बनी रहती है और नकद तथा वस्तु (सुविधाओं) के रूप में अप्रतिबंधित वित्तीय लाभ प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होता है।

क. नकद में प्रोत्साहन और मानदेय

2019-20 और 2023-24 के बीच संस्थान ने संकाय को प्रोत्साहन और मानदेय के रूप में ₹ 7.49 करोड़ का भुगतान किया। इसमें से, ₹ 4.11 करोड़ न्यूनतम कार्यभार से परे शिक्षण, कार्यकारी शिक्षा और परामर्श परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन के रूप में भुगतान किया गया था, जबकि ₹ 3.38 करोड़, प्रवेश, प्रश्न-पत्र सेटिंग और मूल्यांकन के लिए मानदेय के रूप में भुगतान किया गया था। छः मामलों में भुगतान नियमित वेतन के 100 *प्रतिशत* से अधिक हुआ **(तालिका 5.1)**।

तालिका 5.1 संकाय सदस्यों को भुगतान किये मानदेय और प्रोत्साहन का सार

(₹ लाख में)

वर्ष	विवरण	वेतन के 10 प्रतिशत तक		वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक एवं 50 प्रतिशत तक		वेतन के 50 प्रतिशत से अधिक एवं 100 प्रतिशत तक		वेतन के 100 प्रतिशत से अधिक		योग	
		राशि	संकाय	राशि	संकाय	राशि	संकाय	राशि	संकाय	राशि	संकाय
2019-20	प्रोत्साहन										
	मानदेय	4.00	6	29.31	10	108.46	12	15.72	1	157.49	29
2020-21	प्रोत्साहन	0.00		25.37		100.17		0.00		125.54	
	मानदेय	8.97	16	6.63	6	7.32	8	0.00	0	22.92	30
2021-22	प्रोत्साहन	5.34		1.86		1.29		0.00		8.49	
	मानदेय	6.07	24	33.82	9	38.60	4	0.00	0	78.49	37
2022-23	प्रोत्साहन	0.00		42.44		13.84		0.00		56.28	
	मानदेय	12.12	28	13.22	13	0.08	1	10.40	1	35.82	43
2023-24	प्रोत्साहन	0.00		29.16		99.26		92.34		220.76	
	मानदेय	13.81	20	17.85	12	6.46	6	4.79	4	42.91	42
योग	**प्रोत्साहन**	**5.34**		**98.83**		**214.56**		**92.34**		**411.07**	
	मानदेय	**44.97**		**100.83**		**160.92**		**30.91**		**337.63**	
संकाय को प्रोत्साहन एवं मानदेय के रूप में किया गया कुल भुगतान: ₹ 7.49 करोड़ (करोड़ तक पूर्णांकित)											

☞ *वर्ष 2019-20 के आंकड़े, जैसा कि उपरोक्त तालिकाबद्ध हैं, प्रोत्साहन और मानदेय के लिए समेकित हैं क्योंकि इस वर्ष के लिए प्रोत्साहन और मानदेय के विभाजन विवरण संस्थान द्वारा प्रदान नहीं किए गए हैं*

न्यूनतम शिक्षण मानदंड प्रति वर्ष 7,425 मिनट की गणना के अनुसार प्रति वर्ष 99 सत्रों की आवश्यकता होती है। छुट्टियों, अवकाशों और वेकेशन को समायोजित करने के बाद, यह प्रति कार्य दिवस केवल 34.38 मिनट **(अनुलग्नक 5.1)** के बराबर है। इसके परिणामस्वरूप संकाय के पास प्रति सत्र ₹ 3,750 से ₹ 30,000 के पारिश्रमिक के बदले अतिरिक्त शिक्षण सत्र लेने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध था, जो कार्यक्रम पर निर्भर करता था। प्रोत्साहन और मानदेय दरें, साथ ही न्यूनतम कार्यभार मानदंड, संकाय बैठकों में तय किए जाते हैं, जिससे हितों का टकराव पैदा होता है क्योंकि लाभार्थी सीधे अपने स्वयं के हक को नियंत्रित करने वाले निर्णयों में भाग लेते हैं।

जीएफआर के अंतर्गत लागू मूल नियम 46(बी), मानदेय को आकस्मिक, आवधिक या विशेष योग्यता वाले कार्य तक सीमित करता है और नियमित कर्तव्यों के लिए मानदेय को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है। इसके विपरीत, आईआईएमआर के न्यूनतम शिक्षण कार्यभार और व्यापक प्रोत्साहन ढांचे की रूपरेखा किसी भी वित्तीय सीमा के बिना, नियमित शैक्षणिक जिम्मेदारियों का प्रभावी तरीके से मुद्रीकरण करती है।

ख. मदों के रूप में मानदेय

लेखापरीक्षा में 2020-21 और 2021-22 के दौरान यह पाया गया कि मानदेय या उपहार के रूप में उच्च मूल्य वाली मदों का वितरण किया गया, जिसमें ₹ 58.32 लाख **(अनुलग्नक 5.2)**

की लागत वाले आईफोन, आईपैड, लैपटॉप, ट्रेडमिल, फिटनेस बाइक और स्मार्टवॉच शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पूंजीगत बनाया गया था लेकिन तीन वर्ष के बाद उसे अपने पास रखा जा सकता है और फिटनेस उपकरण को संकाय भत्ते के रूप में माना गया था।

संस्थान ने उत्तर में (जून/अक्तूबर 2025) कहा कि उसकी संकाय प्रोत्साहन और मानदेय नीति अन्य आईआईएम के अनुरूप है, जो निर्णय बोर्ड द्वारा अनुमोदित थे। इसमें यह भी कहा गया कि कोविड-19 के दौरान जारी किए गए उपकरण आधिकारिक उपयोग के लिए थे और मानदेय मदों को टीडीएस के साथ कर योग्य आय में दर्शाया गया था।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाए कि संस्थान ने ऐसे भुगतान या उच्च मूल्य वाली मदों के वितरण को अधिकृत करने वाले शिक्षा मंत्रालय का कोई मानदंड प्रस्तुत नहीं किया। वेतन के 100 प्रतिशत से अधिक का भुगतान, नियमित कर्तव्यों के लिए उपहारों और अप्रतिबंधित प्रोत्साहनों के साथ, एफआर 46(बी) के मूल सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के विरुद्ध है। संस्थान के नियमों में परिभाषित मानदंडों की कमी, निर्णय लेने में हितों का टकराव और भुगतान की मात्रा समग्र रूप से चिंता का विषय है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में रेखांकित किया कि शासी मण्डल संकाय के लिए मानदंडों का आकलन करे और संशोधित नियम बनाए और जहां मानदेय आदि का भुगतान वेतन के 100 प्रतिशत से अधिक हुआ हो, तो संबंधित संकाय से इसे वसूल किया जाए।

अनुशंसा:

मंत्रालय संवितरण के लिए एक समान, पारदर्शी और राजकोषीय रूप से विवेकपूर्ण ढांचा स्थापित करने के लिए अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत समन्वय फोरम को आईआईएम में संकाय मानदेय और प्रोत्साहन के मामलों को संदर्भित करने पर विचार करे।

5.4 संकाय सदस्यों को प्रोत्साहन का अधिक/अनियमित भुगतान

संकाय नियमावली (अगस्त 2013) में अतिरिक्त शैक्षणिक गतिविधियों को करने वाले संकाय को पुरस्कृत करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं दी गई हैं, जिसकी पात्रता वार्षिक स्व-घोषित शैक्षणिक गतिविधि रिपोर्ट (एएआर) के माध्यम से निर्धारित की जाती है। निर्धारित मानदंडों से अधिक शिक्षण के लिए प्रोत्साहन को शासी मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसमें शासी मण्डल कार्यवाही में परिभाषित विशिष्ट दरें और न्यूनतम शिक्षण भार निर्धारित किए गए थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि, हालांकि शासी मण्डल ने जून 2017 में न्यूनतम शिक्षण मानदंडों को स्वीकृति दी थी, इन मानदंडों को बाद में आंतरिक पत्राचार, निदेशक (मई 2018) द्वारा जारी एक अंतर-कार्यालय मेमो और एक संकाय बैठक (नवंबर 2019) के निर्णयों के माध्यम से बदल दिया गया था। इन संशोधनों ने अतिरिक्त सत्रों और शिक्षण श्रेणियों में लचीले रूपांतरण

की अनुमति देकर पात्रता का विस्तार किया, भले ही आईआईएम अधिनियम, 2017 निदेशक या शैक्षणिक परिषद को प्रोत्साहन मानदंड को संशोधित करने का अधिकार नहीं देता है। परिणामस्वरुप, पात्रता सीमाएं प्रभावी रूप से सीमित हो गई।

2017-18 से 2020-21 तक के प्रोत्साहन भुगतान की समीक्षा से पता चला कि 22 संकाय सदस्य जो शासी मण्डल अनुमोदित न्यूनतम मानदंडों को पूरा नहीं करते थे, केवल इन अस्वीकृत परिवर्तनों के कारण पात्र हो गए, जिससे ₹ 91.20 लाख का भुगतान हुआ। इसके अलावा, आठ संकाय सदस्यों को शासी मण्डल अनुमोदित सीमाओं से अधिक प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 17.39 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ। एक मामले में, ₹ 4.33 लाख के प्रोत्साहन को सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि न तो एएआर और न ही गणना शीट प्रस्तुत की गई थी। कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 2017-18 से 2020-21 तक ₹ 2.59 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का भी एएआर और सहायक गणनाओं के अभाव में सत्यापन नहीं किया जा सका।

2021-22 से 2023-24 के लिए, संस्थान द्वारा प्रस्तुत जानकारी में निरंतर विचलन दर्शाया गया: अनुचित परिवर्तनों के बाद भी अनर्ह संकाय को ₹ 23.04 लाख के प्रोत्साहन का भुगतान किया गया था और निर्धारित मानदंडों से परे अन्य संकाय को ₹ 76.51 लाख का अधिक भुगतान किया गया था।

संस्थान ने कहा कि नियमों के अंतर्गत प्रोत्साहन की अनुमति दी गई थी और विभिन्न निकायों द्वारा अनुमोदित किए गए थे और वह एक स्व-वित्तपोषित संस्थान के रूप में कार्य करता है।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाए कि वित्तपोषण मॉडल चाहे जो भी हो, आईआईएम अधिनियम, 2017 और शासी मण्डल अनुमोदित मानदंडों का अनुपालन अनिवार्य है। परिवर्तित प्रोत्साहन मानदंडों के लिए स्वीकृतियों को प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया था, और 2018-19 से 2020-21 के दौरान कार्यकारी शिक्षा प्रोत्साहन के लिए एएआर और गणना शीट सहित आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके अलावा, संशोधित नीति के अंतर्गत 2021-22 और 2023-24 के बीच ₹ 99.55 लाख के प्रोत्साहन या तो अधिक या अनर्ह संकाय को दिए गए थे।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में कहा कि संस्थान लागू दिशानिर्देशों के प्रासंगिक प्रावधान प्रदान करे जिसके अंतर्गत कार्रवाई की गई थी, साथ ही मानदंडों से विचलन के कारण भी बताए। संस्थान अनुचित भुगतान की वसूली करे।

अनुशंसा:

संस्थान को सभी प्रोत्साहन योजनाओं को कड़ाई से शासी मण्डल अनुमोदित मानदंडों के अनुशंसा करना चाहिए, अनुचित भुगतानों की समीक्षा करनी चाहिए और पारदर्शी और लेखापरीक्षित संवितरण को सक्षम करने के लिए पूर्ण एएआर-आधारित दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।

5.5 निर्धारित नीति से विचलन के कारण अनुसंधान प्रोत्साहन का अनियमित भुगतान

उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को बढ़ावा देने और संस्थागत रैंकिंग में सुधार करने के लिए, शासी मण्डल ने अपनी 31वीं बैठक (07 जून 2017) में शीर्ष स्तर की पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए अनुसंधान प्रोत्साहन को स्वीकृति दी, 52वीं बैठक (25 जून 2022) में संशोधित दरों को स्वीकृति दी गई। ये प्रोत्साहन केवल तभी स्वीकार्य थे जब संकाय न्यूनतम शैक्षणिक कार्यभार मानदंडों को पूरा करता था जिसमें निर्धारित शिक्षण सत्र, अनुसंधान बिंदु, केस लेखन और प्रशासनिक जिम्मेदारियां शामिल थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2018-19 और 2023-24 के बीच, चार संकाय सदस्यों को ए*-श्रेणी के प्रकाशनों[6] के लिए ₹ 10.65 लाख के शोध प्रोत्साहन का भुगतान किया गया था। अभिलेख की जांच से कई विचलन सामने आए। एक संकाय सदस्य के मामले में, 2018-19 के लिए कार्यभार का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया, वाउचर ने शिक्षण, प्रशासन और अनुसंधान में कमियों को समायोजित करने के बाद ही वैधता को दर्शाया, जो प्रोत्साहन पात्रता से पूर्व न्यूनतम मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता के विपरीत है। एक अन्य संकाय सदस्य को कार्यकारी स्नातकोत्तर कार्यक्रम (ईजीपी) शिक्षण सत्र न करने के बावजूद ₹ 1.50 लाख मिले जबकि न्यूनतम 10 सत्र अनिवार्य थे। हालांकि, दो अन्य के लिए उन्हें प्रोत्साहन के रूप में ₹ आठ लाख का भुगतान किया गया था, 2022-23 के लिए कार्यभार घोषणाएं लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे उनकी वैधता का सत्यापन नहीं हो सका।

संस्थान ने अपने उत्तर (अक्तूबर 2025) में कहा कि सभी चार संकाय सदस्यों के लिए कार्यभार घोषणा फॉर्म प्रस्तुत किए गए थे और न्यूनतम कार्यभार पूरा किया गया था। इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाए कि इस तथ्य को सत्यापित करने के लिए कोई दस्तावेज प्रदान नहीं किया गया था कि सभी इंगित संकाय सदस्यों ने शासी मण्डल बैठकों में बताए गए निर्धारित मानदंडों को पूरा किया था।

---

[6] ए* प्रकाशन एक शीर्ष स्तर की अकादमिक पत्रिका में प्रकाशित एक शोध पत्र को संदर्भित करता है जो अत्यधिक प्रतिष्ठित और चयनात्मक है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में कहा कि संस्थान लागू दिशानिर्देशों के प्रासंगिक प्रावधान प्रदान करे जिसके अंतर्गत कार्रवाई की गई थी, साथ ही मानदंडों से विचलन के कारण भी बताए। संस्थान अनुचित भुगतान की वसूली करे।

अनुशंसा:

संस्थान को अनुमोदित कार्यभार मानदंडों के पूर्ण अनुपालन की पुष्टि करने के बाद ही अनुसंधान प्रोत्साहन देना चाहिए और पारदर्शी और लेखापरीक्षित संवितरण सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण सहायक दस्तावेजों का रखरखाव करना चाहिए।

5.6 वैधानिक आरक्षण मानदंडों के अनुसार संकाय भर्ती में सामाजिक-श्रेणीवार डेटा/रोस्टर का रखरखाव न करना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 31 जनवरी 2019 के कार्यालय ज्ञापन और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत सीधी भर्ती द्वारा संकाय भर्ती में आरक्षण अनिवार्य है।

लेखापरीक्षा ने 82 संकाय सदस्यों के अभिलेख की समीक्षा की, जिन्होंने मार्च 2016 से मार्च 2024 तक किसी भी अवधि के लिए संस्थान में सेवा की और पाया कि संस्थान ने संकाय की भर्ती के लिए सामाजिक-श्रेणी-वार डेटा/रोस्टर (एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/सामान्य) का रखरखाव नहीं किया। इसलिए, संकाय भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करते समय संस्थान आरक्षित श्रेणियों के लिए पद निर्धारित नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप वैधानिक आरक्षण मानदंडों का लगातार अनुपालन नहीं हुआ।

इसके अलावा, 27 संकाय सदस्यों के अभिलेख लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसके अलावा, इस बात का कोई साक्ष्य नहीं था कि संकाय भर्ती सेमिनार (एफआरएस) प्रक्रिया के दौरान आरक्षित रिक्ति अर्थात सामाजिक या आर्थिक श्रेणी (जैसे कि अनुसूचित जाति/ जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति) के विरुद्ध संकाय की भर्ती की गई थी। संबंधित अभिलेखों के अभाव में, लेखापरीक्षा इन संकाय सदस्यों की वास्तविक श्रेणी का पता नहीं लगा सकी।

संस्थान ने अपने उत्तर (जून/अक्तूबर 2025) में कहा कि उसने विशेष भर्ती अभियान आयोजित करके, शासी मण्डल कार्यसूची पर आरक्षण लागू करके और आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए जनसंपर्क के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों का अनुपालन किया था, हालांकि, कुछ उम्मीदवारों ने पुराने आईआईएम में शामिल होना चुना।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाए कि संस्थान ने दावा किए गए विशेष अभियानों या चयन को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए और लगातार कम प्रतिनिधित्व इस बात की पुष्टि करता है कि लंबित रिक्तियां काफी सीमा तक अपूर्ण हैं।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में, लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमति जताते हुए, मंत्रालय द्वारा जांच के लिए संकाय और गैर-संकाय का आरक्षण रोस्टर मांगा और यह भी सलाह दी कि आरक्षण रोस्टर के अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही कोई भी भर्ती की जाए।

अनुशंसा:

संस्थान को संवर्गवार संकाय अभिलेख को सही रखना चाहिए और वैधानिक आरक्षण मानदंडों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध विशेष अभियानों के माध्यम से लंबित रिक्तियों को भरना चाहिए। मंत्रालय, आरक्षण और भर्ती प्रक्रिया के संबंध में आईआईएमआर को आवश्यक निर्देश जारी करने पर विचार करे।

5.7 विधिक सलाहकारों को अनियमित भुगतान

5.7.1 विधिक सलाहकारों के साथ समझौता ज्ञापनों का निष्पादन न करना और निर्धारित मानदंडों से अधिक भुगतान करना

भारत सरकार, के कार्यालय ज्ञापन संख्या/26(1)/2014/न्यायिक के माध्यम से दिनांक 01 अक्तूबर 2015 द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला/अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष उपस्थित होने वाले विधिक सलाहकारों के लिए शुल्क संरचनाएं निर्धारित की हैं। सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों हेतु अनुबंध और भुगतान के लिए अधिसूचित मानदंडों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईआईएम, रोहतक ने 2018-19 से 2024-25 के दौरान विभिन्न अदालती मामलों के लिए तीन विधिक सलाहकारों को नियुक्त किया, लेकिन कानूनी कार्यवाही या विशिष्ट मामलों से जुड़े भुगतान से संबंधित अभिलेख का रखरखाव नहीं किया। संस्थान चल रहे या निर्धारित किए गए मामलों की पूरी सूची प्रस्तुत नहीं कर सका, न ही वह इन सलाहकारों को किए गए ₹ 32.59 लाख के भुगतान को वास्तविक सुनवाई के साथ संबंध जोड़ सका। संस्थान ने कहा (मई 2025) कि मामले की फाइलें सलाहकारों द्वारा ही रखी गई थीं, जिसके परिणामस्वरूप आईआईएमआर के पास कोई संबंधित अभिलेख नहीं थे। दस्तावेजीकरण की इस कमी के कारण सुनवाई या सेवाओं के भुगतान की प्रमाणिकता का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं हो पाया।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि तीन विधिक सलाहकारों को औपचारिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किए बिना ही नियुक्त किया गया था। प्रतिबद्धता के परिभाषित शब्दों की अनुपस्थिति में जिसमें शुल्क संरचना, कार्य का दायरा, वितरण योग्य वस्तुएँ और जिम्मेदारियां शामिल हैं- संस्थान के पास निष्पादन का आकलन करने, भुगतान को विनियमित करने या जवाबदेही सुनिश्चित करने का कोई योग्य आधार नहीं था। इस तरह की तदर्थ

नियुक्तियों ने अनधिकृत या अनुचित भुगतान के जोखिम को बढ़ा दिया और संस्थान को उपलब्ध कानूनी प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता से समझौता किया।

भुगतान वाउचरों की जांच से पता चला कि आईआईएमआर ने कई शीर्षों के अंतर्गत भुगतान किया था जैसे, सम्मेलन शुल्क, ड्राफ्टिंग शुल्क, परामर्श/बैठक शुल्क, विविध आवेदन शुल्क, यात्रा/दैनिक भत्ता, लिपिकीय प्रभार और स्वयं से किया गया व्यय जो या तो भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन के मामलो में स्वीकार्य नहीं थे या निर्धारित मानदंडों से कहीं अधिक दरों पर भुगतान किया गया था। मामलों में प्रति सुनवाई स्वीकार्य ₹ 900 के विरुद्ध ₹ 2,500 के सम्मेलन शुल्क का भुगतान, ₹ 3,000 के विरुद्ध ₹ 7,500 के विविध आवेदन शुल्क का भुगतान बिना किसी निर्धारित आधार के ₹ 22,000 तक का ड्राफ्टिंग प्रभार और बिना किसी अधिसूचित पात्रता के यात्रा/दैनिक भत्ता और लिपिकीय प्रभार का भुगतान शामिल था। एक मामले में, निर्धारित ₹1,800 के मुकाबले ₹2,500 प्रति सुनवाई पर एक अधिवक्ता को नियुक्त किया गया था, जिसकी उच्च दरों की किसी भी स्वीकृति के बारे में लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया गया था। कार्यालय ज्ञापन के विपरीत, लिपिकीय प्रभार की गणना करते समय स्वयं से किए गए व्ययों को भी गलत तरीके से शामिल किया गया था।

विधिक सलाहकारों द्वारा प्रस्तुत बिलों में केस नंबर और सुनवाई की तारीखें उल्लेखित थी, लेकिन सुनवाई नोटिस या आदेश जैसे अदालती दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं थे। परिणामस्वरूप, समीक्षा अवधि के दौरान किए गए कुल ₹ 32.59 लाख के भुगतान की पुष्टि लेखापरीक्षा नहीं कर सका।

उत्तर में (मई/अक्तूबर 2025), आईएमआर ने कहा कि अधिसूचित शुल्क संरचना सांकेतिक थी, संपूर्ण नहीं और यात्रा/दैनिक भत्ता, ड्राफ्टिंग और बैठकों जैसी अतिरिक्त सेवाओं का वैध रूप से लाभ उठाया गया था। इसमें यह भी कहा गया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उच्च दरों को स्वीकृति दी गई थी और आश्वासन दिया गया था कि मामलों में अभिलेख के रखरखाव के लिए एक प्रणाली स्थापित की जाएगी।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाए कि भुगतान भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक किया गया था और अतिरिक्त शुल्क के लिए कोई दस्तावेजी मानदंड या आंतरिक अनुमोदन प्रस्तुत नहीं किया गया था। एमओयू की अनुपस्थिति, केस अभिलेख की कमी और अप्रमाणित दावे इंगित करते हैं कि भुगतान केवल विधिक सलाहकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों के आधार पर किया गया था, जो बिना उचित जांच और निर्धारित वित्तीय नियंत्रणों के अननुपालन को दर्शाता है।

5.7.2 भुगतान अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ के कारण विधिक सलाहकार को अप्रमाणित भुगतान

आईआईएमआर ने 2018-19 से 2024-25 के दौरान 30 वाउचरों के माध्यम से उच्च न्यायालय के मामलों के लिए नियुक्त एक विधिक सलाहकार को ₹ 16.33 लाख का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इनमें से 11 वाउचरों से संबंधित वास्तविक बिलों के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जहां करेक्शन फ्लूइड का उपयोग करके केस नंबर और केस शीर्षक छिपाया गया था। अन्य सात वाउचरों में, वास्तविक बिल पूर्ण रूप से गायब थे और भुगतान, फोटोकॉपी किए गए बिलों पर संसाधित किए गए थे जिनमें मुख्य विवरण भी अस्पष्ट थे।

अभिलेखों में यह फेरबदल, विशेष रूप से संशोधन तरल (करैक्शन फ्लूइड) के उपयोग के माध्यम से, मामले से संबंधित आवश्यक जानकारी को जानबूझकर छिपाने के प्रयास को दर्शाता है। मीडिया रिपोर्टों में आगे यह कहा गया कि वही वकील एक साथ संस्थान के एक वरिष्ठ अधिकारी का निजी केस भी लड़ रहे थे, जिससे सरकारी पैसे का इस्तेमाल किसी अन्य काम के लिए किए जाने का जोखिम बढ़ गया।

मामले के विवरण को छिपाने के कारण, लेखापरीक्षा यह निर्धारित नहीं कर सका कि भुगतान की गई फीस वास्तव में आईआईएमआर के कानूनी मामलों के लिए थी या नहीं। यह प्रथा कमजोर प्रशासनिक निरीक्षण, अनिर्धारित दस्तावेज मानकों को दर्शाती है और सार्वजनिक व्यय के औचित्य के बारे में चिंताएं उत्पन्न करती है।

अपने उत्तर (जून 2025) में, आईआईएमआर ने कहा कि विभिन्न विभागों के बीच दस्तावेजों के आदान-प्रदान के दौरान मुकदमेबाजी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए मामले के विवरण को छिपाया गया था।

इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि वाउचरों के साथ भौतिक रूप से छेड़छाड़ करना एक वैध अभिलेख-कीपिंग प्रक्रिया नहीं है और यह दस्तावेजों की सत्यता को समाप्त करता है। इसके अतिरिक्त, संस्थान द्वारा बाद में (जून/अक्तूबर 2025) उपलब्ध कराए गए 11 बिलों में से नौ बिल, संबंधित वाउचरों के साथ संलग्न बिलों से मेल नहीं खाते थे।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में, संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होने के नाते निदेशक, आईआईएमआर से ऐसी कमियों के लिए स्पष्टीकरण मांगा और अधिक/अनुचित भुगतानों की वसूली करने के लिए कहा।

अनुशंसा:

मंत्रालय एक ऐसा ढांचा विकसित करे जो यह सुनिश्चित करे कि आईआईएमआर लिखित करारों के माध्यम से कानूनी अनुबंधों को औपचारिक रूप प्रदान करे और सभी कानूनी भुगतानों के लिए पूर्ण, छेड़छाड़ रहित तथा सत्यापन योग्य अभिलेख सुनिश्चित करे।

5.8 हवाई यात्रा के दावों की अनियमित प्रोसेसिंग

वित्त मंत्रालय (जुलाई 2017) द्वारा जारी सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार आधिकारिक ड्यूटी पर हवाई यात्रा या तो सीधे एयरलाइनों के माध्यम से या तीन अधिकृत ट्रेवल एजेंटों (एटीए) में से

एक के माध्यम से बुक की जानी चाहिए। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिशानिर्देशों (जुलाई 2016) के अनुसार, स्वायत्त निकायों के लिए एयर इंडिया के अलावा अन्य एयरलाइनों द्वारा यात्रा की अनुमति देने वाली छूट केवल प्रशासनिक मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार द्वारा दी जा सकती है। एलटीसी पर यात्रा करने वाले कर्मचारियों के लिए भी इसी तरह के दिशानिर्देश जारी किए गए थे। ये निर्देश 2022 में एयर इंडिया के विनिवेश तक लागू रहे।

2017 और 2024 के बीच संस्थान द्वारा संसाधित एलटीसी दावों की जांच से उक्त मानदंडों से बार-बार विचलन दिखा। 14 मामलों में, कर्मचारियों ने एयर इंडिया के अलावा अन्य एयरलाइनों से यात्रा की या निजी, अनधिकृत ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से टिकट बुक किए। इनमें से 11 में, न तो हवाई टिकट और न ही बोर्डिंग पास दावे किए गए वाउचर से संबंधित थे, फिर भी ₹ 15.24 लाख की प्रतिपूर्ति सीधे निजी एजेंसियों को की गई थी। अतिरिक्त चार मामलों में, हालांकि अधिकृत परिवहन के माध्यम से यात्रा की गई थी और अधिकतर सहायक दस्तावेज उपलब्ध थे, टिकट फिर से निजी एजेंसियों के माध्यम से बुक किए गए थे, जिन्हें एलटीसी नियमों के अंतर्गत अनुमति नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप एजेंसियों को ₹ 1.98 लाख की प्रतिपूर्ति की गई। इसके अलावा, एक मामला देखा गया जहां एलटीसी के अंतर्गत हवाई यात्रा निजी एयरलाइन पर व्यक्तिगत रूप से बुक की गई थी, इसके अलावा यह उस समय लागू नियमों के अंतर्गत स्पष्ट रूप से अस्वीकृत था।

यात्रा वाउचरों और 2021-22 से 2023-24 के दौरान आयोजित शासी मण्डल की बैठकों के एजेंडा की आगे की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि इस अवधि के दौरान आयोजित शासी मण्डल की 13 बैठकों में से सात बैठकें रोहतक से बाहर आयोजित की गई थीं। इन बैठकों के लिए, आईआईएमआर ने नियमित रूप से एक निजी ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से हवाई टिकट बुक किए, जो भारत सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा अधिकृत ट्रैवल एजेंसी के रूप में नामित नहीं थी, और एअर इंडिया के अलावा अन्य एयरलाइनों में यात्रा बुक की गई। इस निजी एजेंसी को ₹ 16.26 लाख के भुगतान किए गए, जो प्राय: वाउचरों के साथ हवाई टिकट या बोर्डिंग पास संलग्न किए बिना किए गए थे।

एक मामले में, वाउचर संख्या 794 (अक्तूबर 2021) से संबंधित, एक शासी मण्डल सदस्य के लिए हवाई टिकट बुक किए गए थे, जिसका वापसी यात्रा मार्ग आधिकारिक गंतव्य से आगे बढ़ा हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप यात्रा कार्यक्रम लागू सरकारी मानदंडों से विचलित हो गया था। इसी तरह का मामला पिछले वर्ष के लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन[7], में भी उजागर किया गया था, जिसमें यह दर्शाया गया था कि चूक का यह पहला मामला नहीं था।

संस्थान ने (अप्रैल/मई/जून/अक्तूबर 2025) उत्तर दिया कि टिकटों को वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी की सहमति के साथ प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चयनित सूचीबद्ध एजेंटों के माध्यम से बुक किया गया था और किसी भी व्यक्ति को कोई व्यक्तिगत

[7] अवधि 2022-23 के लिए निरीक्षण रिपोर्ट हवाई यात्रा पर अनियमित व्यय, पैरा-1

लाभ नहीं दिया गया था। इसमें आगे कहा गया कि, 30 अप्रैल 2024 की डीओपीटी अधिसूचना के अनुसार, बोर्डिंग पास अब अपेक्षित नहीं है और एयर इंडिया का किराया प्राय: निजी एयरलाइनों या सूचीबद्ध एजेंटों द्वारा दिए जाने वाले किराए से अधिक होता है।

इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि टिकटों की बुकिंग के लिए उपयोग की गई ट्रैवल एजेंसी सरकार द्वारा अधिकृत ट्रैवल एजेंसियों में शामिल नहीं थी, और ये बुकिंग एअर इंडिया का उपयोग करने की अनिवार्य आवश्यकता के अनुरूप नहीं थीं, जब तक कि इसके लिए औपचारिक रूप से स्वीकृत छूट प्रदान न की गई हो। लेखापरीक्षा के समक्ष ऐसी कोई छूट प्रस्तुत नहीं की गई थी। बोर्डिंग पास की आवश्यकता के संबंध में, लेखापरीक्षा में उल्लिखित एलटीसी दावे 2024 की छूट से काफी पहले की अवधि से संबंधित हैं। उन वर्षों के दौरान, निजी एयरलाइनों द्वारा यात्रा प्रतिबंधित थी, और निजी एजेंसियों के माध्यम से बुकिंग एलटीसी नियमों के अंतर्गत अनुमत नहीं थी। संस्थान के अपने 2018 नियमों के नियम 7(xviii) में भी स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि निदेशक भारत सरकार की दरों के अनुसार एलटीसी का हकदार होगा। इसलिए, संस्थान का स्पष्टीकरण लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान अनिवार्य एलटीसी प्रावधानों के अननुपालन के मुख्य मामलों का समाधान नहीं करता है। यह हवाई यात्रा व्यवस्थाओं पर कमजोर अनुपालन नियंत्रण को भी दर्शाता है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में, संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होने के नाते निदेशक, आईआईएमआर से ऐसी कमियों के लिए स्पष्टीकरण मांगा और अधिक/अनुचित भुगतानों की वसूली करने को कहा।

5.9 विदेश यात्रा नीति का अननुपालन

संकाय नियमावली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए स्पष्ट शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिसमें न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा की आवश्यकता, शोध-पत्रों की अनिवार्य पीयर-रिव्यू स्वीकृति, सम्मेलनों की संख्या पर सीमा, पूर्व अनुमतियां तथा दस्तावेजीकरण और प्रतिपूर्ति नियमों का अनुपालन शामिल है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को अध्यक्ष, शासी मण्डल की सहमति से स्वीकृति दी जाए और यात्रा की व्यवस्था अधिकृत एजेंटों के माध्यम से की जाए। इसके अलावा, भारत सरकार के दिशानिर्देश केवल एयर इंडिया और अधिकृत ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से विदेश यात्रा की अनुमति देते हैं और यदि कोई संकाय सदस्य लौटने के छ: महीने के भीतर त्यागपत्र दे देता है तो व्ययों की वसूली अपेक्षित होती है।

2016-17 और 2023-24 के बीच की गई विदेश यात्रा की समीक्षा से पता चला कि निदेशक सहित 18 संकाय सदस्यों ने 31 अवसरों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया। पांच अवसरों पर चार संकाय सदस्यों के अभिलेख **(अनुलग्नक 5.3)** प्रस्तुत नहीं किए गए, जबकि प्रतिपूर्ति ₹ 5.87 लाख थी। शेष 26 मामलों **(अनुलग्नक 5.4)** की जांच से कई विचलन और नियम उल्लंघन पाए गए। 14 मामलों में, संकाय ने अनिवार्य तीन वर्ष की सेवा अवधि पूरी किए बिना

सम्मेलनों में भाग लिया। दो मामलों में, शासी मण्डल के अध्यक्ष की सहमति से प्राप्त स्वीकृति के साक्ष्य के बिना ही, तीन वर्षों के भीतर अतिरिक्त सम्मेलनों में भाग लिया गया था। 26 मामलों में से 23 मामलों में प्रस्तुत वाउचरों में आवश्यक दस्तावेजों, जैसे कि पीयर-रिव्यू स्वीकृति पत्र या मुख्य आमंत्रणों का अभाव था।

23 मामलों में, अनधिकृत ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से हवाई टिकट बुक किए गए थे और 15 मामलों में, भारत सरकार के निर्देशों के विपरीत, एयर इंडिया के अलावा अन्य एयरलाइनों से यात्रा की गई थी। एक अन्य मामले में, संस्थान के व्यय पर विदेश यात्रा करने वाले एक संकाय सदस्य ने यात्रा की तारीख से छह महीने के भीतर त्यागपत्र दे दिया, फिर भी वसूली का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। अधिक भुगतान के मामले भी पाए गए, जिसमें निर्धारित सीमा से अधिक दैनिक भत्तों की प्रतिपूर्ति भी शामिल थी, जिसके परिणामस्वरूप एक मामले में ₹ 0.17 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

आईआईएमआर ने अपने उत्तरों (जून/अक्तूबर 2025) में कहा कि सम्मेलन में भागीदारी को निदेशक द्वारा आईआईएमआर विनियम 2021 के खंड 5 के अंतर्गत स्वीकृति दी गई थी, शासी मण्डल के अध्यक्ष की सहमति की आवश्यकता केवल संस्थान के प्रारंभिक चरण के दौरान लागू थी और यात्रा व्यय संकाय विकास निधि (एफडीएफ) की सीमाओं के भीतर थी। आगे कहा कि यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता स्वीकृत मानदंडों के अनुसार भुगतान किया गया था और बुकिंग, सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से की गई थी।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि आंतरिक विनियम, संकाय नियमावली के स्पष्ट प्रावधानों या भारत सरकार के दिशानिर्देशों को अमान्य नहीं कर सकते हैं। अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए शासी मण्डल के अध्यक्ष की सहमति की आवश्यकता निरंतर लागू है, और अनिवार्य दस्तावेजीकरण की अनुपस्थिति, अनधिकृत टिकटिंग प्रथाओं तथा देय राशियों की वसूली न होने का मामला अभी भी समाधान रहित है। यह उत्तर लेखापरीक्षा में इंगित की गई कमियों का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं करता है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में, संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होने के नाते निदेशक, आईआईएमआर से ऐसी कमियों के लिए स्पष्टीकरण मांगा और अधिक/अनुचित भुगतानों की वसूली करने को कहा।

5.10 निर्धारित शुद्ध डीलर कीमत (एनडीपी) सीमा से अधिक स्टाफ वाहनों की अनियमित अधिप्राप्ति

व्यय विभाग के निर्देशों (जुलाई 2014) के अनुसार, एक हकदार स्टाफ कार की शुद्ध डीलर कीमत (एनडीपी) ₹ 4.75 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसे बाद में सितंबर 2022 में संशोधित कर छः लाख कर दिया गया था।

आईआईएमआर ने आधिकारिक उपयोग के लिए तीन वाहन खरीदे। पहली गाड़ी, एक टोयोटा इनोवा, जिसे मई 2017 में ₹ 9.04 लाख में खरीदा गया था, को इस आधार पर उचित ठहराया गया था कि मौजूदा होंडा सिटी (2011 मॉडल) को अनुपयोगी घोषित करने की आवश्यकता थी। हालांकि, होंडा सिटी अप्रैल 2026 तक चलने योग्य स्थिति में रही और संस्थान द्वारा इसका उपयोग जारी रखा गया।

इसी तरह, जून 2021 में, उन्हीं आधारों का संदर्भ देते हुए ₹ 7.46 लाख में एक महिंद्रा स्कॉर्पियो खरीदी गई थी, जबकि होंडा सिटी की वैधता के अभी भी चार वर्ष शेष थे।

इसके अलावा, नवंबर 2023 में, ₹ 19.22 लाख में एक टोयोटा इनोवा क्रिस्टा खरीदी गई थी, जो स्पष्ट रूप से पिछली टोयोटा इनोवा (2017 मॉडल) को बदलने के लिए थी, हालांकि, दोनों वाहन उपयोग में बने रहे और खरीदे गए तीनों वाहन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त किए बिना, नौ प्रतिशत से लेकर 108 प्रतिशत तक की सीमा तक एनडीपी सीमाओं से अधिक थे।

आईआईएमआर ने कहा (जून/अक्तूबर 2025) कि परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्थागत पूल वाहनों के रूप में वाहनों को जेम के माध्यम से खरीदा गया था, जिसमें खराब सार्वजनिक परिवहन और शहर के बाहर परिसर के स्थान का हवाला दिया गया था। संस्थान ने आगे कहा कि पुराने वाहनों में खराबी की संभावना अधिक थी या वे माइलेज के मानदंडों को पार कर चुके थे और सभी व्ययों को आंतरिक निधि से पूरा किया गया था।

इस उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि आईआईएमआर ने निर्धारित एनडीपी सीमा को पार कर लिया है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा को कोई वाहन विलोपन आदेश या तकनीकी मूल्यांकन उपलब्ध नहीं कराया गया था। पुराने वाहनों का निरंतर उपयोग प्रतिस्थापन की आवश्यकता का खंडन करता है और यह दर्शाता है कि वाहनों को बदला नहीं गया बल्कि बेड़े में और वाहन शामिल किए गए थे।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में, एनडीपी सीमाओं का उल्लंघन करके अतिरिक्त स्टाफ वाहनों की अधिप्राप्ति के मामले में संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होने के नाते निदेशक से कारणों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा।

अनुशंसा:

मंत्रालय सभी मामलों में सरकार/संस्थान के दिशानिर्देशों/जीएफआर प्रावधानों का अनुपालन न करने पर संस्थान से स्पष्टीकरण मांगे और जहां भी अपेक्षित हो, सुधारात्मक कार्रवाई करे।

5.11 अनिवार्य ऊर्जा लेखापरीक्षा की आवश्यकताओं का अननुपालन

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने 09 नवंबर 2016 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से यह अनिवार्य किया था कि 100 किलोवाट या उससे अधिक के कनेक्टेड लोड या 120 केवीए या उससे अधिक की अनुबंध मांग वाले सभी संस्थागत भवनों को अधिसूचना के 18 महीनों के भीतर उर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा प्रमाणित लेखापरीक्षक या पैनल में सूचीबद्ध ईएससीओ के माध्यम से अपनी पहली विस्तृत ऊर्जा लेखापरीक्षा करानी होगी। उपभोक्ताओं के लिए आगे यह भी अपेक्षित था कि (i) लेखापरीक्षा के तीन महीनों के भीतर एक कार्य योजना तैयार करे और प्रस्तुत करे (ii) दो वर्षों के भीतर लेखापरीक्षा की अनुशंसाओं को लागू करे और (iii) विभाग को अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अनुपालन न करने पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पेनल्टी लगाई जा सकती थी।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 2,200 किलोवाट के कनेक्टेड लोड (जिसे बाद में दिसंबर 2018 में संशोधित कर 1,100 किलोवाट कर दिया गया था) के साथ आईआईएमआर पूर्ण रूप से इस अनिवार्य दायरे के अंतर्गत आता था और उसे मई 2018 तक अपनी पहली ऊर्जा लेखापरीक्षा पूर्ण कर लेनी चाहिए थी। तथापि, ऐसी कोई लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई थी।

जब जानकारी प्राप्त की गई (अप्रैल 2025), आईआईएमआर ने कहा कि वह आवश्यकता से अनभिज्ञ था और बाद में (अक्तूबर 2025) कहा कि वह अपने संचालन में सतत पहल कर रहा था।

अनिवार्य ऊर्जा लेखापरीक्षा और कार्य योजना की अनुपस्थिति न केवल एक नियामक उल्लंघन है, बल्कि यह दक्षता की कमियों की पहचान करने, ऊर्जा लागत को कम करने और संस्थान की सतत पहलों को सुदृढ़ करने के चूके हुए अवसर को भी दर्शाती है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (अप्रैल 2026) में लेखापरीक्षा टिप्पणियों से सहमति व्यक्त की।

5.12 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संस्थान में वित्तीय और शासन मानदंडों का व्यवस्थित अनुपालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में परिहार्य और अनियमित व्यय हुआ। नियुक्ति के उचित अभिलेख के बिना ही 10 व्यक्तियों को ₹ 88.64 लाख के सकल वेतन का भुगतान किया गया था।

अतिरिक्त वित्तीय अनियमितताओं में, परिवीक्षा अवधि के दौरान त्यागपत्र देने वाले संकाय सदस्यों से देय राशियों की वसूली न करना (₹ 52.34 लाख) और पर्याप्त अभिलेख के बिना ₹ 10.65 लाख के अनुसंधान प्रोत्साहन जारी करना सम्मिलित था। अनियमित यात्रा बुकिंग और एलटीसी दावों के मामले भी पाए गए।

समग्र रूप से, लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण, दस्तावेजीकरण और अनुपालन तंत्र में चूकों को उजागर करती है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय अनियमितता और परिहार्य व्यय हुआ।

(समीर मेहता)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), चंडीगढ़

चंडीगढ़
दिनांक: 01 अगस्त 2026

प्रतिहस्ताक्षरित

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 04 अगस्त 2026

अनुलग्नक

अनुलग्नक-2.1

(पैराग्राफ 2.7 में संदर्भित)

परामर्श सेवाओं में पाई गई अनियमितताओं का विवरण

क्रमांक	परामर्श सेवाओं का नाम	लेखापरीक्षा टिप्पणियां
1.	भारतीय सशस्त्र बलों की अगली पीढ़ी के अधिकारी संवर्ग की आकांक्षाओं की मैपिंग	दिए गए प्रस्ताव की प्रतिलिपि पर कोई हस्ताक्षर नहीं थे; साथ ही, 31 मार्च 2023 तक लेजर बैलेंस के अनुसार ₹ 0.74 लाख की राशि की वसूली नहीं हुई थी।
2.	भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए फसल अवशेष प्रबंधन योजना पर अध्ययन	बिना किसी हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव, लेजर के अनुसार 31 मार्च 2024 तक ₹ 2.17 लाख शेष लंबित था। कार्य पूरा होने की स्थिति स्पष्ट नहीं है।
3.	गुप्त ग्राहकों का उपयोग करके ब्याज समानीकरण योजना की दक्षता और निष्पादन का मूल्यांकन करना	लेजर के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 11.10 लाख की प्राप्ति के एवज में ₹ 0.29 लाख का व्यय किया गया और 31 मार्च 2024 को अंतिम शेष राशि ₹ 10.81 लाख थी। आईआईएमआर के अनुसार, यह कार्य 27 मार्च 2024 को पूरा हो गया था। हालांकि, अनुमानित परियोजना लागत ₹ 13.10 लाख के विरुद्ध केवल ₹ 0.29 लाख के व्यय के साथ कार्य का पूरा होना संभव नहीं लग रहा था।
4.	एफसीआई आरएमएस परियोजना हरियाणा (हरियाणा राज्य में गेहूं की अधिप्राप्ति और भंडारण कार्यों का मूल्यांकन)	दिए गए लेजर के अनुसार, 2019-20 में ₹ 3.46 लाख की राशि प्राप्त हुई, जिसके एवज में 31 मार्च 2020 तक ₹ 3.39 लाख का व्यय हुआ और 31 मार्च 2020 को ₹ 0.07 लाख शेष राशि दर्शाई गई। 31 मार्च 2024 तक भी शेष राशि को प्रतिबिंबित होती रही। कार्य पूरा होने की स्थिति स्पष्ट नहीं है।
5.	हरियाणा कौशल विकास मिशन परियोजना	₹ 18 लाख की अनुमानित लागत के विरुद्ध केवल ₹ 0.13 लाख के व्यय के साथ कार्य पूरा करना संभव नहीं लग रहा था। फिर भी, यदि यह कार्य पूरा हो गया है, तो शेष राशि को आय मद में हस्तांतरित किया जाना चाहिए था।
6.	एचएसआईआईडीसी के लिए कार्यबल की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन	लेजर के अनुसार, 2022-23 में ₹ 7.41 लाख की राशि प्राप्त हुई, जिसके एवज में 31 मार्च 2023 तक ₹ 3.08 लाख का व्यय हुआ और 31 मार्च 2024 को ₹ 4.32 लाख की शेष राशि दर्शाई गई। कार्य पूरा होने की स्थिति स्पष्ट नहीं है।
7.	इंडिया रिजर्व बटालियन के उद्देश्य, भूमिका और प्रभाव पर अध्ययन	दिए गए लेजर के अनुसार, 2021-22 में ₹ 2.84 लाख की राशि प्राप्त हुई थी, जिसके एवज में 31 मार्च 2024 तक कोई व्यय नहीं किया गया था। संस्थान द्वारा सूचित किया गया कि अंतिम रिपोर्ट 20 अक्तूबर 2020 को प्रस्तुत की गई थी और खाता अभी तक तय नहीं किया गया था।
8.	मन की बात की प्रभावशीलता और श्रोता वर्ग पर अध्ययन	दिए गए लेजर के अनुसार, इस परियोजना के एवज में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। हालांकि, 2022-23 में ₹ 0.01 लाख का व्यय हुआ और 2023-24 में ₹ 1.62 लाख का व्यय हुआ। प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, अंतिम रिपोर्ट 01 मार्च 2023 को प्रस्तुत की गई थी। हालांकि, अनुमानित लागत ₹ 23.30 लाख के विरुद्ध केवल ₹ 1.63 लाख के व्यय के साथ और अनुमानित लागत के एवज में कोई राशि वसूल किए बिना कार्य का पूरा होना संभव नहीं प्रतीत होता है।
9.	एनडीआरएफ में प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण	लेजर की समीक्षा से पता चला कि 2022-23 के दौरान इस कार्य पर ₹ 1.07 लाख का व्यय किया गया था, लेकिन 31 मार्च 2024 तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई थी।
10.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के कार्यान्वयन का समवर्ती मूल्यांकन करना	अप्रैल 2018 से शुरू होने वाले दो साल की अवधि के लिए 2018 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। लेजर की समीक्षा से पता चला कि ₹ 7.89 लाख की राशि प्राप्त हुई थी, जिसके एवज में ₹ 7.89 लाख का व्यय भी किया गया था। हालांकि, लेजर में

क्रमांक	परामर्श सेवाओं का नाम	लेखापरीक्षा टिप्पणियां
		2023-24 तक की प्रविष्टियां की गईं।
11	प्रसाद योजना के कार्यान्वयन के प्रभाव का मूल्यांकन	बिना किसी हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव। लेजर के अनुसार, 2020-22 में ₹ 7.10 लाख की प्राप्ति के विरुद्ध 31 मार्च 2024 तक ₹ 3.13 लाख का व्यय हुआ, जिससे 31 मार्च 2024 को शेष राशि ₹ 3.97 लाख बची। यह स्पष्ट नहीं है कि यह कार्य पूरा हुआ या नहीं।
12.	विभिन्न सीएपीएफ, एआर और एनएसजी के प्रशिक्षण संस्थानों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के व्यापक प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण और समीक्षा पर अध्ययन	लेजर की समीक्षा से पता चला कि 2021-22 के दौरान ₹ 14.70 लाख की राशि प्राप्त हुई, जिसके एवज में ₹ 13.04 लाख का व्यय 2022-24 के दौरान किया गया, जिससे 31 मार्च 2024 को ₹ 1.66 लाख का अंतिम शेष बचा। यह कार्य 28 मई 2024 को पूरा किया गया, जिससे पता चला कि परियोजना निर्धारित समय सीमा छः महीने के बजाय देर से पूरी हुई।

निम्नलिखित परामर्श सेवाएं परियोजनाएं/कार्य लेखापरीक्षा के लिए प्रदान किए गए परामर्श सेवा लेजर में दिए गए थे, लेकिन इन के संबंध में संबंधित एजेंसी के साथ कोई जानकारी अर्थात प्रस्ताव/समझौता/पत्राचार आदि आईआईएमआर द्वारा प्रदान नहीं की गई थी। लेजर की समीक्षा से संकेत मिलता है कि परामर्श कार्य या तो अधूरे थे या देरी से निष्पादित किए गए थे जैसे कि नीचे दी गई तालिका में बताया गया है:

क्रमांक	विवरण	लेखापरीक्षा टिप्पणियां
1	डीडीजी (मेल बिजनस)	2018-19 में मिली ₹ 12.00 लाख की राशि में से ₹ 3.00 लाख का व्यय किया गया और शेष राशि मार्च 2024 तक भी बकाया है। कार्य की स्थिति स्पष्ट नहीं है।
2	एसजेवीएन लिमिटेड के लिए कर्मचारी सहभागिता सर्वेक्षण	2022-23 में प्राप्त ₹ 9.80 लाख की राशि से कोई व्यय नहीं किया गया है। इस सर्वेक्षण के निष्पादन की प्रगति का कोई अभिलेख नहीं है।
3	एफसीआई केएमएस परियोजना हरियाणा	2019-20 में मिली ₹ 3.46 लाख की राशि में से, 2020-21 तक ₹ 1.02 लाख का व्यय किया गया और तब से कोई प्रगति नहीं हुई है।
4	मारुति लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट	2020-21 में मिली ₹ 3.81 लाख की राशि में से, 31 मार्च 2024 तक ₹ 2.46 लाख का व्यय किया गया था। यह स्पष्ट नहीं है कि यह कार्य पूरा हो गया है।
5	एनएफएसए प्रभाव नौ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-21 के दौरान प्राप्त ₹ 13 लाख की राशि में से, ₹ 11.23 लाख का व्यय 2019-22 के दौरान किया गया था और तब से कोई प्रगति दर्ज नहीं की गई है।
6	जम्मू और कश्मीर के लिए एनएफएसए परियोजना - जम्मू संभाग	2019-24 के दौरान प्राप्त ₹ 1.66 लाख की पूरी राशि खर्च की गई थी, जिससे पता चलता है कि कार्य पूरा हो चुका होगा।
7	विमानन केंद्र के लिए वेतन मानक अध्ययन	₹ चार लाख की राशि से कोई व्यय नहीं किया गया है जो 2022-23 के दौरान प्राप्त हुआ है जो दर्शाता है कि अध्ययन शुरू नहीं हुआ है।
8	यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड (यूपीएल) परियोजना	लेजर प्रविष्टि केवल ₹ 0.79 लाख का व्यय दिखाती है, जो 2020-21 के दौरान प्राप्त किसी भी राशि के बिना किया गया था। कार्य की स्थिति ज्ञात नहीं थी।
9	फंड-शल्बी लिमिटेड 'चिह्नित'	लेजर प्रविष्टि दर्शाती है कि 2019-20 के दौरान ₹ 0.01 लाख का खर्च हुआ, जबकि कोई राशि प्राप्त नहीं हुई थी। कार्य की स्थिति ज्ञात नही थी।

क्रमांक	विवरण	लेखापरीक्षा टिप्पणियां
10	आईआरसीटीसी परामर्श शुल्क	2018-20 के दौरान प्राप्त ₹ 1.43 लाख की राशि में से, ₹ 1.39 लाख का व्यय 2020-21 तक किया गया था, जिससे पता चलता है कि कार्य काफी सीमा तक पूरा हो गया होगा। कार्य की स्थिति अभिलेखों से पता नहीं चल रही है।
11	गृह मंत्रालय	लेजर के अनुसार, 2018-24 के दौरान ₹ 33.50 लाख की राशि प्राप्त हुई, जिसके विरुद्ध 2019-24 के दौरान ₹ 13.40 लाख का व्यय हुआ। कार्य की कोई प्रगति दर्ज नहीं की गई।
12	पंजाब सरकार की जेल परियोजना	प्रदान किए गए लेजर के अनुसार, 2020-22 के दौरान प्राप्त ₹ 3.73 लाख की राशि के विरुद्ध कोई व्यय नहीं किया गया है, जिससे पता चलता है कि निधियां प्राप्त होने के बावजूद इस परियोजना पर कार्य शुरू नहीं हुआ है।
13	वेरका	प्रदान किए गए लेजर के अनुसार, 2018-20 के दौरान ₹ 0.72 लाख की राशि प्राप्त हुई थी, जिसके विरुद्ध 2019-20 के दौरान ₹ 0.60 लाख का व्यय हुआ था और तब से इस परियोजना की कोई प्रगति दर्ज नहीं की गई है
14	डब्ल्यूएनएस	प्रदान किए गए लेजर के अनुसार, 2018-19 के दौरान ₹ 0.54 लाख की राशि प्राप्त हुई थी, जिसके एवज में अब तक कोई व्यय नहीं किया गया है; इससे पता चलता है कि निधियां प्राप्त होने के बावजूद इस परियोजना पर कार्य शुरू नहीं हुआ।

इसके अलावा, निम्नलिखित चार परामर्श कार्य प्रस्तावों की प्रतियां आईआईएमआर द्वारा प्रदान की गईं, लेकिन इन्हें परामर्श सेवाओं के लेजर में शामिल नहीं किया गया था:

कार्य का वर्णन	अनुमानित अवधि	अनुमानित लागत कर छोड़कर (₹ लाख में)
मांग निर्यात योजना पर शुल्क वापसी की दक्षता और निष्पादन का मूल्यांकन करने पर अध्ययन	परियोजना मिलने के बाद पहले ड्राफ्ट के लिए दो महीने	11.10
ब्याज समानीकरण योजना का मूल्यांकन अध्ययन	परियोजना मिलने के बाद पहले ड्राफ्ट के लिए तीन महीने	15.90
परियोजना प्रभाव आकलन (मेसर्स नर्चर एगटेक प्राइवेट लिमिटेड)	15 सितंबर 2022 को किया गया करार दो साल के लिए वैध है	13.50
ट्राइफेड के लिए विजन दस्तावेज़	24 सप्ताह	23.20

अनुलग्नक-4.1

(पैराग्राफ 4.1 में संदर्भित)

विशेषज्ञ कर्मचारी और आंतरिक लेखापरीक्षक को सौंपे गए कार्य

क्रमांक	सौंपा गया कार्य	विशेषज्ञ कर्मचारियों को सौंपे गए कार्य का क्षेत्र	आंतरिक लेखापरीक्षक को सौंपे गए कार्य का क्षेत्र
		मेसर्स सरूपप्रिया सोमानी एंड एसोसिएट्स (जून 2019 से मार्च 2020)	मेसर्स बी.एम.वर्मा एंड कंपनी (2017-21)
		मेसर्स बृज गुप्ता एंड कंपनी (अप्रैल 2020 से मार्च 2025)	मेसर्स अरविंद उपकार एंड कंपनी (2021-25)
1.	**वार्षिक खातों का रखरखाव**	दैनिक खातों के रखरखाव में सहायता करना और खातों के निर्धारित प्रारूप के अनुसार वार्षिक खातों को तैयार करना	वार्षिक खातों को तैयार करना और अंतिम रूप देना और अन्य संबंधित कार्य/सेवाएं
2	**लेखापरीक्षा टिप्पणियों और पैरों के उत्तर देना**	सीएजी लेखापरीक्षा और किसी अन्य लेखापरीक्षा के समय स्टाफ उपस्थित रहेगा ताकि विभिन्न मामलों को समझाया जा सके और लेखापरीक्षा टिप्पणियों और पैरों का उपयुक्त उत्तर देने में सहायता प्रदान की जा सके।	वैधानिक लेखापरीक्षा ज्ञापनों का उत्तर देने और टिप्पणियों को हटाने में सहायता
3	**कर विवरण दाखिल करना**	जीएसटी के मामले जिसमें जीएसटी विवरण तैयार करना और जमा करना, वार्षिक आयकर रिटर्न, ई-टीडीएस रिटर्न और जीएसटी/वैट/डब्ल्यूसीटी रिटर्न दाखिल करना शामिल हैं।	संबंधित कर अधिकारियों के साथ संपर्क और कर विवरण और अन्य वैधानिक विवरण दाखिल करना

अनुलग्नक 4.2

(पैराग्राफ 4.1 में संदर्भित)

किए गए कार्यों की जानकारी और दोहरी नियुक्ति द्वारा किए गए कार्यों के लिए दिए गए पारिश्रमिक की जानकारी

वाउचर सं.	तिथि	जिसके कारण भुगतान किया गया	राशि (₹ में)	इस कार्य के लिए पहले ही सनदी लेखाकार फर्मों को भुगतान कर दिया गया है
472	31 जुलाई 2020	टीडीएस रिटर्न भरना और टीडीएस जमा करना	3512	विशेषज्ञ कर्मचारी और आंतरिक लेखापरीक्षक
1351	02 मार्च 2021	दिनांक 23.02.2021 के अनुमोदन के अनुसार वर्ष 2019-20 (सीएजी 2019-20) हेतु लेखापरीक्षा सेवा, बीजक सं. बीएमवी/एचओ/20-21/205 दिनांक 05.02.2021	129800	विशेषज्ञ कर्मचारी और आंतरिक लेखापरीक्षक
245	16 जून 2021	टीडीएस रिटर्न भरने के लिए प्रतिपूर्ति, पैन आवेदन शुल्क और जीएसटी शुल्क बिल नं बीएमवी/डीएन./20-21/008 दिनांक 24.02.2021 को अब लेखांकित किया गया	5142	विशेषज्ञ कर्मचारी और आंतरिक लेखापरीक्षक
1429	17 फरवरी 2022	2015-16 के लिए बिल संख्या बीएमवी/डीएन/21-22/005 दिनांक 08.02.2022 द्वारा ₹ 250.00 की फाइलिंग फीस और 2020-21 की तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही की टीडीएस रिटर्न भरने की फीस की प्रतिपूर्ति सनदी लेखाकार की स्वीकृति के अनुसार	1090	विशेषज्ञ कर्मचारी और आंतरिक लेखापरीक्षक
1520	15 मार्च 2022	सीएजी लेखापरीक्षा 2020-21 के लिए पेशेवर शुल्क बिल नं.-बीएमवी/एचओ/21-22/234 दिनांक 08.02.2022	129800	विशेषज्ञ कर्मचारी और आंतरिक लेखापरीक्षक
93	19 अप्रैल 2022	वित वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए बिल संख्या-बीएमवी/एचओ/21-22/265 दिनांक 15.03.2022 के अनुसार सीएजी लेखापरीक्षा (लेनदेन लेखापरीक्षा) के लिए यात्रा शुल्क	23600	विशेषज्ञ कर्मचारी और आंतरिक लेखापरीक्षक
1358	08 दिसंबर 2022	सीएजी लेखापरीक्षा के दौरान यात्रा शुल्क और जलपान के लिए बिल नं. बीएमवी/एचओ/22-23/204 दिनांक 14.11.2022	29963	विशेषज्ञ कर्मचारी और आंतरिक लेखापरीक्षक
141	02 मई 2023	बिल संख्या. बीएमवी/एचओ/22-23/317 दिनांक 23.03.2023 के अनुसार सीएजी लेखापरीक्षा के दौरान सीएजी टीम के लिए यात्रा शुल्क और जलपान	32450	विशेषज्ञ कर्मचारी और आंतरिक लेखापरीक्षक

वाउचर सं.	तिथि	जिसके कारण भुगतान किया गया	राशि (₹ में)	इस कार्य के लिए पहले ही सनदी लेखाकार फर्मों को भुगतान कर दिया गया है
1057	07 अक्तूबर 2023	सीएजी लेखापरीक्षा के लिए संस्थान का दौरा करने के लिए यात्रा शुल्क और पेशेवर शुल्क के लिए बीजक संख्या बीएमवी/एचओ/23-24/150 दिनांक 16.09.2023	24554	विशेषज्ञ कर्मचारी और आंतरिक लेखापरीक्षक
1414	15 दिसंबर 2023	बीजक संख्या बीएमवी/एचओ/23-24/199 दिनांक 23.10.2023 के अनुसार लेखा संबंधित सलाह प्रदान करना	59000	आंतरिक लेखापरीक्षक
353	11 जून 2024	लेखापरीक्षा में सहायता के लिए पेशेवर शुल्क और यात्रा शुल्क के लिए बीजक संख्या बीएमवी/एचओ/23-24/310 दिनांक 02.02.2024	104430	विशेषज्ञ कर्मचारी और आंतरिक लेखापरीक्षक
829	27 अगस्त 2024	लेखापरीक्षा में सहायता के लिए पेशेवर शुल्क और यात्रा शुल्क के लिए बीजक संख्या बीएमवी/एचओ/23-24/310 दिनांक 02.02.2024	34810	विशेषज्ञ कर्मचारी और आंतरिक लेखापरीक्षक
1084	10 अक्तूबर 2024	लेखापरीक्षा के दौरान संस्थान का दौरा करने के लिए यात्रा शुल्क और पेशेवर शुल्क बीजक संख्या बीएमवी/एचओ।/24-25/ 144 दिनांक 10.09.2024	37760	विशेषज्ञ कर्मचारी और आंतरिक लेखापरीक्षक
1236	18 नवंबर 2024	लेखापरीक्षा के दौरान संस्थान का दौरा करने के लिए यात्रा शुल्क और पेशेवर शुल्क बीजक संख्या बीएमवी/एचओ/24-25/048 दिनांक 03.06.2024	23600	विशेषज्ञ कर्मचारी और आंतरिक लेखापरीक्षक
1318	04 दिसंबर 2024	लेखापरीक्षा के दौरान संस्थान का दौरा करने के लिए यात्रा शुल्क और पेशेवर शुल्क बीजक संख्या बीएमवी/एचओ/24-25/ 227 दिनांक 06.11.2024	35400	विशेषज्ञ कर्मचारी और आंतरिक लेखापरीक्षक
1860	28 फरवरी 2025	22.02.2024 से 24.02.2024 तक सीएजी लेखापरीक्षा के लिए संस्थान का दौरा करने के लिए यात्रा शुल्क और पेशेवर शुल्क बीजक संख्या बीएमवी/ एचओ/24-25/142 दिनांक 06.09.2024	52057	विशेषज्ञ कर्मचारी और आंतरिक लेखापरीक्षक
सकल योग			**726968**	

अनुलग्नक 4.3

(पैराग्राफ 4.1 में संदर्भित)

पारिश्रमिक का विवरण

वाउचर सं.	तिथि	जिसके कारण भुगतान किया गया	राशि (₹ में)
102	26 अप्रैल 2023	लेखापरीक्षा समिति की बैठक में भाग लेने और एफए और सीएओ से कार्यभार लेने बीजक संख्या बीएमवी/एचओ/23-24/002 दिनांक 03.04.2023 के अनुसार	43,660
318	31 मई 2023	एफए और सीएओ को जानकारी देने और मार्गदर्शन करने के लिए पेशेवर शुल्क और यात्रा शुल्क बीजक संख्या/बीएमवी/एचओ/23-24/019 दिनांक 08.05.2023 के अनुसार	24,780
471	27 जून 2023	एफए और सीएओ को जानकारी देने और मार्गदर्शन करने के लिए पेशेवर शुल्क और यात्रा शुल्क बीजक संख्या बीएमवी/एचओ/23-24/030 दिनांक 15.05.2023 के अनुसार	24,780
602	17 जुलाई 2023	एफए और सीएओ को जानकारी देने और मार्गदर्शन करने के लिए पेशेवर शुल्क और यात्रा शुल्क बीजक संख्या बीएमवी/एचओ/23-24/056 दिनांक 12.06.2023 के अनुसार	24,780
808	23 अगस्त 2023	एफए और सीएओ को जानकारी देने और मार्गदर्शन करने के लिए पेशेवर शुल्क और यात्रा शुल्क बीजक संख्या बीएमवी/एचओ/23-24/096 दिनांक 03.08.2023 के अनुसार	24,780
योग			**1,42,780**

अनुलग्नक 4.4

(पैराग्राफ 4.3 में संदर्भित)

कार्य आरंभ अग्रिम (एमए) और उस पर ब्याज के कारण संविदाकर्ता को अनुचित वित्तीय लाभ दर्शाने वाला विवरण

कार्यारम्भ अग्रिम की राशि	तिथि	वसूली	संचयी वसूली	बिल नं.	किए गए कार्य की मात्रा	₹ 261.07 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट के साथ कार्यारम्भ अग्रिम देय है	कार्यारम्भ अग्रिम की कम वसूली	दिन	तय तिथि के बाद 10% ब्याज (>1 अक्तूबर 2016)	दिन	कार्यारम्भ अग्रिम की कम वसूली पर 10% ब्याज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)[8]	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
117014789	20-04-2015										
99763756	25-06-2015										
92905090	04-09-2015										
	08-04-2016	3851550	3851550	3	340362177	13436702	-9585152			54	141808
	01-06-2016	19177304	23028854	4	470885615	35555888	-12527034			43	185331
	14-07-2016	13393380	36422234	5	564639264	51443873	-15021639			65	222238
	17-09-2016	8640970	45063204	6	625126070	61694284	-16631080			38	246049
	25-10-2016	14824040	59887244	7	732258522	79849511	-19962267	24	1740078	147	295332
	21-03-2017	11663062	71550306	8	813588219	93632068	-22081762	147	10060952	35	326689
	25-04-2017	9492169	81042475	9	897946846	107927923	-26885448	35	2283627	93	397757
	27-07-2017	30422121	111464596	10	988399044	123256427	-11791831	93	5826068	5	174454

[8] कॉलम 7 में दर्शाई गई राशि आनुपातिक आधार पर निकाली गई है।

कार्यारम्भ अग्रिम की राशि	तिथि	वसूली	संचयी वसूली	बिल नं.	किए गए कार्य की मात्रा	₹ 261.07 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट के साथ कार्यारम्भ अग्रिम देय है	कार्यारम्भ अग्रिम की कम वसूली	दिन	तय तिथि के बाद 10% ब्याज (>1 अक्तूबर 2016)	दिन	कार्यारम्भ अग्रिम की कम वसूली पर 10% ब्याज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)[8]	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	01-08-2017	24950156	136414752	11	1154515643	151407417	-14992665	5	271555	45	221809
	15-09-2017	14159361	150574113	12	1249215087	167455681	-16881568	45	2136393	19	249755
	04-10-2017	15297199	165871312	13	1351526198	184793858	-18922546	19	828327	84	279950
	27-12-2017	12329502	178200814	14	1433987266	198768143	-20567329	84	3310030	58	304284
	23-02-2018	17691295	195892109	15	1552653619	218877965	-22985856	58	2089576	5	340065
	28-02-2018	25027076	220919185	16	1720037592	247243731	-26324546	5	155901	133	389459
	11-07-2018	23922405	244841590	17	1896286688	277111827	-32270237	133	3235027	65	477423
	14-09-2018	18999303	263840893	18	2007133243	295896465	-32055572	65	1155013	42	474247
	26-10-2018	45842746	309683639	19	2110792406	309683639	0	42	527694		
309683635		**309683633**							**33620242**		**4726650**

अनुलग्नक 4.5

(पैराग्राफ 4.5 में संदर्भित)

एचकेआरएनएल द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी

(राशि ₹ में)

क्रमांक	वर्ग	एल1 दरें	मोलभाव द्वारा निर्धारित दरें	एचकेआरएनएल द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी		
				19-01-2022	06-09-2023	06-09-2024
				01-01-2022 से 31-08-2023 तक	01-09-2023 से 30-06-2024 तक	01-07-2024 से आज तक
1	हाउसकीपिंग स्टाफ	17,900	16,995	16,995	17,900	19,300
2	बागवान /माली	17,900	16,995	16,995	17,900	19,300
3	छात्रावास परिचारक	17,900	16,995	16,995	17,900	19,300
4	ऑफिस बॉय	17,900	16,995	16,995	17,900	19,300
5	पर्यवेक्षक	22,150	21,032	21,032	22,150	23,900
6	ट्रैक्टर चालक	21,400	21,022	20,361	21,400	23,100

अनुलग्नक 4.6

(पैराग्राफ 4.9 में संदर्भित)

बोलीकर्ताओं द्वारा उद्धृत दरें

(राशि ₹ में)

निविदा तिथि	खरीदी गई मदें	द्वारा उद्धृत दर			
		अर्श निट फैब	एआर एंटरप्राइजेज	गोयल निट फ़ैब्स	अंकुर एंटरप्राइजेज
जून 2023	ट्रैकसूट	1,610	1,620	1,685	
जून 2023	टी-शर्ट	610	618		650
अगस्त 2024	ट्रैकसूट शीतकालीन	1,750	1,800	2,000	
	ट्रैकसूट ग्रीष्मकालीन	1,725	1,775	1,900	
	टी-शर्ट	675	700	830	

अनुलग्नक 4.7

(पैराग्राफ 4.10 में संदर्भित)

जेम और सीपीपीपी के साथ पंजीकृत विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं की तुलना

क्रमांक	विक्रेताओं की स्थिति	जेम पर पंजीकृत विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं की संख्या	सीपीपीपी पर पंजीकृत विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं की संख्या	जेम पर पंजीकरण का बढ़ा प्रतिशत
1	मार्च 2019 तक	1,13,584	78,581	45
2	मार्च 2020 तक	2,08,080	1,80,603	15
3	मार्च 2021 तक	10,51,005	3,85,252	173
4	मार्च 2022 तक	12,10,716	5,73,280	111
5	01 फरवरी 2023 तक	13,18,182	7,37,078	79
6	12 फरवरी 2024 तक	20 लाख से अधिक	8,90,371	125
7	13 फरवरी 2025 तक	22 लाख से अधिक	10,17,433	116

अनुलग्नक 4.8

(पैराग्राफ 4.11 में संदर्भित)

आईआईएम, रोहतक द्वारा किए गए अग्रिम भुगतान का वर्ष-वार विवरण

(राशि ₹ में)

क्रमांक	वर्ष	अग्रिम भुगतान	व्यय	वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया अग्रिम
1.	2018-19	4,71,831	4,21,831	50,000
2.	2019-20	18,57,730	17,48,243	1,09,487
3.	2020-21	2,26,452	1,40,800	85,652
4.	2021-22	2,71,376	2,30,489	40,887
5.	2022-23	36,52,887	33,81,235	2,71,652
6.	2023-24	48,79,102	47,42,168	1,36,934
7.	2024-25	58,98,947	57,15,083	3,20,798
योग		**1,72,58,325**	**1,63,79,849**	

अनुलग्नक 5.1

(पैराग्राफ 5.3 में संदर्भित)

न्यूनतम शिक्षण भार

प्रति वर्ष न्यूनतम शिक्षण भार क	एक वर्ष में कार्य दिवसों की संख्या ख	प्रति कार्य दिवस न्यूनतम शिक्षण भार ग = क/ख
99 सत्रों की गणना 7,425 मिनट के रूप में की गई ***एक सत्र की अवधि 1 घंटा 15 मिनट है (99 सत्रों को 75 मिनट से गुणा किया गया = 7,425 मिनट)***	216 एक वर्ष में दिवसों की संख्या ***(365 दिन ऋण 8 आकस्मिक अवकाश + 2 प्रतिबंधित छुट्टियां + 10 अर्जित अवकाश + 60 छुट्टियां + 52 रविवार + 17 राजपत्रित छुट्टियां***	प्रति दिवस न्यूनतम शिक्षण भार = 7,425 ÷ 216 = 34.38 मिनट

अनुलग्नक 5.2

(पैराग्राफ 5.3 में संदर्भित)

संकाय सदस्यों को मानदेय/उपहार के रूप में प्रदान की गई मदें

क्रमांक	मद विवरण	खरीदारी का			
		बीजक संख्या	खरीद की तिथि	मात्रा	कीमत (₹) *जीएसटी सहित*
1.	आईफोन मोबाइल 7 (32 जीबी)	1045	03-10-2020	25	7,46,350
2.	आईफोन मोबाइल 11 (64 जीबी)			5	3,23,910
3.	आईफोन मोबाइल 12 मिनी (128 जीबी)	2408	26-02-2021	4	2,81,600
4.	आईफोन मोबाइल 12 (128 जीबी)			1	1,12,700
5.	एप्पल आईपैड (128 जीबी)	2517	16-03-2021	27	9,21,996
6.	एप्पल आईपैड (128 जीबी)	2597	31-03-2021	3	1,02,444
7.	मोटर चालित ट्रेडमिल	141	02-12-2021	13	5,59,910
8.	फिटनेस बाइक			18	3,39,840
9.	फिटबिट वॉच			3	30,090
10.	एचपी पैविलियन-14	1243	29-03-2022	32	20,76,800
11.	एप्पल मैकबुक एयर M1	1249	31-03-2022	3	3,35,946
योग				**134**	**58,31,586**

अनुलग्नक-5.3

(पैराग्राफ 5.9 में संदर्भित)

संकाय सदस्यों का विवरण जिनके अभिलेख उपलब्ध नहीं थे

क्रमांक	संकाय सदस्यों की संख्या	कार्यग्रहण की तिथि	यात्रा का वर्ष	किया गया व्यय (प्राप्त जानकारी के अनुसार)
1	1	23-03-2016	2016-17	50,408
2			2017-18	1,47,039
3	2	लागू नहीं	2017-18	1,81,891
4		01-02-2016	2017-18	1,04,915
5	1	-	2023-24	1,01,912
				5,86,165

अनुलग्नक-5.4

(पैराग्राफ 5.9 में संदर्भित)

2016-2024 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने वाले संकाय सदस्यों का विवरण

क्रमांक	वर्ष	कार्यग्रहण की तिथि	यात्रा की तिथि	दौरा किया गया देश	तीन वर्षों की सेवा पूरी करने से पहले यात्रा की	जिस एयरलाइन से यात्रा की	अधिकृत एजेंट के द्वारा बुक किए गए टिकट (हां/नहीं)	अधिकृत एयरलाइनों द्वारा यात्रा की गई (हां/नहीं)	अनिवार्य दस्तावेज़ जमा करना (हां/नहीं)	शासी मण्डल अध्यक्ष की सहमति उपलब्ध थी (हां/नहीं/ लागू नहीं)	अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शामिल होने के छः महीने के भीतर ही त्यागपत्र दे दिया	व्यय
1	2016-17	04-06-2015	25-10-2016	यूएसए	हां	लुफ्थांसा	नहीं	नहीं	हां	लागू नहीं	नहीं	213464
	2019-20		08-08-2019	यूएसए		एमिरेट्स	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	181461
	2022-23		22-03-2023	यूके		विस्तारा	नहीं	हां	नहीं	लागू नहीं	नहीं	301749*
	2023-24		19-05-2023	दुबई		एमिरेट्स	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	201807
2	2016-17	31-01-2016	06-10-2016	यूएसए	हां	यूनाइटेड एयरलाइन्स	नहीं	नहीं	हां	लागू नहीं	नहीं	184303
3	2017-18	19-12-2017	14-02-2018	यूएसए	हां	एतिहाद एयरवेज	हां	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	124854
	2023-24		03-08-2023	यूएसए		तुर्की एयरलाइंस	नहीं	हां	नहीं	लागू नहीं	नहीं	256050
4	2017-18	28-09-2017	07-12-2017	दक्षिण कोरिया	हां	कोरियाई एयर	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं	हां (अप्रैल 2018)	47012
5	2017-18	28-09-2017	07-12-2017	दक्षिण कोरिया	हां	कोरियाई एयर	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	47012
6	2017-18	12-01-2016	17-04-2017	हांगकांग	हां	तुर्की एयरलाइंस	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	166577
7	2017-18	02-06-2017	23-03-2018	यूके	हां	एमिरेट्स	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	78267
8	2018-19	17-07-2017	24-07-2018	जापान	हां	एयर इंडिया	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	118379
9	2018-19	30-06-2017	13-08-2018	जापान	हां	ब्रिटिश एयरवेज़	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	215154
10	2019-20	09-01-2018	19-06-2019	इटली	हां	अलीतालिया	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	129496
11	2019-20	13-06-2019	08-08-2019	यूएसए	हां	एमिरेट्स	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	124253
12	2023-24	04-08-2020	19-05-2023	दुबई	हां	एमिरेट्स	नहीं	हां	नहीं	लागू नहीं	नहीं	63056
13	2023-24	02-05-2022	19-05-2023	दुबई	हां	एमिरेट्स	नहीं	हां	नहीं	लागू नहीं	नहीं	113685
14	2023-24	01-04-2021	02-07-2023	बेल्जियम	हां	विस्तारा	हां	हां	नहीं	लागू नहीं	नहीं	185786

क्रमांक	वर्ष	कार्यग्रहण की तिथि	यात्रा की तिथि	दौरा किया गया देश	तीन वर्षों की सेवा पूरी करने से पहले यात्रा की	जिस एयरलाइन से यात्रा की	अधिकृत एजेंट के द्वारा बुक किए गए टिकट (हां/नहीं)	अधिकृत एयरलाइनों द्वारा यात्रा की गई (हां/नहीं)	अनिवार्य दस्तावेज़ जमा करना (हां/नहीं)	शासी मण्डल अध्यक्ष की सहमति उपलब्ध थी (हां/नहीं/ लागू नहीं)	अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शामिल होने के छः महीने के भीतर ही त्यागपत्र दे दिया	व्यय
15	2016-17	22-11-2011	14-12-2016	न्यूज़ीलैंड		दक्षिणी चाइना एयरलाइन	नहीं	नहीं	हां	लागू नहीं	नहीं	275555
	2018-19		12-06-2018	यूएसए		अमेरिकन एयरलाइंस	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	111007
	2022-23		01-07-2022	तुर्की		तुर्की एयरलाइंस	नहीं	हां	नहीं	लागू नहीं	नहीं	138350
	2023-24		19-05-2023	दुबई		एमिरेट्स	नहीं	हां	नहीं	लागू नहीं	नहीं	164842
16	2019-20	24-04-2016	09-08-2019	यूएसए		एमिरेट्स	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं	नहीं	188954
17	2022-23	लागू नही	01-07-2022	तुर्की		तुर्की एयरलाइंस	हां	हां	नहीं	लागू नहीं	नहीं	380886
	2022-23	लागू नही	22-03-2023	यूके		विस्तारा	नहीं	हां	नहीं	लागू नहीं	नहीं	518620*
18	2023-24	24-03-2020	19-05-2023	दुबई		एमिरेट्स	नहीं	हां	नहीं	लागू नहीं	नहीं	92990

नोट: *व्यय में कमरे का किराया शामिल है, जो लेखापरीक्षा को दिए गए अभिलेख में उपलब्ध नहीं था।

शब्दकोष	
बीओजी	बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स, शासी मण्डल
बीओक्यू	मात्रा बिल
सीपीसीबी	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सीपीपीपी	केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल
डीओपीटी	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
ईसीआर	इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न
ईएमडी	बयाना राशि
ईपीएफओ	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ईपीजीपी	कार्यकारी स्नातकोत्तर कार्यक्रम
एफडीआर	सावधि जमा रसीद
एफपीएम	संकाय प्रबंधन प्रोफेशनल
जीईएम	सरकारी ई-बाज़ार
जीएफआर	सामान्य वित्तीय नियम
जीआईए	सहायता अनुदान
जीआरडीसी	शिकायत निवारण और अनुशासन समिति
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
एचकेआरएनएल	हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड
आईसीसी	आंतरिक शिकायत समिति
आईआईएम	भारतीय प्रबंधन संस्थान
आईआईएमआर	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक
आईपीएल	एकीकृत शिक्षण कार्यक्रम
आईपीएम	प्रबंधन में एकीकृत कार्यक्रम
एलटीई	सीमित निविदा पूछताछ
एमडीपी	प्रबंधन विकास कार्यक्रम
एमएचआरडी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एनडीपी	नेट डीलर मूल्य
एनएफएसए	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
एनआईटी	निविदा आमंत्रण सूचना
पीजीपी	स्नातकोत्तर कार्यक्रम
आरएफपी	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
एसओक्यू	मात्राओं की अनुसूची
टीडीएस	स्रोत पर कर कटौती
यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in